

# हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 17 मार्च, 1994

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)19
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(11)20

ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(11)28
ध्यानाकर्षण सूचना— कोल्ड स्टोरेज में बिजली की कम सप्लाई संबंधी	(11)31
वक्तव्य— बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी	(11)32
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(11)35
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(11)35
संकल्प— (1) डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन" पर प्रतिबंध लगाने संबंधी (2) श्रीमती माया देवी, सदस्या, राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र भावों संबंधी	(11)36  (11)38
समितियों की रिपोर्ट पेश करना— (1) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 38वीं रिपोर्ट (2) आवासन समिति की 25वीं रिपोर्ट	(11)39  (11)39

(3) कमेटी आन सबार्डनित लैजिस्ले ान की 25वीं रिपोर्ट	(11)39 (11)40
(4) कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्टस एण्ड ि ाडयूल्ड ट्राईव्ज की 19वीं रिपोर्ट	
बिल्ज/विधान कार्य	
(1) दि पंजाब लैण्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1994	(11)40 (11)43
(2) दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994	
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
(1) प्रो० छत्तर सिंह चौहान द्वारा	(11)48
(2) श्री अमर सिंह द्वारा	(11)49
दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 (पुनरारम्भ)	(11)49
(3) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 1994	(11)54
वाक आउट	(11)64
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)	(11)64
(4) दि हरियाणा पंचायती राज बिल, 1994	(11)65

सरकारी संकल्प— नगरपालिकाओं का विघटन करने संबंधी	(11)95
वाक आउट	(11)96
सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(11)97
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	
(1) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1991-92 की प्रारंभिक रिपोर्ट	(11)97
(2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1992-93 की 26वीं एनुअल स्टेटमेंट आफ अकाउंट्स	(11)97
(3) हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1991-92 की 25वीं एनुअल रिपोर्ट	(11)103
मुख्यमंत्री / उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद	(11)105

## हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, the Question Hour.

### Setting up of New Industries

**787. Prof. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Inindustry be pleased to state-whether any new industries have been set up in the State during 1992-93, if so, the number thereof, togetherwith the number of industries to Non-Resident Indians (N.R.Is.) amongst them ?

**Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora):** 58 Large & Medium and 6740 Small Scale Industries units were set up in the State during the year 1992-93. Out of these 4 units (One Large & Medium and three SSI) were set up by NRIs.

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एक बड़ी एवं मध्यम तथा तीन लघु औद्योगिक इकाईयां अप्रवाससी भारतीयों द्वारा स्थापित की गई हैं, वे कहां कहां पर स्थापित की गई हैं ? वे

किस तरह की इकाईयां हैं तथा उनको वे चार इकाईयां लगाने के लिए क्या वि. शेष छूट दी गई है ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन चार इकाईयां लगाने वाले अप्रवासी इकाईयां स्थापित करने के लिए भी भी दी जाएंगी ?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, अप्रवासी भारतीयों द्वारा जो चार इकाईयां स्थापित की गई हैं, उनमें से दो पंचकूला, एक भिवानी और एक पानीपत में स्थापित की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई बाहर का महानुभाव इंडस्ट्री लगाए और चाहे भारतीय महानुभाव कोई इंडस्ट्री जगाए सबके लिए एक जैसी रियायत है। बाहर के महानुभाव के लिए कोई वि. शेष छूट नहीं है। हरियाणा प्रदेश में पिछले अठ्ठाई साल में कितने उद्योग लगे अगर उनके बारे में आप तफसील से जानना चाहते हैं तो वह मंत्री जी आपको बता देंगे।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपके पास उद्योग लगाने वालों की कितनी एप्लीके. इंज. आई हैं और उन एप्लीके. इंज. में से जितने उद्योग नहीं लग पाए, उसके क्या कारण हैं क्योंकि एप्लीके. इंज. काफी आई होंगी। जिन चार प्रवासी भारतीयों ने इकाईयां लगाई उनकी एप्लीके. इंज. कब आई थीं ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** स्पीकर साहब, जहां तक इंडस्ट्रीज लगाने के लिए एप्लीके. इंज. आने का ताल्लुक है, वे

डिस्ट्रिक्ट में डी0आई0सी0 में आती हैं। वहां पर सिंगल विन्डो सर्विस का सिस्टम है, उनमें लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए एप्लाई करते हैं।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन चार अप्रवासी भारतीयों की एप्लीके ांज कब आई ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** स्पीकर साहब, उनकी एप्लीके ांज एक डेढ साल पहले आई होंगी।

**प्रो० सम्पत सिंह:** आपके पास टोटल नम्बर आफ एप्लीके ांज कितनी आई ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** इस बारे में तो मेन सवाल में पूछा ही नहीं गया और हमारे पास सीधी एप्लीके ान कोई नहीं आती। जिसने भी इंडस्ट्री लगानी होती है, पहले वह डी0आई0सी0 में एप्लाई करता है।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, पहले एप्लीके ान आती हैं फिर सैंक ान होती है, यह एक प्रोसैस है।

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट में डी0आई0सी0 है, वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग एप्लाई करते हैं। वहां पर सिंगल विन्डो सर्विस है। वहां से केस बन कर यहां आता है। इन्डस्ट्री लगाने के लिए जो भी आदमी एप्लाई करता है उसकी एप्लीके ान सीधी हमारे पास नहीं आती है।

**प्रो० सम्पत सिंह:** एप्लीके ान्ज तो आपके पास ही आएंगी क्योंकि आप इस विभाग के इन्चार्ज हैं। आप यह बता दें कि उनकी टोटल नम्बर आफ एप्लीके ांज कितनी आई ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** इसके लिए आप अलग से नोटिस दें आपको बता दिया जाएगा।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं नवम्बर 1992 में विदे ा गयाथा और मैंने वहां पर अप्रवासी भारतीयों से यह कहा था कि आप हमारे यहां आएँ और अपने उद्योग लगाएं। माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि 1992-93 में अप्रवासी भारतीयों की इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कितनी एप्लीके ांज आई। मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनकी 58 एप्लीके ांज आई थीं, जिनमें से चार को मंजूरी दी गई है। उनके नाम अभी मैंने आपको बताए थे कि वे कहां कहां पर स्थापित की गई हैं। बाकी जो 54 रह गई, यदि आप उनके नाम जानना चाहते हैं तो वह मैं बता देता हूँ।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं उनके नाम नहीं जानना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ कि कुल कितनी एप्लीके ांज आपके पास उद्योग लगाने वालों की आई हैं ?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, पिछले अढाई साल के दौरान 1991-92 में 7511 छोटे उद्योग लगे और 40 बड़े, और मध्यम 1992-93 में 58 बड़े और 6740 छोटे, 1993-94 में 75 बड़े और मध्यम दर्जे के तथा 5280 छोटे दर्जे के उद्योग लगे। इन



अढाई सालों के अंदर तकरीबन 17 हजार के करीब नए उद्योग लगे हैं।

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, जो मैंने पूछा था वह जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि इन दिनों टोटल एप्लीके ांज कितनी आई। एन०आई०आइज० की फिगरज के बारे में तो इन्होंने बता दिया कि 58 एप्लीके ांज आई और उसमें से चार उद्योग 1992-93 में लग चुके हैं। इनकी प्रोग्रेस तो इसी बात से जाहिर होती है कि 58 एप्लीके ांज आई और 4 ही उद्योग लगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों टोटल एप्लीकेटस कितने आए, उसके बारे में मंत्री महोदय ने हाउस को जानकारी नहीं दी ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** कितनी एप्लीके ांज आई, उसके बारे में मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ये एप्लीके ांज आती हैं और वे वहीं पर ही एप्लार्ई करते हैं और वहीं पर अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं।

**प्रो० सम्पत सिंह:** वहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कि सारे हरियाणा में कुल कितनी एप्लीके ांज आई ?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जब मैं बाहर गया उसके बाद से अब तक टोटल 68 एन०आर०आइज० की एप्लीके ांज आई और इनमें 10950 करोड रूपये की पूंजी निवे ा होगी। इन 68 उद्योगों में से 20 चालू होने वाले हैं यानि इन पर

कार्य प्रगति पर चल रहा है। रही बात बाकी दूसरी एप्लीके ांज कितनी आई, वे हैं 808।

**श्री राम भजन अग्रवाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो एन0आर0आइज0 के चार यूनिट लगे हैं, क्या उनमें उत्पादन भुरु हो गया है ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनमें कितना पैसा इन्वैस्ट हुआ है ? ये जो चार यूनिटस लगी हैं उनकी साईट कहां पर है और इनके नाम क्या हैं।

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** इनमें एक मै0 भिवानी सिन्थेटिक प्रा0 लि0 यूनिट लगा है, बाकी 3 और यूनिट लगे हैं। इन में प्रोडक् ान भुरु हो चुका है।

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एन0आर0आइज0 की जो 4 इण्डस्ट्रीज लगी हैं, उनकी एप्लीके ांज कब आई और इन इण्डस्ट्रीज में जो एम्पलायमेंट दी गई है, क्या वह लोकल आदमियों को दी गई है या बाहर से आदमी वहां पर लगाए गए हैं ? (विधन) उसी तहसील या जिले के लोगों को नौकरियां दी गई हैं या बाहर के लोगों को एम्पलायमेंट दी गई है ?

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** अध्यक्ष महोदय, जो यह क्वे चन पूछ रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनका क्वे चन

क्या है लेकिन आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि एन0आर0आइज0 के जो 4 यूनिट्स लगे हुए हैं, उनमें 1600 हरियाणवीं काम कर रहे हैं यानि कि हरियाणा के 1600 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की बात का स्वागत करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सरकार के ध्यान में यह लाया था कि हरियाणा में जो इण्डस्ट्रीज लगेंगी, उनमें लेबर और इण्डस्ट्रियल वर्कर्स हरियाणा वासियों में से ही लेने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी को यह पता है कि अगर लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए कोई एण्टरप्राइज एप्लीकेशन लेकर आता है तो फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूटन्स और बैंक्स ने एक बड़ी अजीब भावना उनके लिए रखी हुई है। जो एण्टरप्राइज लार्ज और मीडियम स्केल पर इण्डस्ट्री लगाना चाहता है, फर्स्ट जैनरेशन पर उसको एक लिमिट से अधिक लोन नहीं देंगे, यानि अगर उसका बाप या दादा इण्डस्ट्रियलिस्ट था उसको तभी लोन दिया जाएगा। लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्रीज के लोन के लिए फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूटन्स और बैंक्स की यह भावना है जो इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हर आदमी को राईज करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है और जो

डिस्क्रेपैन्सी हैं, क्या उसको दूर करने के बारे में कोई कोर्िाा करेंगे ?

**श्री लछमन दास अरोडा:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं। इस प्रकार की कोई बात नहीं है किसी को लोन के लिए डिस्क्रेमिनेट नहीं किया गया। अगर माननीय सदस्य कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो हम उनको बता देंगे।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, न तो ऐसी कोई पाबन्दी है और न ही किसी के साथ डिस्क्रेमिनेटन का कोई सवाल है। स्टेट में जो उद्योग लगते हैं उनके नार्मर्ज बने हुए हैं कि कौन व्यक्ति क्या ले सकता है और उसको क्या फेसिलिटीज दी जा रही है। इसी प्रकार से बैकवर्ड एरिया के लिए भी नार्म फिक्स किए हुए हैं। और उस बैकवर्ड एरिया में इण्डस्ट्रीज लगाने पर 15 प्रतिशत की सबसिडी भी देते हैं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वे डिक्लेयर किए हुए हैं उनमें सबसिडी देते हैं, कन्सैडर देते हैं और दूसरी फेसिलिटीज भी दी जाती हैं। (विधन)

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही सिम्पल सवाल पूछा था कि जो एण्टरप्रेन्योर लार्ज और मीडियम स्केल पर इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उसमें 2 करोड या कुछ लिमिट है जिसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है उससे अधिक टाई अप करके फाईनेंसियल इंस्टीच्यूएन्स और बैंकस फर्स्ट जैनरेटन के लिए नहीं देंगे। फाईनेंसियल इंस्टीच्यूएन्स और

बैंकस द्वारा फर्स्ट जनरे इन को डिबार किया गया है, उसके साथ डिस्क्रीमिने इन किया गया है, क्या ये उसको दूर करेंगे ?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं इसको साबित कर सकता हूँ। (विघ्न)

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट का मुख्य मंत्री हूँ और मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

### **Crop Insurance Scheme**

**815. Sh. Dhirpal Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-whether the Crop Insurance Scheme has been implemented in the State; if so, the details thereof ?

**Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh):** A pilot Crop Insurance Scheme is being prepared by the Government of India which will be implemented in Haryana after its finalisation.

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सै इन में और उसके बाद भी प्रान्त सरकार द्वारा बार बार इस तरह की घोशणाएं की जाती रही हैं कि किसान को फसल बीमा योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। स्पीकर साहब, आज प्र न का जो

उत्तर सरकार की तरफ से आया है, उसको देखकर यह एहसास हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** आप सवाल पूछिए।

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम कब तक फाईनेलाईज हो जाएगी ? इस स्कीम में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया जाएगा और कौन कौन सी फसल को लिया जाएगा ?

**श्री हरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जितनी चिन्ता धीरपाल जी को है उससे ज्यादा चिन्ता हमको है। लेकिन इनको इतना इलम होना चाहिए कि यह स्कीम सैंटर की गवर्नमेंट फाईनेलाईज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजती है तब स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है। लेकिन अभी तक यह स्कीम सैंटर की गवर्नमेंट ने फाईनेलाईज नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधान मंत्री जी थे और मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे। सैंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से सुजै इन मांगा था। उस बारे में किसानों ने भी औब्जैक्टिव इन किया था और हमने भी कहा था कि जो स्कीम बनाने जा रहे हैं वह बीमा स्कीम ब्लाक लैवल की थी। अगर एक किसान को नुकसान होता था उसे पूरी पेमेंट नहीं मिलती थी क्योंकि उसमें सारे एरिया का अंदाजा लगा कर पेमेंट दी जाती थी। वह ठीक नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं थी। अब हमने यह सुजै इन दिया है कि

अगर कम्पनसे ान देना है तो वह गांव को यूनिट मान कर देना चाहिए। हमने यह एतराज किया था कि यह स्कीम विलेज लैवल पर बैसड होनी चाहिए थी। न कि ब्लाक लैवल पर। दूसरे उन्होंने यह बात कही है कि जिन फार्मर्ज ने बैंको से लोन लिए हैं उनके लिए यह स्कीम कम्पलसरी हो। तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट अपने लोन को बचाने के लिए यह स्कीम बना रही है। यह स्कीम तो वालन्टरी होनी चाहिए। इसको जो चाहे वह ले ले और जिसकी मर्जी हो वह न ले। तीसरी बात किसान को बीमे का पैसा देने की बात थी। तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि 2/3 भोयर स्टेट गवर्नमेंट देगी और 1/3 भारत सरकार देगी। हमने उनको यह बात कही कि स्टेट गवर्नमेंट इतना बोझ बर्दा त नहीं कर सकती है। यह बात बाकी स्टेट गवर्नमेंटस ने भी कही थी कि सेंद्रल गवर्नमेंट को 2/3 भोयर देना चाहिए और 1/3 भोयर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। हमने सेंद्रल गवर्नमेंट को एक सुजै ान दिया कि जो स्माल फार्मर्ज हैं वे प्रिमियम नहीं दे सकते हैं। जब उसका नुकसान न हो तो वह प्रिमियम कहां से देगा। तो आप छोटे किसान के लिए 50 प्रति ात सबसीडी दें। चौथी बात यह थी कि यह स्कीम सभी किसानों के लिए होनी चाहिए चाहे वह लौनी हो या न हो। वह अपनी मर्जी से बीमा करवाएं। यही बाकी स्टेट गवर्नमेंटस का भी विचार है। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बाद जो स्कीम सेंद्रल गवर्नमेंट से आनी थी, वह नहीं आई है।

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस स्कीम के बारे में जो वि शेषताएं बताई हैं ये पिछले बजट सै ान में भी बताई थी।

**श्री अध्यक्ष:** आपको तो एप्र्री ि ायेट करना चाहिए।

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार से जो इन्होंने लिखा पढी की है वह तो इनका दायित्व था। इस बारे में पिछले बजट सै ान में भी चर्चा हुई थी और सरकार ने दावा किया था कि हम इस बीमा योजना को लागू करने जा रहे हैं और इससे किसानों को लाभ होगा। मेरी जानकारी में तो यह है कि हिसार जिले को ही इसके लिए छांटा गया है और इसी जिले में यह स्कीम लागू की जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को लागू करने का क्राईटेरिया क्या है ? स्पीकर सर, इनकी केन्द्र सरकार के साथ मीटिंग तो हुई ही होगी। इसलिए मैं इनसे यह आ वासन चाहूंगा कि इस स्कीम को कब तक फाईनेलाईज कर दिया जाएगा ?

**श्री हरपाल सिंह:** स्पीकर सर, पता नहीं धीरपाल जी को हिसार जिले से क्या ऐलर्जी है जबकि सम्पत सिंह को तो इस जिले से कोई ऐलर्जी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिसार जिला तो वह जिला है जिसमें से भिवानी और सिरसा दोनों जिले निकले हैं। इस नई स्कीम के बारे में सैट्रल गवर्नमेंट जिस लाईन तक सोच रही है उसमें यह है कि हर स्टेट में एक जिले में इस स्कीम



को लागू किया जाए। सर, यही उनका प्रोपोजल है। लेकिन अभी तक हमारे पास उनका कोई फाईनल फैसला नहीं आया है।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन के सदस्यों को सूचित करते हुए संतुष्ट करने की कोशिश की है। सर, आप स्वयं भी जानते हैं कि पायलट फसल बीमा योजना बहुत दिनों से सारे देश में चर्चा का विषय है। चूंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भारत सरकार इसको कब शुरू करेगी। अगर हम यह सोचेंगे कि अंडेमान निकोबार, केरल, मिजोरम या दूसरी स्टेट्स ज्यादा इसके बारे में परस्यू करेगी तभी यह स्कीम जल्दी लागू हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखने में आया है कि भारत सरकार में इस तरह के केसिज जब तक पूरी तरह से परस्यू नहीं किये जाते तब तक वे कई सालों तक पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर साल सभी फसलों में कोई न कोई प्राकृतिक विपदा होती ही है जैसे ओला है, आंधी है। इनके अलावा अब गेहूं की फसल में पता नहीं ऐसी कौन सी हवा लग रही है जिसकी वजह से गेहूं दो दिन से ही खराब हो जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, केवल यह मात्र कह देने से कि यह स्कीम भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप देने के बाद ही हरियाणा में लागू की जाएगी ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं इसलिए जब तक हरियाणा स्वयं इस स्कीम के लिए लीड नहीं

करेगा तब तक यह लागू नहीं हो सकेगी। हरियाणा हर एक काम में पहले लीड करता है इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि जब तक वे स्वयं इस स्कीम के लिए परस्यू नहीं करेंगे तब तक इस स्कीम को अंतिम रूप नहीं मिलेगा। मैं इनसे दरखास्त करूंगा और आवासन भी चाहूंगा चाहे तो वे सत्ता पक्ष के साथियों को लें या विपक्ष के साथियों को लें, इस स्कीम को जल्दी परस्यू करें। मैं समझता हूँ कि इस केस को पूरी तरह से परस्यू नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से हरियाणा के लाखों किसानों को नुकसान हो रहा है।

**श्री हरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो चिन्ता जाहिर की है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह केस हरियाणा स्टेट का ही नहीं है बल्कि सारे भारत का है। जो भी फसलें खराब होती हैं वह केवल हरियाणा के किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की होती हैं। इसलिए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस मामले को परस्यू कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले में बड़ी सीरियस है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में बड़ी कम्प्लिकेिंज हैं। पहले भी 1981 में एक बार इस स्कीम को लागू किया गया था लेकिन इसमें कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेिंज हुईं जिसके कारण भारत सरकार को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अब फिर भारत सरकार इसे इस तरह से भुलाने जा रही है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज्यादा लौस न हो और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें भोयर करें।

स्पीकर सर, जो बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने लोन देना है, वे भी कुछ परसेंटेज इसमें बर्दाश्त करेंगे। ये तो सरी कंट्री एक एज ए होल मामला है एक स्टेट का मामला नहीं है। जैसा बिसला जी ने कहा कि सदन के साथियों को ले जाओ, डपुटे इन को ले जाओ वहां जाकर मिले कि यह हरियाणा स्टेट की दिक्कत है। स्पीकर साहब, एक बात और हो सकती है कि जबसे हमारे ये मुख्य मंत्री जी आए हैं यह गवर्नमेंट बनी है इतनी चिन्ता हमें तो नहीं है कि किसान की फसल को नुकसान होगा। भगवान की कृपा है। यह तो हम आगे के लिए सोचते हैं कि जब ये आए हैं तो स्टेट के किसानों को नुकसान न हो। इनके टाइम में हमें गाया तो अकाल पडा या बाढ आई। जब भी ये आए हैं किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। जब जब चौधरी भजन लाल जी आए हैं किसानों की पैदावार दुगुनी हुई है।

### **Increase in Strength of Police Personnel**

**825. Sh. Rajinder Singh Bisla:** Will the Chief Minister be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the strength of police personnel in each police station in the State ?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** सरकार के पास प्रत्येक पुलिस थाना में नफरी बढ़ाये जाने हेतु कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी समय समय पर जब भी किसी विशेष केस में पुलिस थाना में हुए अपराध और समस्याओं के

कारण नफरी बढ़ाये जाने हेतु विशेष आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार किया जायेगा।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला:** अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पुलिस स्टेन के अंदर जो टोटल स्टाफ तैनात किया जाता है उसका क्या क्राईटेरिया है ? एक थाने का जो ज्यूरिसडिक्शन है क्या उसकी पापुलेशन को आधार नहीं माना जाता ? प्रायः देखने में यह आया है कि 15-20 साल पहले जो स्टाफ था, वही आज है, जबकि उस थाने का टोटल एरिया और पापुलेशन बहुत बढ़ गई है। बौर्डर के जो थाने हैं जैसे यू0पी0, राजस्थान, वहां से लोग आकर क्राइम कर के भाग जाते हैं। स्टाफ की कमी होने की वजह से स्टाफ पर बड़ा बर्डन रहता है। जब सभी विभागों के अंदर 8-10 घंटे की डियूटी देते हैं और वहां ए0एस0आई0, सिपाही और हवलदार 15-16 घंटे की डियूटी देते हैं, न तो टाइम पर उन्हें खाना देते हैं और न ही उन्हें बाथरूम इत्यादि जाने के लिए टाइम मिल पाता है। जैसे आजकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार फल्ली डिटरमिंड है कि नकल रोकी जाए। सारी पुलिस कौपिंग रोकने में लगी है। सिपाही रायफल लेकर खड़ा है। मैं चाहता हूं कि क्यों न और भर्ती करके क्राईटेरिया के हिसाब से और पुलिस बल तैनात किया जाए।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्राइटेरिया का ताल्लुक है यह केसिज पर डिपेंड करता है। 75

मुकदमों के पीछे एक सब इंस्पैक्टर, एक ए०एस०आई०, एकहैड कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल लगाए जाते हैं। जैसे जैसे केसिज बढ जाते हैं तो 50 केसिज बढने के बाद नफरी बढ जाती है। एक ए०एस०आई०, एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल और लगाए जाते हैं। दूसरा सवाल है आबादी के हिसाब से। बहुत से भाहरों में आबादी अधिक होने पर इंस्पैक्टर लगाए जाते हैं। नफरी पहले के मुकाबले में बढाई है। जो बौर्डर एरिया के थाने हैं क्राइम के हिसाब से उनमें भी ज्यादा स्टाफ लगाते हैं। जिले का एस०पी० कहता है कि इस पुलिस स्टे।न पर इतना स्टाफ और चाहिए तो ज्यों ज्यों मांग आती है नफरी बढाई जाती है। पुलिस थानों में बाकायदा रिजर्व फोर्स होती है, जहां पर आव यकता होती है, वहां पर इस रिजर्व फोर्स को भेज दिया जाता है।

10.00 बजे।

बाकायदा हमने स्टे।ट के अंदर पिछले अढाई साले के दोरान कई नये पुलिस स्टे।न्ज बनाये हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जा सके। उग्रवाद को देखते हुए भी हमने पुलिस को नफरी में बढौतरी की है और हमारी को।।। है कि जहां और भी आव यकता होगी, हम जरूरत के मुताबिक फोर्स को जरूर तैनात करेंगे।

**Office of B.D.O.**

**799. Sathi Lehri Singh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-whether

there is any proposal under consideration of the Govt. to open the office of Block Development Officer at Babain; if so, the time by which the said office is likely to be opened at Babain ?

**विकास तथा पंचायत मन्त्री (राव बंसी सिंह):** स्पीकर साहब, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक इस आफिस को वहां पर खोल दिया जायेगा।

**साथी लहरी सिंह:** अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली 24 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय मेरे हल्के रादौर में गये थे। उन्होंने वहां पर यह कहा था कि एक अप्रैल से यह ब्लॉक चालू हो जायेगा। मुझे अभी तक यह पता नहीं है कि इस बारे में कागज आये हैं या नहीं लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि यह कब तक चालू हो जायेगा। क्या इसको जल्दी एक्सपीडार्ड कराने की सरकार कृपा करेगी ?

**राव बंसी सिंह:** स्पीकर साहब, मैं अपने भाई लहरी सिंह जी को यह विवास दिलाता हूँ कि हम वहां से जल्दी ही रिपोर्ट मंगा रहे हैं लेकिन आपको पता है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। इसके लिए प्रक्रिया चालू है और प्रक्रिया पूरी होने पर इस बारे में पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

### **Tourist Resort**

**857. Sh. Chander Mohan:** Will the Minister of State for Tourism be pleased to state-whether there is any proposal

under consideration of the Govt. to identify the tourist spots in the Shivalik Region of Ambala District; if so, the details thereof ?

**पर्यटन राज्य मंत्री (श्री लीला कृष्ण चौधरी):** जी हां। पर्यटन विभाग ने अम्बाला जिले के शिवालिक क्षेत्र में निम्न स्थानों को पर्यटन विकास हेतु चुना है:—

1. मोरनी क्षेत्र में टिककर ताल।
2. मोरनी में किला तथा इसके आसपास का क्षेत्र।
3. मोरनी के वर्तमान पर्यटक स्थल का विस्तार।
4. पिंजौर मल्ला सडक पर मल्ला के नजदीक नया पर्यटक स्थल।

**श्री चन्द्र मोहन:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो साईट्स इन्होंने आईडेंटिफाई की है, इनकी डिवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च होगा और इस स्कीम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा और इसके लिए फंडिंग कैसे की जाएगी ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से श्री चन्द्र मोहन जी को यह बताना चाहता हूँ कि शिवालिक बोर्ड का गठन हुआ है जो मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाया गया है। यह जो पर्यटक स्थल चुने गए हैं, इनको बताने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमने असिस्टेंस लेनी है और कुछ

पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने भी देना है तथा कुछ इसमें रिवालिफिक बोर्ड का भी पैसा खर्च होना है। हमारी प्लानिंग यह है कि इस क्षेत्र में लगभग दो करोड़ रुपया खर्च किया जाये। इसमें एक तो टिककर ताल है। वह मोरनी से 8 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुन्दर स्थल है। वहां पर मोर और मोरनी लेक है। उसकी डिवैल्पमेंट के लिए हमने 7 लाख रुपये का प्रोजेक्ट सेंट्रल अस्सिस्टेंस का किया हुआ है। इसके लिए हम केस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज चुके हैं 15 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके लिए भी कागजात तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मल्लाह के नजदीक पिंजौर मल्लाह रोड पर एक बहुत ही सुंदर स्थल है। उसमें 28.98 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 लाख स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसी तरह से एक पिंजौर कम्प्लैक्स की एक्सटेंशन है। इसके लिए 40 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हथनी कुंड में पहले एक छोटा कम्प्लैक्स था। वहां पर हम नया कम्प्लैक्स बनाने जा रहे हैं। उसमें 29 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यह सारी हमारी प्लानिंग है और यह कम्पलीट हो चुकी है। जैसे जैसे हमारे पास धन उपलब्ध होगा, हम ये सारी स्कीमें चालू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि एक साल के अंदर जब इसके लिये हमें धन मिल जायेगा तो हम यह स्कीमें चालू कर देंगे।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़:** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि हम हरियाणा में कई जगहों पर टूरिस्ट कम्प्लैक्स



खोलने जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हांसी में टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिए जगह आईडेंटिफाई कर ली गई है तो उस सिलेक्टड जगह पर कब तक टूरिस्ट कम्पलैक्स बना दिया जाएगा ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह क्वै चन पिंजौर के बारे में था लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हांसी में जगह का चयन हो चुका है वह जगह टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होनी है और उस पर काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं।

**चौधरी सूरज भान काजल:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कालका में जो इतने टूरिस्ट स्पॉटस खोलने जा रहे हैं इनका क्या औचित्य है और क्या हरियाणा में किसी और जगह भी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सरकार का विचार है ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो यह एरिया मोरनी का है और रिवालिहिल्ल का है, यह टूरिज्म के लिए बड़ी ही समन्वित जगह है। यहां पर टूरिस्ट स्पॉटस के लिए जगह अवेलेबल है इसलिए हम यहां पर टूरिस्ट स्पॉटस खोल रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा में हमारे 43 कम्पलैक्स हैं और हम हर साल चार पांच कम्पलैक्स प्लान करते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** क्या मंत्री जी बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी कोई स्कीम है ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्कीमें हैं। अराउंड कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में हम एक नया रैस्टोरेंट भुरु करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र डिवैल्पमेंट बोर्ड द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार की असिस्टेंस से पांच करोड का पैनोरमा विचाराधीन है। फारमैलटीज पूरी हो चुकी हैं। वहांपर सारे महाभारत को साउंड एंड लाइट से प्रदर्शित करेंगे और वहां पर डिफरेंट यात्री निवास बनाने पर विचार हो रहा है।

**श्री जय प्रकाश:** अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में मोरनी के बारे में बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टूरिस्ट स्थलों का विस्तार करने के साथ साथ हमारे जो बिजिटर्ज हैं उनको वहां क्या सुविधा मिलेगी और उस पर क्या खर्च आएगा ? दूसरा सवाल यह है कि पिन्जौर गार्डन में विजिटर्ज को आकर्षित करने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं और वहां और क्या बढौतरी कर रहे हैं ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** स्पीकर साहब, पिन्जौर में हम दस नए कमरों का एक सैट बनाने जा रहे हैं जिसके लिए सेंट्रल असिस्टेंस का चालीस लाख रूपए का प्रावधान है। मोरनी में भी हम एक खुला कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं। मोरनी किला एक

हिस्टोरिकल प्लेस है। वहां पर कई कमरे ऐड करेंगे और हटस बनाएंगे। इस वक्त मोरनी में हमारे पास चार कमरे हैं। वहा पर बहुत तंगी रहती है। मेरे साथी गुप्ता जी ने पिन्जौर के बारे में पूछा है कि वहा पर हम क्या देने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर हम एम0एल0 (ESSEL) वर्ल्ड की जो क्रीडाएं हैं जो पानी की क्रीडाएं हैं और बच्चों के खेलने के लिए जो नए नए अजूबे हैं ये सारे प्रावधान हम पिन्जौर में करने जा रहे हैं।

**सरदार जसविन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय 1993 के बजट सै ान में पेहवा में टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के बारे में जिक्र आया था और यह कहा गया था कि इसके लिए अभी किसी जगह का चुनाव नहीं हुआ है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पेहवा के अन्दर टूरिस्ट कम्पलेक्स के लिए अगर जगह का चुनाव हो गया है तो कब तक वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बना दिया जाएगा ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, पेहवा के अन्दर हमारी बड़ी ख्वाइ थी कि वहां पर बहुत जल्द एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाए। लेकिन वहां पर इसके लिये जमीन का चक्कर था। अब पिछले हफते ही जगह का चुनाव हो गया है और हम बहुत जल्दी ही वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं।

**श्री जयपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय राई के अन्दर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के लिए

आधार ि ाला रख कर आये थे लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ है। राई एक बडा महत्वपूर्ण स्थान है जो कि जी0टी0 रोड पर लगता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के लिये क्या अभी तक कोई पैसे का प्रावधान किया गया है या नहीं ? क्या सारा पैसा सरकार कालका की डिवलपमेंट पर ही लगा देगी ? मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस काम की आधार ि ाला पहले रखी गई हो, उस पर काम पहले होना चाहिए और जिस काम की आधार ि ाला बाद में रखी गई हो तो उस का काम बाद में ही होना चाहिए। क्या सरकार जल्दी ही राई के अन्दर टूरिस्ट कम्पलैक्स का काम चालू करवाने का कश्ट करेगी ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, राई के अंदर एक बहुत बडा टूरिस्ट कम्पलैक्स बने जा रहा है जिसको ऐथनिक इंडिया के नाम से सु ाभित किया जाएगा। इसको अधार ि ाला हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने रखी है। हमारा यह प्रयास है कि इसका काम जल्दी ही अप्रैल से भुरु हो जाए। हम माननीय सदस्यों को यह कम्पलैक्स जल्दी ही बना करके दिखायेंगे।

**श्री मोहन लाल पीपल:** अध्यक्ष महोदय, रिवाडी के अन्दर जो टूरिस्ट कम्पलैक्स है उसमें केवल तीन या चार कमरे ही हैं जो के बहुत थोडे हैं। क्या सरकार और कमरे बनाकर वहां के टूरिस्ट कम्पलैक्स की ऐक्सटें ान करने का विचार रखती है ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, हमारा जो रिवाडी का कम्पलैक्स है, वह हमें अभी तक लौस ही दिखा रहा है, लाभ कोई नहीं है। वैसे सरकारी रैस्ट हाउस के तौर पर ही वह ज्यादा इस्तेमाल होता है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं है लेकिन हम इस साल कोर्न प्लानिंग करके उस कम्पलैक्स की ऐक्सटेंशन की जाए।

**श्री मनी राम:** अध्यक्ष महोदय, जैसे सरकार बिजली के मामले में, सडकों के मामले में और पीने के पानी के बारे में स्टेट लैवल पर जागरूक है क्या उसी तरह से हरियाणा के सभी स्टेट हाईवेज पर व हरियाणा में आने वाले नेशनल हाईवेज पर सरकार टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने का विचार रखती है ? दूसरे सरकार आदरणीय सदस्यों को इन कम्पलैक्स बनाने का विचार रखती है ? दूसरे सरकार आदरणीय सदस्यों को इन कम्पलैक्स में ठहरने के लिये क्या सहूलियतें प्रदान करेगी ?

**श्री लीला कृष्ण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभी नेशनल हाईवेज व स्टेट हाईवेज पर हमारे टूरिस्ट कम्पलैक्स हैं लेकिन फिर भी जहां कहीं भी इनका प्रावधान नहीं है वहां बनाने का विचार हो सकता है। जहां तक सदस्य के ठहरने का सवाल है, हम ठहरने में सदस्यों को 10 परसेंट रिजर्वेशन देते हैं। अगर 10 कमरे कहीं परी हों तो उनमें से एक कमरा माननीय सदस्यों के लिये व मन्त्रियारों के लिये रिजर्व होता है। अगर कहीं पर 26 कमरे होंगे तो वहां पर दो कमरे माननीय सदस्यों के लिए

व मन्त्रियों के लिये रिजर्व होते हैं। खाने पीने के लिये भी आम ग्राहकों की निस्बत इन्हें 20 प्रति सैत रियायत दी जाती है।

**Land Irrigated by Uttawar Distributory**

**774. Ch. Azmat Khan:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-the yearwise and village wise acreage of land of village Uttawar, Rupdarka, Jarari, Gohpur, Bhalai, Paharpur, Dhiranka, Kukarchati, Booraka and Hudikal irrigated by the Uttawar distributory during the year from 1987 todate ?

**Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):** A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

Yearwise, total acreage of land of respective villages Irrigated by the Uttawar Disty, as per available records is as under :-

Villages	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
Gohpur	13	110	90	132	127	73
Rupraka	2	24	29	24	30	
Hurithal		86				
Buraka		3				

There is no Irrigation from the Disty. in rest of the villages.

**चौधरी अजमत खां:** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि इस नहर से 10 गांवों की पिछले पांच छः सालों के अन्दर कितनी भराई हुई है। इसके जवाब में इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर केवल चार गांवों में 743 एकड़ रकबा सैराब हुआ है। और यह नहर भोश 6 गांवों को पानी नहीं दे सकती। एकचुअल पोजी तन यह है कि जब उन चार गांवों में जोहड भरने के लिये पानी गया तो किसानों के खेत में भी पानी चला गया और उस पानी का उन पर आबियाना लग गया। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई न कोई समाधान हो। इस नहर की टेल ऊंची है ओर हैड नीचा है। जिस समय बिजली नहीं होती तो पानी पीछे को लौट जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब 8.2.1992 को उतावड में गए थे और इनहोंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द कर देंगे। मेरा मतलब यह है कि इस नहर पर काफी पैसा खर्च हो चुका है। इस पर लगभग डेढ करोड रूपए की एक नई स्कीम बनी है और यह 33 कि०मी० लम्बी नहर है। क्या उस स्कीम पर अमल करेंगे ताकि इस नहर से उस इलाके को सिंचाई की सुविधा हो सके। अगर सरकार का इस स्कीम पर काम करने का ईरादा है तो इस पर कब तक काम भुरू करवा दिया जाएगा ?

**चौधरी जगदी त नेहरा:** स्पीकर साहब, यह जो उतावड नहर है यह लिफ्ट इरीगे तन की है। इसकी लम्बाई भी बहुत ज्यादा है। इनकी यह बात दुरूस्त है कि बिजली के जाने से टेल तक पानी पहुंचना बहुत मुि कल है। जहां तक इसमें और पानी

देने की बात है यह मामला तो एस0वाई0एल0 के पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जब एस0वाई0एल0 का पानी आ जाएगा तब इसमें पूरा पानी आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो यह कहा कि इसकी सफाई की जानी चाहिए उसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

**चौधरी अजमत खां:** स्पीकर साहब, इस नहर का ताल्लुक एस0वाई0एल0 से बिल्कुल नहीं है। यह नहर गुडगांव कैनल से किरंज से निकलती है। जब यह नहर बनाई गई थी तो इसमें 22 सौ क्यूसिक पानी गुडगांव कैनल से मिलता था। इसका पानी तो बढा हुआ है लेकिन बिजली न आने की वजह से पानी रुकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका हैड नीचा है और टेल ऊंची है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक डेढ करोड रूपए की लिंक चैनल की नई स्कीम रनसिका से बनाई गई है। वहां से 68 बुर्जी तक पानी मिल जाएगा। एस0वाई0एल0 का जब पानी आएगा तो वह सोहना से आगे के एरिया को सैराब करेगा और यह नहर सोहना से पीछे के एरिया को सैराब करेगी।

**चौधरी जगदीश नेहरा:** स्पीकर साहब, जैसे मैंने अर्ज किया कि यह 22 सौ क्यूसिक की नहर है और इसमें पूरा पानी नहीं चलता है। इसमें चार सौ क्यूसिक पानी चलता है। यह लिफ्ट ड्रिगेट न है। लेकिन ये जो लिंक चैनल की बात कर रहे हैं कि गुडगांव कैनल में ऐसी चैनल बनाई जाए और 68 बुर्जी पर आकर वह चैनल मिल जाए, वह गवर्नमेंट के अंडर कंसीड्रेट न है। जब



भी पैसा उपलब्ध होगा तो उसे कंसिडर करके उस पर काम करवायेंगे ।

**चौधरी जाकिर हुसैन:** स्पीकर साहब, चौधरी अजमत खां जी के जवाब में जैसे मन्त्री जी ने बताया तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो रनसिका से प्रोपोजल है, वह मेरे हल्के से भी ताल्लुक रखती है। इस नहर में पानी तो पूरा अवेलेबल है लेकिन इसकी टेल ऊंची होने के कारण पूरा पानी नहीं चलता। तो जो रनसिका से प्रोपोजड माइनर है वह कब तक कम्पलीट हो जाएगी।

**चौधरी जगदी । नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि वह एस०वाई०एल० कैनल के पानी के साथ जुडी हुई है क्योंकि गुडगांव कैनल 2200 क्यूसिक्स कैपेसिटी की नहर है, वह पानी तक पूरा होगा जब एस०वाई०एल० कैनल का पानी उपलब्ध होगा, तब तक यह अंडर कंसिड्रे 1 न है।

### **Bridge on Jhajjar Distributory**

**745. Ch. Om Parkash Beri:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt., to construct a bridge on Jhajjar distributory near village Gochhi in district Rohtak; and

(b) if so, the time by which the bridge as referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

**Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):**

(a) No.

(b) Not applicable.

**चौधरी ओम प्रकाश बेरी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जिस जगह पर मैंने पुल बनाने की मांग की है, वहाँ पर पहले से ही पुल बना हुआ है लेकिन वह 1983 में डैमेज हो गया था। वह टूट गया था, क्या सरकार उसको बनवाएगी। वहाँ पर कोई नया पुल नहीं बनाना है, जो पहले से बना हुआ है वह टूट गया है, उसको कब तक बना दिया जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो पुल टूट जाते हैं उनको बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। आबादी बढ़ रही है इसलिए लोगों को अलग सहूलियतें चाहिए। इसलिए मैं। यह भी जानना चाहता हूँ कि उस पुल को बनाने में सरकार को क्या हिच है ?

**चौधरी जगदीश नेहरा:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने नया पुल बनाने के बारे में क्राइटेरिया पूछा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब सड़क बन जाए और इस्तेमाल की जगह छोड़ी हुई हो तो पुल बनाया जाता है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जो डैमेज्ड पुल हैं उनको ठीक करने का प्रावधान है या नहीं। स्पीकर साहब, जो पुल टूटे हुए हैं उनको अगले साल ठीक करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक माननीय सदस्य ने मेन सवाल पूछा है वह गलत पूछा है। इनका

सवाल पूछने का मकसद दूसराथा लेकिन पूछ लिया दूसरा सवाल। इन्होंने सवाल यह पूछ लिया कि क्या झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल बनाने का विचार है या नहीं। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य यह सवाल गलत पूछ गए, इनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि क्या झज्जर सब ब्रांच पर जो पुल टूटा हुआ है, उसको बनाने का विचार है या नहीं।

**चौधरी ओम प्रका । बेरी:** स्पीकर साहब, यह गलती से लिख दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिला रोहतक में गांव गोछी के पास झज्जर सब ब्रांच पर जो पुल टूट गया है, क्या उसको बनाने का सरकार का विचार है ?

**चौधरी जगदी । नेहरा:** स्पीकर साहब, झज्जर सब ब्रांच और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों ही गोछी गांव के पास से जाती हैं इसलिए माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं।

**चौधरी ओम प्रका । बेरी:** क्या आपको उस पुल के बारे में पता है जहां पर वह बनना है ?

**चौधरी जगदी । नेहरा:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि झज्जर सब ब्रांच अलग है और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी अलग है। आपने जो सवाल पूछा है वह झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल बनाने के बारे में पूछा है। क्या आपका मतलब यह है कि जो झज्जर सब ब्रांच जे0एल0एन0 के साथ साथ जाती है उस पर पुल बनाने की बात है ? आपको यह भी पता

नहीं है कि झज्जर सब ब्रांच क्या है और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है।

**चौधरी ओम प्रकाश बेरी:** स्पीकर साहब, यह सरकार उस एरिया को पानी देना ही नहीं चाहती। चाहे झज्जर सब ब्रांच की बात हो, चाहे झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात हो, यह सरकार दक्षिणी हरियाणा को नहरी पानी देना ही नहीं चाहती। इस सरकार का उस एरिया को पानी देने के बारे में एक ही जवाब होता है कि अभी एस0वाई0एल0 कैनल का पानी नहीं आया, वह कम्पलीट नहीं हुई है। जब एस0वाई0एल0 का पानी आएगा तब उस एरिया को पूरा पानी दिया जाएगा। स्पीकर साहब, मैंने यह बात मान ली है कि सवाल पूछने में थोड़ी सी गलती हो गई। मैं अब इनसे यह जानना चाहता हूँ कि झज्जर सब ब्रांच पर गोष्ठी गांव के पास जो पुल टूटा हुआ है उसको कब तक बना देंगे ?

**चौधरी जगदीश नेहरा:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अपनी गलती मान ली यह उनकी ठीक बात है। अब इन्होंने पूछ लिया कि झज्जर सब ब्रांच पर गोष्ठी गांव के पास जो पुल टूटा हुआ है, उसको ठीक करवाया जाना चाहिए। जे0एल0एन0 के पास झज्जर सब ब्रांच पर जो पुल टूटा हुआ है, उसको अलग साल रिपेयर करवा देंगे।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य बेरी साहब ने जो सवाल पूछा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं

आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उटावड डिस्ट्रीब्यूटरी केवल माननीय सदस्य जाकिर हुसैन जी के हथीन के इलाके को ही सिंचित नहीं करती, वह पलवल हल्के के गांवों को भी सिंचित करती है।

**श्री अध्यक्ष:** दलाल साहब, यह तो पुल के बारे में सवाल है। जो आप पूछ रहे हैं वह तो पिछला सवाल था।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अत्तर चटटा गांव जो उतावड डिस्ट्रीब्यूटरी पर है, उस पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण लोगों को नहर से पार अपने खेत में जाने के लिए काफी कठिनाई हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस पुल को कब तक बना दिया जायेगा ?

**चौधरी जगदी ा नेहरा:** अगर इस्तेमाल की जगह छोड़ी हुई है तो जरूर हम बना देंगे और इसके लिये ये हमें लिख कर भी दे दें।

**चौधरी सूरज भान काजल:** अध्यक्ष महोदय, करसोला माइनर और कमालखेडा माइनर पर जो पुल हैं वे टूटे हुए हैं। दूसरे, इनकी कैपेसिटी भी कम हो गई है। इसके अलावा लाईनिंग करते समय इनके बैड ऊपर हो गए हैं जिनसे इनकी कैपेसिटी कम हुई है। इसके अलावा वहां पर जो गऊ घाट थे, वे भी नीचे हो गए हैं और जब पानी आता है तो वे सारे डूब जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन प ु घाटों को भी दुबारा बनाया जायेगा ?

**चौधरी जगदी । नेहरा:** स्पीकर साहब, जो बात इन्होंने कही, वह दुरुस्त है। कई पुल डैमेज हैं और कई टूट चुके हैं। और लाईनिंग करने के बाद कई पुलों की कैपेसिटी कम हो गई है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक से हमें जो पैसा मिल रहा है उससे हम इन पुलों को बनाएंगे। जहां तक गऊ घाट की बात है, उनको भी ठीक कर देंगे। दूसरे, ये हमें लिख कर भी दे दें।

**श्रीमती चन्द्रावती:** अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में काफी पुल टूट चुके हैं या वे डैमेज हो चुके हैं। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि लिख कर दे दें। क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि वह अपना सर्वे करवाये कि कहां कहां पर ऐसे पुलों को और गऊ घाटों को बनाने की आवश्यकता है ? इसका ये सर्वे करवाये और अपने आप ही ये उनको बनाएं।

**चौधरी जगदी । नेहरा:** स्पीकर साहब, हम तो अपने आप भी अगले सालों में बना देंगे। यदि विधायक लिख कर भी दे दें तो अच्छा है।

### **Buses from Jhajjar to Rohtak**

**760. Sh. Daryao Singh:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the number of buses of Sub depot, Jhajjar plying from Jhajjar to Rohtak; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to ply, more buses on the said route ?

**परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल भाह):**

(क) छः, श्रीमान जी।

(ख) जी हां।

**चौधरी बलवंत सिंह मैना:** अध्यक्ष महोदय, झज्जर ही रोहतक को चारों तरफ से मिलाता है। इन्होंने बताया है कि छः बसें तो लगा दी गई हैं। फिर भी वहां पर और बसें चलाने की आवश्यकता है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या झज्जर से वाया रोहतक एक्सप्रेस बसें चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री बलबीर पाल भाह:** अध्यक्ष महोदय, अभी हमने प्राइवेटाइजेशन किया है जिसकी वजह से कुछ और बसें किन्हीं दूसरे रूटों से सरप्लस होंगी। तो उस समय भी वहां पर और बसों की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि झज्जर जो रोहतक डिपो का सब डिपो है वहां रोहतक डिपो की 9 बसें चलती हैं जो 20 ट्रिप लगाती हैं। इसके अलावा दूसरे डिपोज जैसे रिवाड़ी, गुडगांव, पानीपत व जींद के भी 15 ट्रिप हैं। इसी प्रकार से राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की भी छः बसें चलती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 44 ट्रिप

झज्जर वाया रोहतक के हैं। हम अगले 3-4 महीनों में छः बसें और दे देंगे जिससे 15 ट्रिप और बढ जायेंगे। जहां तक एक्सप्रेस सर्विस चलाने की बात है यदि यह वायेबल हुआ तो इस पर भी विचार कर लेंगे।

**Mr. Speaker:** The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों  
के लिखित उत्तर

### **Supply of Electricity**

**754. Sh. Mohan Lal Pipal:** Will the Minister for Power be pleased to state-

(a) whether there is a provision to supply electricity for eighteen hours daily in Rewari being a single crop area; and

(b) if so, whether this facility is not being provided in the Pataudi area; if not, the reasons therefor ?

**बिजली मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी):**

(क) इस समय एक फसली क्षेत्र जिसमें रिवाडी भी शामिल है को लगभग 16 घण्टे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उपलब्धता के आधार पर अधिकतम बिजली सप्लाई करने के प्रयत्न किए जाते हैं।



(ख) इसी तरह ऐसी ही सुविधा पटौदी क्षेत्र में भी दी जाती है।

**132 K.V. Sub-Station at Village Sagga & Amin**

**837. Sh. Jai Singh:** Will the Minister for Power be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up 132K.V. Sub-Station at Village Sagga District Karnal and at village Amin District Kurukshetra; if so, the time by which the aforesaid sub-stations are likely to be set up ?

**बिजली मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):** हां, श्रीमान जी, वर्ष 1994-95 के दौरान।

**Income to Market Committee Pehowa**

**779. Sardar Jaswinder Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total income accrued to the Market Committee, Pehowa during the year, 1992-93; and

(b) the total amount spent on the repair of roads by the Market Committee, Pehowa during the period as mentioned in part (a) above ?

**कृषि मंत्री (श्री हरपाल सिंह):**

(क) 17377480 रूपये।

(ख) 6.54 लाख रूपये।

## Repair of Damaged Roads

**868. Sh. Amar Singh Dhanday:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair the damaged roads in Gulha division District Kaithal; and

(b) if so, the time by which aforesaid roads are likely to be repaired ?

**लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):**

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) गुल्हा निर्वाचन क्षेत्र में सडकों पर बडी मरम्मत, जैसा कि खडडे भरने तथा पैच लगाने, पहले ही कर दी गई है।

**विभिन्न विशयों का उठाया जाना**

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर सर, जब से यह विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है आज इसकी ग्यारहवीं मीटिंग है। आपने देखा होगा कि माननीय सरकारी सदस्यों ने और विपक्ष के सदस्यों ने भी बार बार एस०वाई०एल० नहर पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० नहर के निर्माण के बारे में आज अगर पंजाब के गवर्नर साहब के एड्रेस पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी को रिप्लाइं देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने ऑल सैटल्ड ई गूज को रि-ओपन कर दिया है। वे कह रहे हैं कि पहले भोयर

डिसाईड करेंगे कि रावी ब्यास में किस किस का कितना हिस्सा है, उसके बाद नहर के निर्माण की बात करेंगे। जब भोयर का फैसला हो जाएगा उसके बाद नहर के निर्माण की बात करेंगे। इस बारे में हमारा यह कहना है कि वन्स फॉर ऑल। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा इन्तजाम करेंगे ताकि हर बहन बेटी की इज्जत बने। हम ऐसा इन्तजाम करेंगे जिससे बहन बेटी की भाान बने। ये कहते हैं कि अब भी कोई गैंग बनी फिरती है। मैं कहता हूँ कि दिन में तो लोग ग्रीन ब्रिगेड के लोगों को पहचान लेते हैं इसलिए वही लोग अब किसी और गैंग के नाम से बन गए हैं। कहीं कच्छा गैंग बन गई है, कहीं कहते हैं कैंटर गैंग बन गई है। वही ग्रीन ब्रिगेड के लोग दूसरे लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय अब 15 दिन के अन्दर अन्दर हम उनका इलाज कर देंगे। यदि 15 दिन के बाद हरियाणा प्रदे 1 के अन्दर कोई गैंग, कोई गुण्डा, कोई बदमा 1 बदमा 1ी करता हुआ मिल जाए तो कहना भजन लाल क्या कह रहा था। ऐसा इलाज कर देंगे कि पूरे प्रदे 1 के अन्दर अमन हो जाएगा। हमारी पूरी को 1ि 1 है कि हमारे प्रदे 1 के अन्दर अमन और भांति हो। यदि कोई सरकार किसी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं रख सकती तो वह कोई सरकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रका 1 चौटाला कहते थे कि वह मुख्य मंत्री क्या है जिसका नाम रात को यदि सोये हुए व्यक्ति के सपने में आ जाए और वह बहक करके और चमक चमक करके चारपाई से नीचे न पड़े। उनकी यह बड़ी भारी बात है और बडा नाम कमाया चौटाला साहब ने। अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश का मुख्य मंत्री वह होना चाहिए जिसका नाम याद आने पर आराम से नींद आ जाए और वह यह समझे कि तेरी जान माल को कोई खतरा नहीं है। तेरी इज्जत महफूज है। तेरे सामने कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप सभी रोजाना अखबारों में पढ़ते थे, रोजाना पब्लिक मीटिंग में चौटाला ने यह बात कही कि वह आदमी ही क्या जिसके नाम से हजारों चौंक न पड़ें। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसके नाम से हजारों आदमी चौंक जाएं। क्या ऐसा राज ज्यादा दिन चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के चुने हुए सेवक हैं इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सेवा करें हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम लोगों के साथ ज्यादाती जुल्म और अन्याय करें और लोगों के साथ लूट खसूट करें। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब चौधरी सम्पत सिंह हाउस में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि आप कोई सबूत बताएं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक सबूत हो तो बताएं, पूरे महाभारत की पोथी आपकी बनने वाली है। आपने जो कारनामे किए हैं उनकी महाभारत से भी बड़ी पोथी आप लोगों की बनेगी। हम किस किस का गुनाह बताएं ? यदि आपने प्रदेश के अन्दर कोई एक गुनाह किया हो तो बताएं। इस प्रदेश में सिपाही से छोटी नौकरी और क्या हो सकती है ? मेरे पास 20 लोगों के ऐफिडैविट आए हैं कि साहब पिछली सरकार ने हमारे से 30-30 हजार रूपए ले लिए और नौकरी लगाए नहीं मेहरबानी करके वह पैसे तो आप हमारे उल्टे दिलवा दें। मेरे पास ऐफिडैविट आए पड़े हैं। मैं यह बात सच कह रहा हूँ। हम आप लोगों को बताएंगे कि

आप लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ क्या क्या बेइन्साफी की है। सिपाही की भर्ती हुई, क्लर्कों की भर्ती हुई, कंडक्टर की भर्ती हुई सभी से पिछली सरकार ने पैसे लिए। केवल यही बात नहीं औफिसरों को भी आप लोगों ने प्रदेश के अन्दर इतना जलील करके रख दिया जिसका कोई अंत नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। जो सही बात है वही कह रहा हूँ। स्पीकर सर, इन लोगों ने प्रदेश में इस तरह का वातावरण बना दिया जैसे भाखडी में बान्दर चालै सै। इन्होंने ऐसा वातावरण प्रदेश के अन्दर बनाया कि सारे प्रदेश का सत्याना कर दिया। आज ये कहते हैं कि अफसरों की बदली कर दी। क्या हम ऐसे अफसरों की बदली नहीं करेंगे जिन्हें आपने इतना करप्टान में डुबो दिया जिसका कोई अन्त नहीं है। ये अफसर क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जिले के सब अधिकारी करप्ट कर दिए। फरीदाबाद और गुडगांव इण्डस्ट्रियल एरियाज में जाते थे और कहते थे कि टर्न ओवर पर एक परसेंट हमें मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्टरीज की टर्न ओवर करोड़ों और अरबों रूपयों में होती है लेकिन इसमें घाटा भी हो सकता है। लेकिन इन्हें घाटे से कोई मतलब नहीं इन्हें तो टर्न ओवर का एक परसेंट चाहिए। स्पीकर साहब, मेरी जानकारी में है कि एक आदमी बेचारा 10 लाख रूपये लेकर आया और कहा कि मेरे पास तो 10 लाख ही बने हैं तो उसे कहा गया कि यह 10 लाख तो यहां रख दे बाकी

कल लेकर आना। उससे दस लाख रूपये भी वहीं रखवा लिए कि कहीं ये भी वापिस न ले जाए। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। उस आदमी ने मुझे खुद आकर बताया था। मुझे यह तो पता नहीं है कि वह आदमी बयान दे सकेगा या नहीं क्योंकि पता नहीं उसके पास पक्का अकाउंट है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह बात औन ओथ कह रहा हूं। स्पीकर साहब, उस आदमी ने कहा साहब मैं गया और उसने कहा कि 50 लाख रूपये चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से 10 लाख रूपये का प्रबन्ध कर पाया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि ये 10 लाख रूपये वापिस ले जाओ। वह 10 लाख रूपये तो वहां रखवा लिए और कहा कि 40 लाख रूपये कल लेकर आना। उन्हें भायद यह अन्दे था कि कहीं 10 लाख रूपये ले जाए और फिर वापिस ही न आए। (विधन) स्पीकर सर, मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर मुझ में कोई कमी होती तो मैं दोबारा यहां नहीं आ सकता था। 4 साल इनका राज रहा है लेकिन इन्हें हमें यही डर लगा रहा कि अगर इनका कोई सियासी दुश्मन है तो वह चौधरी भजन लाल ही है। मेरे खिलाफ इन्हें जो नहीं करना चाहिए था वह भी कर के देख लिया जो कोई भी जांच करनी थी वह भी कर के देख ली। दरियापुर में 36 लोग उग्रवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। यह काण्ड इनका राज बनते ही हुआ था। श्रीमान चौधरी देवी लाल जी यहां पर खड़े होकर क्या कहते हैं ? उन दिनों बनारसी दास गुप्ता जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल वे हमारी पार्टी में हैं। सच्चाई कहने में मुझे कोई ऐतराज

नहीं है। उन्होंने यहां पर खड़े होकर कहा कि यह चौधरी भजन लाल का काम है, इन 36 लोगों के मरवाने में चौधरी भजन लाल का हाथ है। श्रीमान सम्पत सिंह जी ने कहा कि जब हमें पता नहीं चला तो चौधरी भजन लाल को कैसे पता चला और वे सबसे पहले वहां पर कैसे पहुंचे। अरे भाई, मेरा वह जिला है, मेरा गांव है, मेरा घर है तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा ? स्पीकर साहब, मेरे गांव का सरपंच बेचारा उस बस में था। फतेहाबाद से मेरे भाई के लडके का टेलीफोन आया कि महमूदपुर गांव का सरपंच उन 36 आदमियों में है जो मारे गए हैं। आप जानते हैं कि दरियापुर फतेहाबाद के पास है। केवल दस किलोमीटर दूर है। ज्यों ही कोई आदमी बस को चलाकर अस्पताल में लाया, सारा भाहर वहां इकट्ठा हो गया। मेरे पास साढ़े दस बजे या दस बजे रात को टेलीफोन आया। मैंने राजीव गांधी को टेलीफोन किया और कहा कि ऐसा वाक्या हो गया है। छत्तीस आदमी मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए हैं। राजीव गांधी ने मुझे आदेश दिया कि भजन लाल फौरन मौके पर जाओ। मैं वहां से साढ़े दस ग्यारह बजे चला और डेढ़ दो बजे के करीब फतेहाबाद पहुंचा। ये श्रीमान जी कहते हैं कि भजन लाल को कैसे पता लग गया। भजन लाल ने उनको मरवाया है इसलिए वह पहुंच गया। स्पीकर साहब, क्या मरवाने वाला सबसे पहले कहीं पहुंचता है ? यह कोई कायदे की बात है ? स्पीकर साहब, आगे ये कहते हैं कि उनको छड़ियों, देरी रिवाल्वरों से मारा गया। मैंने कहा कि खुदा के वास्ते कुछ तो अकल की बात करो। कल को अगर वे असली मुलजिम पकड़े

जाएं, वे उग्रवादी पकड़े जाएं तो उनकी कैद कौन करेगा। स्पीकर साहब, जब प्रदे 1 का मुख्य मंत्री यह कहे और प्रदे 1 का होम मिनिस्टर यह कहे कि दे 11 पिस्तौल और छड़ियों तथा लाठियों से लोग मारे गए थे तो क्या कोई मुलजिमाओं की कैद कर देगा ? इनकी अकल का तो ऐसा दिवाला निकला हुआ है।

स्पीकर साहब, हमने कभी यह नहीं कहा कि छड़ियों या कट्टों (दे 11 पिस्तौल) से उनको मारा गया था। बाकायदा यह कहा गया था कि आधुनिक आर्म्ज इस्तेमाल किए गए थे। स्पीकर साहब, यह जो कुछ कह रहे हैं यह सच नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ हाउस के रिकार्ड पर है। मेरे पास कापी है उसकी। कोई कच्ची बात नहीं है। यह सदन है। सदन में जो कहूंगा बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चाई से कहूंगा। नहीं तो मेरे खिलाफ प्रिविलिज मोशन ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, मैं तो रिकार्ड की बात कह रहा हूँ। दे 1 और प्रदे 1 की जनता को पता है। मेरे पास कापी है मैं उसको लाकर दिखा दूंगा। वह रिकार्ड में है। स्पीकर साहब, उस रिकार्ड को निकलवाकर देख लेंगे। यह आप लोगों की स्पीच है। स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की कि कानून नाम की चीज इस प्रदे 1 में कोई नहीं रही। रात को किसी की बहू, बहन और बेटी निकल नहीं सकती थी। फिर मण्डल कमीशन पर किस तरह का वातावरण सरकार ने बनाने की कोशिश की और बसें जलाई गईं। राम बिलास भार्मा ने कल



बिल्कुल ठीक कहा। कई इल्जाम उन्होंने सही लगाए। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा, कोई गलत नहीं कहा। स्पीकर साहब, बनारसी दास पर हमला हुआ। मैं मिलने गया, मेरी गाडी जला दी। स्पीकर साहब, मुझे कोई दुख नहीं आया क्योंकि यह काम सरकार करवा रही थी। कितनी बसें जलाई गईं, कितनी बिल्डिंगज जलाई गईं और कितने सरकार मकान जलाए गए कि गिनती नहीं की जा सकती। सरकारी प्रौपर्टी और दूसरे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और जो नुकसान हुआ वह आपके सामने है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो वह दे 1 और प्रदे 1 कैसे चलेगा ? स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाकर खडा किया। इन लोगों ने इस प्रदे 1 का माहौल इतना बिगाडा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, इस प्रदे 1 का नाम सारे संसार में ऊंचा था। हरियाणा प्रदे 1 की लोग मिसाल देते थे। इन्होंने इस प्रदे 1 का नाम इतना बदनाम करके रख दिया जिसका कोई अन्त नहीं और इसका नतीजा इस प्रदे 1 के लोगों ने इनको दे दिया। स्पीकर साहब, इनका राज पूरे चार साल भी नहीं रहा। क्या यह बिजली इन्होंने चालू की है ? यह बिजली तो हमारी देन है। जहां तक हमारे जमीन देने का ताल्लुक है मैंने उनको भुरु में 25-26 एकड जमीन दी थी। वे एक आश्रम बनाने जा रहे थे। संस्था के लिए कोई ऐसे महानुभाव जमीन मांगे जो दे 1 में जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हों और एम0पी0 भी रहे हों तो कैसे इन्कार किया जा सकता है। वे बहुत अच्छे इन्सान हैं देवी लाल की तरह से घटिया नहीं हैं और न वे ओम प्रका 1 चौटाला की तरह घटिया

हैं। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि उनमें कुछ सिद्धांत हैं, इखलाक हैं। उन्होंने अपनी मां के नाम से आश्रम बनाने के लिए जमीन मांगी थी। मां के नाम से कोई आश्रम बनाए, संस्था के लिए बनाए, और मुख्य मंत्री उसको जगह न दे तो यह अच्छी बात नहीं है।

स्पीकर साहब, यह गलत रजिस्टर हुई है। आप इसके उददे य तो पढिये। ( गोर एवं व्यवधान) अभी सैंान भुरू होने से पहले जब क्रैक्स आने भुरू हुए ता'उनको देखने के लिये कोई नहीं गया। जो पीने के पानी का पाईप फटा था, उसका पानी बह बह कर मकानों की नींवों तक पहुंच रहा है। काफी दिनों तक भाोर मचाने के बावजूद भी कमेटी का कोई मुलाजिम देखने के लिए नहीं गया जब दोबारा हमने एस0डी0एम0 को कहा तो पब्लिक हेल्थ के कुछ मुलाजिमों ने वहां जाकर उसकी देखरेख की। कमेटी वालों ने साइकिल की एक ट्यूब को इस तरह से उस पाईप पर बांध दिया ताकि पानी रूक जाए। स्पीकर साहब, साइकिल की ट्यूब से ये पानी रोकने की को'ि।। करते हैं। पानी के पुराने पाईपस जो बहुत सालों से डले हुए हैं जब तक उनको बदला नहीं जाएगा तब तक इस भयंकर समस्या से पीछा नहीं छूटेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि गलियों में जो मकान हैं, वे 60 के ऐंगल पर झुके हुए हैं। और मन्त्री जी ने उन्हें देखा भी होगा पर पता नहीं मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है या नहीं और पता नहीं वे किस तरह से कहते हैं कि वह मौहल्ला मेरा देखा हुआ है।

उन्हें भायद यह आभास नहीं होगा कि वे मकान बिल्कुल गिरने की हो रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां से फौरन ही लोगों को निकाला जाए और उस इलाके को खाली करवाया जाए और उन लोगों को वह जमीन दी जाए जो म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पलवल भाहर में पडी हुई है और जिस जमीन पर ये आपसी डिपार्टमेंटल अधिकारियों की मिली भगत से दूसरों का कब्जा करवाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, पैसे ले लेकर कब्जा करवा रहे हैं। ऐसे नाजायज कब्जों को तुडवा कर उन लोगों को वह जमीन दी जाए ताकि वे अपने रहने के लिये मकान बना कर सकें, जिनके मकान बिल्कुल गिरने को हैं जो लीकेज चाहे पाईपों में है, चाहे कहीं और है या सीवरेज में है या पीने के पानी के पाईपों में है, वे पाईपस न केवल ठीक करवाएं जाए बल्कि उनकी तुरन्त लोगों की भलाई के लिये बदला जाए क्योंकि वे बहुत पुरान पाईप हैं। चाहे सीवरेज के हैं या पानी के हैं सारे गले हुए हैं। यही समस्या हमारे पलवल भाहर की है। वहां न सिर्फ मकान गिरने को हैं बल्कि जो पीने का पानी गन्दा आता है, उसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग गई हैं, इसके बारे में मैंने कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था।

स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने 1987 में आने के बाद एस0वाई0एल0 कैनल की कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी कोशिशों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार मिल करके, उनके साथ खतोकिताबत करके, बार बार विजिट करके उन पर अपना असर

डाल कर जो काम करवाया है वह मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर साहब, 1987 से पहले पंजाब के एरिया में इस कैनल की कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन बिना ऐक्वायर हुए पडी थी। जब कोई नहर की कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो पहले उसके लिये लैंड ऐक्वायर करनी होती है। चौधरी बंसी लाल जी के मुख्य मंत्री होते हुए पंजाब के एरिया में लैंड ही ऐक्वायर नहीं हो सकी। हमारी सरकार ने पंजाब के एरिया में इस कैनल की कंस्ट्रक्शन के लिये जमीन ऐक्वायर करवाई है कुछ ऐसी जमीन ऐक्वायर हुए बिना रहती है जो पहाडी है और कुछ एरिया फलड के कारण डैमेज हो गया है जो ऐक्वायर नहीं हो सका। इस तरह की जमीन के अलावा 100 फीसदी जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। अर्थ वर्क का काम 93.26 परसेंट पूरा हो चुका है। इसी तरह से लाइनिंग का काम 93.41 परसेंट पूरा हो चुका है। मीडियम और लार्ज क्रॉस ब्रिज जो ड्रेनेज के बनने थे वह टोटल 52 थे कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में एक भी ब्रिज नहीं बना था। हमारी सरकार के आने के बाद 52 में से 47 मीडियम और लार्ज क्रॉस ब्रिज कम्पलीट हो चुके हैं। इनके अलावा जो रोडज और रेलवे लाइनों पर ओवर ब्रिज बनने थे वह टोटल 76 थे जिनमें से हमारी सरकार ने 62 ब्रिज कम्पलीट कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इनमें से एक भी ब्रिज कम्पलीट नहीं हुआ था तो हमारे समय में उस कैनल का इतना काम हो चुका है। हमें कांस्टीच्यूएंसी अलाउन्स मिला था। आज इस तरह की बात करने का क्या फायदा। आपकी उस वक्त हिम्मत नहीं हुई कि हमारे इस्तीफे मंजूर

करते। ( गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, उस वक्त ये इस्तीफा मंजूर करते। ये कुछ तो हिम्मत दिखाते। ( गोर एवं व्यवधान)

### ध्यानाकर्षण सूचनाएं

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मेरा एक कला अटेंशन मोशन था।

**श्री अध्यक्ष:** आपने कब दिया था ?

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** आज 8.30 बजे दिया था।

**श्री अध्यक्ष:** यह अंडर कंसीड्रेशन है।

**डा० राम प्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कालिंग अटेंशन मोशन्स थे। पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बारे में था कि गांवों में प्रजापति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको मिट्टी उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए सरकार निर्देश दे कि उनको मिट्टी उठाने के लिए भूमि अलाट की जाए और उनके काम में कोई रूकावट न डाली जाए। जहां पर मिट्टी उठाने के लिए जगह नहीं है वहां सरकार एतदर्थ जमीन ऐक्वायर करे। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा प्रावधान किया है जिसमें उनके लिए जमीन अलाट की गई। इसी तरह से हरियाणा सरकार भी उनके लिए जमीन अलाट करे। यह मेरा पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। दूसरा मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि हरियाणा में पहले डिप्लोमा होल्डर्स पर चिकित्सा का काम करते थे। कई जगहों पर तो

डिप्लोमा होल्डर्स सरकारी चिकित्सालयों में इन्चार्ज भी थे लेकिन अब सरकार ने नया सिस्टम कर दिया है कि हरियाणा में केवल डिग्री होल्डर्स ही पशु चिकित्सा का काम कर सकेंगे। मैंने यह चाहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स को पशु चिकित्सा का काम करने दिया जाए नहीं तो गांवों में किसानों को और उन सभी को जिनके पास पशु हैं बड़ी भारी परेशानी होगी।

**श्री अध्यक्ष:** राम प्रकाश जी आप बैठिए।

11.00 बजे।

Hon'ble Members, notice of calling attention motion No. 30 given by Dr. Ram Parkash, M.L.A. regarding registration of veterinary doctors is disallowed on the following grounds :-

1. That the matter is not of recent occurrence; and
2. That the matter is not of urgent nature.

Notice of calling attention motion No. 31 given by Dr. Ram Parkash, M.L.A. regarding reservation of land for making clay pots has been received. Hon'ble Members, I have disallowed the above motion on the following grounds :-

1. That the matter is not of recent occurrence; and
2. That the matter is not of urgent nature. (Noise & Interruptions).

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** स्पीकर सर, मैंने पांच काल अटैं इन मो इन दिए थे जिनमें से तीन का जवाब तो जब हम सैं इन से जाने लगे तो दरवाजे पर ही पकडा दिया। उस बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वह आपका निर्णय है। मेरे दो काल अटैं इन मो इन विचाराधीन है। एक तो सुरजपुर सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित था और दूसरा एच०एम०टी० फैक्ट्री के बारे में था जो बहुत बडी फैक्ट्री है, वहां से लोगों को रिट्रैन्च कर दिया। ( गोर) एच०एम०टी० को किसी प्राईवेट संस्था को यह सरकार देने जा रही है। कर्मचारियों को इससे काफी भय है कि उनका क्या बनेगा। सुरजपुर सीमेंट फैक्ट्री से जबरदस्ती 200 आदमियों से रैजिग्ने इन लिया गया है। यह लोगों के साथ बडा ही अन्याय है। स्पीकर सर, एक तरफ तो ये पिंजौर को प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की छंटनी करने जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये आप मेरे इन काल अटैं इन मो इनज का फेट तो बतलाईये।

**श्री अध्यक्ष:** ये आपने सुबह 9.25 पर दिये और अंडर कंसिड्रे इन है।

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** स्पीकर सर, अगर आज जवाब न आया तो क्या लाभ। आज सैं इन खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी क्या इम्पौर्टेंस रहेगी ?

**श्री अध्यक्ष:** आगे हो सकता है।

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, एक मैंने काल अटैं नान मो नान दिया है कि महेन्द्रगढ के अंदर पीने के पानी की बडी भारी समस्या है। प नु महामारी से मर रहे हैं। मैंने यह कल दिया था और आप इसका फेट बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** यह आपने कल दिया था, यह सरकार के कमैन्टस के लिये भेज दिया है।

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, आज तो सैं नान समाप्त हो जाएगा। सैं नान में जवाब नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा। आपके होते तो हम इस सदन में अपनी समस्याएं आप द्वारा सरकार के सामने रख सकते हैं। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** राम बिलास जी, आप बैठिये। ( गोर)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैं नान मो नान था। ( गोर)

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमें इसका फेट तो बता दीजिये। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** राम बिलास जी, आपको कई दफा यहां पर बोलने का मौका मिला है। कल से आपको कई दफा यहां अपनी बातें कहने का मौका मिला। आपने अपनी सारी बातें कह ली हैं। ( गोर) अब क्या रह गया है ? ( गोर)



**प्र० राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, यह तो आपकी कृपा है जो आपने यहां बोलने का मौका दिया है और देते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि पानी की कमी के कारण पंजाब में महामारी से मर रहे हैं। और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ( गोर)

**Mr. Speaker:** You have repeated the same points several times.

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जितने भी जुड़ियाँ मिल आफिसर्ज हैं उनकी सुविधाओं को सरकार अनदेखा कर रही है। इससे उन्हें यह दिक्कत हो रही है कि वे जो भी फैसले सुनाते हैं वे ठीक प्रकार से नहीं सुना पाते।

**Mr. Speaker:** It is disallowed. (Noise & Interruptions).

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** स्पीकर सर, मैंने आज एक काल अटैचमेंट में जो पानीपत की इंडस्ट्रीज से संबंधित है। पानीपत आज का एक मानचेस्टर है। यहां से 410 करोड़ रुपये का माल एक्सपोर्ट होता है, जिससे देश का नाम बढ़ता है। ( गोर) स्पीकर साहब, धागे पर टैक्स लगाया जा रहा है। ( गोर) और दूसरी सुविधाएं वहां पर सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** कादियान साहब, आप बैठिये। आपका यह काल अटैन्-ान मो-ान का प्वायंट नहीं बनता। आप बैठिये।  
( गोर)

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही भुरू करने से पहले मैं एक प्रस्ताव लाना चाहूंगा। जब काल अटैन्-ान की बात खत्म हो जाए तो उसके बाद वह प्रस्ताव लाने के लिए मुझे समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है। काल अटैन्-ान मो-ान के बाद आप वह प्रस्ताव रख देना।

**चौधरी बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, जो बात कादियान साहब ने कही है, मैं मानता हूं कि वह काल अटैन्-ान की बात नहीं है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि वे फाईनैस मिनिस्टर से बात करें कि जो ऊन और धागे पर एक्साइज डियूटी लगाई गई है इससे पानीपत की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पानीपत से दो सौ करोड रूपए से ज्यादा का सामान हैंडलूम का सालाना एक्सपोर्ट होता है। इस मामले को चीफ मिनिस्टर को अपने लैवल पर फाईनैस मिनिस्टर से डिस्कस करना चाहिए।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैंने अगले ही दिन फाईनैस मिनिस्टर को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसकी कापी मैंने लहरी सिंह जी को दिखाई है। उनका जवाब भी आ गया है

जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। हमने उनको यही लिखा था कि मेहरबानी करके इस पर दोबारा से विचार करें। ये तो सोए हुए थे और आज जागे हैं। मैंने तो उनको सात दिन पहले पत्र लिख दिया था।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़:** स्पीकर साहब, राज्य सभा की चुनी हुई मैम्बर श्रीमती मायावती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कहा है। ऐसा करके उसने सारे राष्ट्र का अपमान किया है। मैंने मांग की थी कि सदन के नेता इस बारे में प्रस्ताव लाकर उसकी निन्दा करें। यह राष्ट्र का अपमान है। वे बसपा की जनरल सैक्रेटरी हैं और दुर्भाग्य से राज्य सभा की भी मैम्बर चुनी गई हैं।

**श्री अध्यक्ष:** वह आपका मो तन डिस अलाउ हो गया है।

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि तन है कि इस हाउस में मेरी नाम रा ि ा के एक और वीरेन्द्र सिंह जी हैं। पहले तो वे और मैं किसी एक पार्टी में इकट्ठे नहीं थे इसलिये प्रिंट मीडिया और दूसरे मीडियाज को बड़ी सहूलियत रहती थी और लोग समझते थे कि कौन सा बीरेन्द्र कौन सी भाशा बोलता है। लेकिन अब हमारी भाशा और पार्टी मिल गई हैं और मैं बीरेन्द्र सिंह की जगह वीरेन्द्र सिंह बन जाता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने पीछे एक बात कही थी कि कैबिनिट एक्सपें तन करेंगे। मैं

चाहता हूँ कि इनको मिनिस्टर डैजिगनेट कर दिया जाए ताकि प्रिंट मीडिया ठीक लिख सके। (हंसी)

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, इनकी बहुत सी चिट्ठियां मेरे पास आ गई हैं। ये मेरे पास आ जाएं मैं इनको दे दूंगा।

### ध्यानाकर्षण सूचना—

#### कोल्ड स्टोरेज में बिजली की कम सप्लाई संबंधी

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 18 given notice of By Sh. Lehri Singh M.L.A. regarding damage to potatoes due to short supply of electricity to the cold stores. I admit it. Sh. Lehri Singh may read his notice and the concerned Minister may make a statement thereafter.

**साथी लहरी सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि भाहबाद में लाडवा तक के क्षेत्र के किसान आलू की फसल पैदा करते हैं। आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं परन्तु खेद इस बात का है कि आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोरों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इसके कारण आलू उत्पादक अत्यंत परेगान हैं। बबैन के सभी कोल्ड स्टोरों में किसानों/मजदूरों द्वारा कड़ी मेहनत से उगाई गई आलू की फसल बरबाद हो रही है। क्योंकि

उनके हल्के के किसानों/मजदूरों की आजीविका का केवल यही साधन है। अतः सरकार रोजाना नष्ट हो रही इस फसल को जो कि एक अत्यावश्यक पदार्थ है, सुरक्षित रखने के लिये पग उठाए तथा जनता की जरूरत को पूरा करने हेतु इस मुख्य फसल को बचाने के लिये इन कोल्ड स्टोरों को 24 घंटे बिजली दी जाए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये आज से ही क्या पग उठा रही है ?

**Mr. Speaker:** Now, I would request the Power Minister to make a statement.

वक्तव्य—

बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी

बिजली मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य ने भण्डारण किए जाने वाले आलुओं के लिये प्रयोग किये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज की बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्या की आरे इस सदन का ध्यान दिलाया है। स्पीकर साहब, मैं इसका जवाब तो पहले ही दे चुका हूँ लेकिन फिर भी दोबारा स्थिति कलियर कर देता हूँ। चीफ इंजीनियर साहब की हत्या होते ही हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में इस हतया की निन्दा का एक रैज्योल्यूशन

पास किया गया यह रैज्योल्यू इन गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजा गया दूसरा एक और रैज्योल्यू इन पास करके गवर्नमेंट आफ इण्डिया को यह लिखा कि आप वहां पर काम करने वाले स्टाफ को पूरी सुरक्षा की गारंटी प्रोवाइड करवायें। इसके बाद मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से मिले और प्रधान मंत्री जी ने उसी वक्त हिदायत दी और कहा कि वहां पर काम करने वालों को बाकायदा सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।

स्पीकर साहब, जो यह नहर हरियाणा क्षेत्र में बनी है उसका पैसा तो हरियाणा सरकार की तरफ से लग चुका है लेकिन जो पोर इन पंजाब में बना है और वहां पर खर्चा आया है वह कुछ तो मिल चुका है ओर कुछ को लेने के लिये कार्यवाही चल रही है। हमने बाकायदा सेंट्रल वाटर रिसोर्सिज मंत्री को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा सेंटर से जो हमने और आसिस्टैंस मांगी है उसमें भी इस पैसे को लिए जाने का जिकर किया है कि जो पैसा हमारा इस नहर पर पहले खर्च हो चुका है वह भी हमें वापस दिया जाये।

**साथी लहरी सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार के साथ बताया है कि केन्द्रीय सरकार के साथ मीटिंगें हुई हैं और कई बार सेंटर के मिनिस्टर को लिखा भी जा चुका है। साथ ही यह भी कहा है कि वहां पर कुछ राजनैतिक और सामाजिक हालात की वजह से इस नहर के काम में बाधा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जिन लोगों की

वजह से यह हालात पैदा हो गए हैं उनके साथ इनकी दोस्ती भी है। ( गोर) मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने उनके साथ क्या प्रयास किए हैं जिससे यह नहर जल्दी से जल्दी बन सके ?

**श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, भाहबाद डिवीजन में 25 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें से 22 देहोती ऐरिया में हैं जो एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हैं। बबैन में 4 कोल्ड स्टोरेज हैं और ये चारों रुरल फीडर से जुड़े हैं। स्पीकर साहब, जब भी कोई नमूना फेल पाया जाता है तो प्रोसिक्यू इन की इजाजत ली जाती है और हम इजाजत देते हैं फील्ड अफसरों को कि केस प्रोसिक्यूट करें। जिन लोगों के नमूने फेल हुए हैं उनमें से कुछ के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कुछ के विरुद्ध कार्यवाही हो जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ करण इन के और कई दूसरे सीरियस चार्जिज हैं क्या इन्होंने कहा है कि “मेरे खिलाफ कमी इन बिठाईये।” अगर आज भी ये कमी इन बिठाना मान लें तो फिर भी हम मान लेंगे कि ये बड़े ईमानदार हैं। स्पीकर साहब, हम साबित करके दिखाएंगे इन्होंने अपने 4 साल के भासन में किस तरह से और किस प्रकार के अन्याय और जुल्म लोगों के साथ किये हैं और किस तरीके से इन्होंने नाजायज सम्पत्ति बनाई है। सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल और किस तरह के हालात इन लोगों ने प्रदेश में पैदा किये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ किस तरह से इन के छोटे बेटे जगदी ने खेत में रहने वाले एक गरीब आदमी की बीबी के

साथ बलात्कार किया। इस बात को सारा दे आ जानता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा सदन बैठा हुआ है, जगदी आ के बारे में पता करवा लें कि वह 24 घण्टे भाराब के न ा में रहता है। रात को पीकर सोता है और सवेरे बची हुई बोतल से ना ता करता है। यह बात मैं आप को औन औथ कहता हूं क्योंकि वह मेरे पडौस में रहता है। सवेरे ना ता भाराब से करता है, फिर दोपहर को पी लेता है और भाम से फिर पीना भुरू हो जाता है। उसने उस गरीब औरत के साथ बलात्कार किया, उनको घर से नहीं निकलने दिया और फिर पुलिस वहां बैठी रही। बडी मु कल से रात को छुप कर वह वहां से निकला और जगदी आ नेहरा उसको साथ लेकर मेरे पास दिल्ली आए। उस गरीब आदमी ने मुझे बताया कि उसके साथ यह बुरा हाल हुआ है। हम लोग राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति जी को हमने पूरा ज्ञापन बना कर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की कितनी मर्यादा होती है और कहां तक वह किसी मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने मामला नीचे गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने उठा कर उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया या फाड कर फैंक दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला चौधरी देवी लाल का खुद का जिला है लेकिन सिरसा के कितने ही पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गए और अनेक पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। ये इन लोगों के कारनाम हैं जो कहा करते थे "सारे पत्रकारों ने ही दे आ आजाद करायो है" आज ये कैसी



भाशा का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारों का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने पत्रकारों का यह सम्मान किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर उन्हें जेलों में बन्द किया।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती की बात भी आई। पुलिस के बारे में एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही कि पुलिस की एसोसिये इन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं सर्टिफिके इन आफ राईट्स ऐक्ट, 1966 के अधीन पुलिस यूनियन के गठन पर पाबन्दी लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस बहुत बहादुर है और उनके कारनामों बहुत अच्छे हैं। सिपाही से लेकर ऊपर तक हम उनको बड़ा भारी सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस और फौज दो ऐसे महकमों हैं जहां अगर यूनियन बनाने की प्रथा चल पडी तो मुल्क में अमन नहीं रह सकेगा और बडी मुक्ति कल खडी हो जाएगी। हमें जितने भी पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी हैं उन सबसे पूरी हमदर्दी है। अगर उनकी कोई ऐनोमली है चाहे वह वेतन में है, चाहे प्रमोशन में है या और किसी किस्म की ज्यादाती है तो हम उसको ठीक करेंगे और पुलिस कर्मचारियों को कोई गिला नहीं रहने देंगे कि उनके साथ कोई अन्याय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर हम चाहेंगे कि बहुत गहराई से विचार करना होगा। पुलिस और फौज का मामला दूसरे तरीके का है। हम इस पर जरूर गौर करेंगे और जो ठीक बात होगी वह करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और खासतौर से इस हाउस के सभी महानुभावों से कि फौज और

पुलिस के मामले में हमें स्वायत्तता की बात नहीं करनी चाहिये ताकि वातावरण और अमन में कोई बाधा बडे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि 66 के 0वीं 0 स्टे इन के कमी इन होने तक ये इन्तजार करें। फिर भी अगर उनको कोई प्रस्ताव आएगा तो उनको बिजली देने का प्रयास करेंगे। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** लहरी सिंह जी, इन्होंने ए योरेंस दे दी है, अब आप बैठिये। (विघ्न)

### नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

**Mr. Speaker:** Now, Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

**Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):** Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

## नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

**Mr. Speaker:** Now, Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

**Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):** Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

## संकल्प—

- (1) डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक—ए—मुजाहिदीन" पर प्रतिबंध लगाने संबंधी

**Mr. Speaker:** Now, the Chief Minister will move his motion.

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं दो प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

“यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक “तहरीक-ए-मुजाहिदीन” जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, सर्व सम्मति से भर्त्सना करता है।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कुछ तत्व इस प्रकार से अलील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोश भडका कर आपसी मन मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं।

हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

भारत की धरती पर हर धर्म, सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनिया के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है। भारत के सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक

भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम, भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सदभाव की मिसाल कायम की है। इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा।

सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इस अश्लील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है और सर्व सम्मति से भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस अश्लील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए”।

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

“यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक “तहरीक—ए—मुजाहिदीन” जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, सर्व सम्मति से भर्त्सना करता है।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कुछ तत्व इस प्रकार से अश्लील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोश भडका कर आपसी मन मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं।

हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि

भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

भारत की धरती पर हर धर्म, सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनिया के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है। भारत के सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम, भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सदभाव की मिसाल कायम की है। इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा।

सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इस अलील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है और सर्व सम्मति से भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस अलील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है कि—

“यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक “तहरीक—ए—मुजाहिदीन” जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, सर्व सम्मति से भर्त्सना करता है।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कुछ तत्व इस प्रकार से अलील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोश भडका कर आपसी मन मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं।

हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

भारत की धरती पर हर धर्म, सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनिया के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है। भारत के सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम, भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सदभाव की मिसाल कायम की है। इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा।

सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इस अलील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है और सर्वसम्मति से भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस अलील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए

और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए” ।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ ।

(2) श्रीमती माया देवी, सदस्या, राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र भावों संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रस्ताव यह है कि—

“यह सदन श्रीमती माया देवी ‘सदस्या’ राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र भावों के प्रति भी भर्त्सना करता है ।”

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

“यह सदन श्रीमती माया देवी ‘सदस्या’ राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र भावों के प्रति भी भर्त्सना करता है ।”

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

“यह सदन श्रीमती माया देवी ‘सदस्या’ राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र भावों के प्रति भी भर्त्सना करता है ।”

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ ।



## समितियों की रिपोर्ट पे ा करना—

### (1) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 38वीं रिपोर्ट

**Mr.Speaker:** Hon'ble Members, now Sh. Rajinder Singh Bisla, Chairman, Public Accounts Committee will present the 38<sup>th</sup> Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 1989 (Civil & Revenue Receipts).

**Sh. Rajinder Singh Bisla (Chairman, Committee on Public Accounts):** Sir, I beg to present the Thirty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 1989 (Civil & Revenue Receipts).

### (2) आ वासन समिति की 25वीं रिपोर्ट

**Mr.Speaker:** Hon'ble Members, Now Sh. Mohal Lal Pippal, Chairman, Committee on Government Assurances will present the Twenty Fifth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1993-94.

**Sh. Mohan Lal Pippal (Chairman, Committee on Government Assurances):** Sir, I beg to present the Twenty Fifth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1993-94.

### (3) कमेटी आन सबार्डनित लैजिस्ले ान की 25वीं रिपोर्ट

**Mr.Speaker:** Hon'ble Members, now Sh. Hari Singh Nalwa, Chairman, Committee on Subordinate Legislation, will present the Twenty Fifth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1993-94.

**Sh. Hari Singh Nalwa( Chairman, Committee on Subordinate Legislation):** Sir, I beg to present the Twenty Fifth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1993-94.

(4) कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ ि डयूल्ड कास्टस एण्ड  
ि डयूल्ड ट्राईब्ज की 19वीं रिपोर्ट

**Mr.Speaker:** Hon'ble Members, now Sh. Mani Ram Keharwala, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, will present the Ninteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1993-94.

**Sh. Mani Ram Keharwala (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes):** Sir, I beg to present the Ninteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1993-94.

बिल्ज / विधान कार्य

(1) दि पंजाब लैण्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1994

**Mr.Speaker:** Hon'ble Members, now the Revenue Minister will introduce the Pubjab Land Revenue (Haryana

Amendment) Bill, 1994 and move the motion for its consideration.

**राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह):** स्पीकर साहब, मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने तथा अपना मोशन मूव करने से पहले इस बिल के आब्जैक्ट तथा सब्जैक्ट के बारे में थोडा सा हाउस को बताना चाहता हूँ—

दी पंजाब लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट 1887 की दफा 98 के अनुसार कई किस्म की सरकारी रकम की वसूली बतौर बकाया माल गुजारी की जा सकती है। बतौर बकाया माल गुजारी का मतलब है कि बाकीदार की जायदाद कुडकी की जा सकती है और बाकीदार को 40 दिन के लिए हवालात में रखा जा सकता है। इस दफा 98 में जिन सरकारी रकमों की वसूली बतौर माल गुजारी की जा सकती है उसकी लिस्ट बनी हुई है।

सरकार ने यह फैसला किया है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री व मन्त्रियों द्वारा 20.6.87 से 6.4.91 तक सरकारी हवाई जहाज से पब्लिक मीटिंग अड्रेस करने और प्राइवेट मकसद से सरकारी हवाई जहाज से की गई यात्राओं को प्राइवेट माना जाएगा और उन यात्राओं के लिये उनसे दस हजार रूपये प्रति घंटा के हिसाब से वसूल किया जाएगा यह भी फैसला किया गया है कि अगर प्राइवेट यात्राओं के लिये कोई टी0ए0/डी0ए0 क्लेम किया गया है तो उस रकम की वसूली भी की जाएगी। इस मकसद के लिये संबंधित मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों को उनकी ओर बकाया राशि जमा कराने के

लिये सरकार की ओर से कई पत्र भेजे गए लेकिन उनसे कोई वसूली न हो पाई। इसलिये आवश्यक समझा गया कि इस राशि की वसूली के लिये पंजाब लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट 1887 की दफा 98 में संशोधन किया जाए ताकि यह रकम बतौर बकाया माल गुजारी वसूल की जा सके। मकान बनाने के कर्जे और मोटर कार के कर्जे इसमें शामिल नहीं होंगे। यह संशोधन जनवरी 1980 से किया जाया माना जाएगा। इस संशोधन से भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों के जिम्मे जो सरकारी राशि देय बनती है उसे बतौर मालगुजारी वसूल किया जा सकेगा।

टी0ए0/डी0ए0 प्राईवेट टंक काल चार्जिज सरकारी आवास में ओवर स्टे सत्कार संगठन के प्रयोग, हरियाणा भवन में ठहराव, टूरिज्म कम्पलैक्सों के इस्तेमाल इत्यादि की कुल बकाया राशि 27 भूतपूर्व मंत्रियों के जिम्मे 555305 रुपये बनती है तथा सरकारी हवाई जहाज प्रयोग करने वाले 11 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों के जिम्मे 3442500 रुपये बकाया है।

बकाया राशि को वसूल करने के लिये यदि सिविल सूट दायर किया जाए तो यह एक लम्बी प्रक्रिया है और राज्य सरकार को प्रत्येक मामले में कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, ऐसी राशियों को भूराजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने के लिये विधेयक के अनुसार पंजाब भूराजस्व अधिनियम 1887 की दफा 98 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है—

With these words, I introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1994. I also move-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री सतबीर सिंह कादयान (नौल्था):** अध्यक्ष महोदय, सदन में जो पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल 1994 पे 1 किया गया है मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इसके एम्ज और औब्जैक्टस पर्टिकुलर पीरियड को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। इसके आब्जैक्टस और रीजंज से साफ जाहिर है कि एक विशेष पार्टी के लोगों को तंग करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। जिस डिपार्टमेंट के पैसे बनते हैं, पहले उसका प्रोविजन किजिए कि उनको कैसे वसूल किया जा सकता है। मोड आफ रिकवरी क्या होगी ? पेरेन्टल डिपार्टमेंट में उसका क्या तरीका है ?

**साथी लहरी सिंह:** स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह बिल 1980 से है और ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर हमारे खिलाफ लाया जा रहा है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सतबीर सिंह कादयान:** दूसरा मेरा कहना यह है कि जो फिस्कल अमेंडमेंट है वित्तीय अमेंडमेंट है, ये अभी से लाये जा

सकते हैं या आगे से लाये जा सकते हैं। इनको पिछले समय से नहीं ला सकते। यह सरकार कानून की धज्जियां उडाने में क्यों लगी हुई है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) यह सरकार इसको विधान सभा के सामने लाने से पहले सिलैकट कमेटी में लाती। इसके एम्ज और औब्जैक्टस को पूरे ध्यान से देखते। ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसमें कमियां न हों। देश के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अमेंडमेंट का इस समय लाने का कोई औचित्य नहीं है। हम पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध करते हैं। (गौर) यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। (गौर एवं व्यवधान) मैं मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को वापिस लें। अगर ये बिल वापिस नहीं लिया जाएगा तो कोर्ट में जाएगा और चैलेन्ज होगा। सरकार इसमें जरूर हारेगी। इसे सिलैकट कमेटी को सौंप दो।

**राजस्व मंत्री (श्री निर्मल सिंह):** उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बनाया है। इसमें बहुत से लोग हैं मोटी रकमों में जो पुरानी हैं। उन्हीं को तो वसूलना है। कोर्ट में कैसे चैलेंज हो जाएगा ? सरकार ने पैसा दिया है वह ले रही है। तो वे पैसे तो देने ही पड़ेंगे और जब साधारण आदमी को 40 दिन तक बंद रख सकते हैं तो मंत्रियों को क्यों नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दख्तास्त करता हूँ कि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1994 पास कर दिया जाए।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं तो समझता था कि सभी इसको एकमत से पास करेंगे क्योंकि सरकार चलाने वाले व्यक्ति खुद अपना बकाया नहीं देते तो जनता से रैवेन्यू वसूल करने का क्या हक बनता है ? मैं चाहूंगा कि सभी को इसको एकमत से पास करके अपना चरित्र साबित करना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the House will take up the Bill clause by clause.

### **Clause 2**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**Title**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Minister will move that the Bill be passed.

**Revenue Minister (Sh. Nirmal Singh):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994



**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Revenue Minister will introduce the Haryana Kisan Pass Book Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

**राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को इंटरड्यूस करने तथा उस पर विचार करने का मोान मूव करने से पहले इस बिल के एम्ज एंड औब्जेक्ट्स के बारे में थोडा बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि अब भी कोई गैंग बनी फिरती है। मैं कहता हूं कि दिन में तो लोग ग्रीन ब्रिगेड के लोगों को पहचान लेते हैं इसलिए वही लोग अब किसी और गैंग के नाम से बन गए हैं। कहीं कच्छा गैंग बन गई है, कहीं कहते हैं कैंटर गैंग बन गई है। वही ग्रीन ब्रिगेड के लोग दूसरे लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय अब 15 दिन के अन्दर अन्दर हम उनका इलाज कर देंगे। यदि 15 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई गैंग, कोई गुण्डा, कोई बदमाश बदमाशी करता हुआ मिल जाए तो कहना भजन लाल क्या कह रहा था। ऐसा इलाज कर देंगे कि पूरे प्रदेश के अन्दर अमन हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्रदेश के अन्दर अमन और भांति हो। यदि कोई सरकार किसी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं रख सकती तो वह कोई सरकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कि वह मुख्य मंत्री क्या है जिसका नाम रात को यदि सोये हुए व्यक्ति के सपने में आ जाए और वह बहक करके और चमक चमक करके चारपाई से नीचे न पड़े। उनकी यह बड़ी भारी बात है और बडा

नाम कमाया चौटाला साहब ने। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का मुख्य मंत्री वह होना चाहिए जिसका नाम याद आने पर आराम से नींद आ जाए और वह यह समझे कि तेरी जान माल को कोई खतरा नहीं है। तेरी इज्जत महफूज है। तेरे सामने कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप सभी रोजाना अखबारों में पढ़ते थे, रोजाना पब्लिक मीटिंग में चौटाला ने यह बात कहीं कि वह आदमी ही क्या जिसके नाम से हजारों चौक न पड़ें। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसके नाम से हजारों आदमी चौक जाएं। क्या ऐसा राज ज्यादा दिन चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के चुने हुए सेवक हैं इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सेवा करें हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम लोगों के साथ ज्यादाती जुल्म और अन्याय करें और लोगों के साथ लूट खसूट करें। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब चौधरी सम्पत सिंह हाउस में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि आप कोई सबूत बताएं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक सबूत हो तो बताएं, पूरे महाभारत की पोथी आपकी बनने वाली है। आपने जो कारनामे किए हैं उनकी महाभारत से भी बड़ी पोथी आप लोगों की बनेगी। हम किस किस का गुनाह बताएं ? यदि आपने प्रदेश के अन्दर कोई एक गुनाह किया हो तो बताएं। इस प्रदेश में सिपाही से छोटी नौकरी और क्या हो सकती है ? मेरे पास 20 लोगों के ऐफिडैविट आए हैं कि साहब पिछली सरकार ने हमारे से 30-30 हजार रूपए ले लिए और नौकरी लगाए नहीं मेहरबानी करके वह पैसे तो आप हमारे उल्टे दिलवा दें। मेरे पास ऐफिडैविट आए पड़े

हैं। मैं यह बात सच कह रहा हूँ। हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ क्या क्या बेइन्साफी की है। सिपाही की भर्ती हुई, क्लर्कों की भर्ती हुई, कंडक्टर की भर्ती हुई सभी से पिछली सरकार ने पैसे लिए। केवल यही बात नहीं ऑफिसर को भी आप लोगों ने प्रदेश के अन्दर इतना जलील करके रख दिया जिसका कोई अंत नहीं है। आप लोगों ने प्रदेश के अन्दर अपने हिसाब के ऑफिसर लगा दिए और उन ऑफिसर के जिम्मे यह लगा दिया कि आप लोगों ने इतने पैसे इकट्ठे करके हमें देने हैं। डी०सी० को कह दिया कि पांच लाख रूपए महीने के इकट्ठे करके हमें देने हैं। कुछ डी०सी० के नाम लोगों ने प्रौपर्टी डीलर रखे हुए थे जो जमीनों की लेन देन का काम करते थे। ऐसे कई डी०सी० हैं जिन्होंने पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाया और पंचायतों से प्रस्ताव पास करवा करके इन लोगों के नाम जमीन की बिक्री दिखा करके इन लोगों के नाम कर दी। ऐसे एक नहीं बल्कि कई डी०सी० हैं, फरीदाबाद में था गुडगांव में था रोहतक में था। यहीं नहीं कुछ ऑफिसर तो यह भी कहते थे कि चौधरी देवी लाल जी के चार बेटे हैं लेकिन पांचवां बेटा मैं हूँ। कोई ऑफिसर अपने आपको छटा बेटा बता देता और कोई ऑफिसर सातवां बेटा बता देता। अब हमें चौधरी देवी लाल जी से पूछना पड़ेगा कि उनके कितने बेटे हैं। हम तो मुक्ति कल में फंस पड़े हैं। कभी चौधरी देवी लाल कहते हैं कि यह ओम प्रकाश मेरा बेटा कोनी। प्रताप सिंह हमारा भाई लागै है, गैलरी में बैठा है, यो कहते हैं मैं देवी लाल का बेटा नहीं। यदि मैं एक मिनट

बाद में पैदा होता तो भायद अमरीका में पैदा होता। (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर इनके पैदा होने में एक मिनट का फर्क रह जाता तो पता नहीं ये कहां पैदा होते। खैर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से इन लोगों ने इस प्रदेश को तथा प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, जिस कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि उसे 5 लाख रूपया इकट्ठा करना चाहिए तो क्या वह सिर्फ 5 लाख रूपये ही इकट्ठा करेगा ? वह तो 10 लाख रूपये इकट्ठे करेगा और 5 लाख रूपये के बारे में आगे बताएगा। सिर्फ यही नहीं सेल्ज टैक्स वालों का क्या, फूड सप्लाय वालों का क्या डी0सी0 और तहसीलदार क्या अलग अलग पदों के रेट थे और स्टेट मन्ज बिकते थे। इस स्टेट मन्ज पर लगने के लिए इतने रूपए दो, कहीं तहसीलदार लगना है या एस0डी0एम0 लगना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां क्रॉस मन्ज की बू न आती हो। पता नहीं कैसे ये लोग सीना तान कर बोलते हैं। इन लोगों को तो लज्जा आनी चाहिए कि इनका किरदार क्या रहा है और इस प्रदेश के लोगों ने इन्हें क्या फतवा दिया है। जो इनके नेता थे वे आज कहां हैं? कहां है इनका ओम प्रकाश . . . . . ? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि कहां है इनके चौधरी देवी लाल ? मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। जो सही बात है वही कह रहा हूं। स्पीकर सर, इन लोगों ने प्रदेश में इस तरह का वातावरण बना दिया जैसे भाखडी में बान्दर चालै सै। इन्होंने ऐसा वातावरण प्रदेश के अन्दर बनाया कि सारे प्रदेश

का सत्याना कर दिया। आज ये कहते हैं कि अफसरों की बदली कर दी। क्या हम ऐसे अफसरों की बदली नहीं करेंगे जिन्हें आपने इतना करपान में डुबो दिया जिसका कोई अन्त नहीं है। ये अफसर क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जिले के सब अधिकारी करपट कर दिए। फरीदाबाद और गुडगांव इण्डस्ट्रियल एरियाज में जाते थे और कहते थे कि टर्न ओवर पर एक परसेंट हमें मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्टरीज की टर्न ओवर करोड़ों और अरबों रूपयों में होती है लेकिन इसमें घाटा भी हो सकता है। लेकिन इन्हें घाटे से कोई मतलब नहीं इन्हें तो टर्न ओवर का एक परसेंट चाहिए। स्पीकर साहब, मेरी जानकारी में है कि एक आदमी बेचारा 10 लाख रूपये लेकर आया और कहा कि मेरे पास तो 10 लाख ही बने हैं तो उसे कहा गया कि यह 10 लाख तो यहां रख दे बाकी कल लेकर आना। उससे दस लाख रूपये भी वहीं रखवा लिए कि कहीं ये भी वापिस न ले जाए। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। उस आदमी ने मुझे खुद आकर बताया था। मुझे यह तो पता नहीं है कि वह आदमी बयान दे सकेगा या नहीं क्योंकि पता नहीं उसके पास पक्का अकाउंट है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह बात औन ओथ कह रहा हूं। स्पीकर साहब, उस आदमी ने कहा साहब मैं गया और उसने कहा कि 50 लाख रूपये चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से 10 लाख रूपये का प्रबन्ध कर पाया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि ये 10 लाख रूपये वापिस ले जाओ। वह 10 लाख रूपये तो वहां रखवा लिए और कहा कि 40 लाख रूपये

कल लेकर आना। उन्हें भायद यह अन्दे गा था कि कहीं 10 लाख रूपये ले जाए और फिर वापिस ही न आए। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर मुझ में कोई कमी होती तो मैं दोबारा यहां नहीं आ सकता था। हम क्या करें, हमारे पास से ऐसे लोग प्रवास करते जा रहे थे, हम इनको ठीक करने में लगे रहते थे, इसलिए किसानों की तरफ भायद जयदा ध्यान न दे पाए हों।

### वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

#### (1) प्रो० छत्तर सिंह चौहान द्वारा—

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी माननीय चौधरी अमर सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं भी कांग्रेस में आना चाहता था। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि ये तो वह बात कर रहे हैं कि किसी आदमी का नाक कट गया, तो उसके बाद वह कहने लगा कि नाक कटने के बाद भगवान दिखाई देता है। उसकी बात सुन कर एक किसान ने नाक कटवा लिया। जब नाक कटवाने के बाद उसे भगवान नहीं दिखा तो वह कहने लगा कि कोई भगवान दिखाई नहीं देता, यह तो अपना पंथ बनाने के लिए ऐसी बात कह रहा था। इस सदन में तो वे कह दें वरना मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इधर से उधर जाने के लिए सोचा हो तो मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। (विघ्न)

#### (2) श्री अमर सिंह द्वारा—

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और राम भजन जी अग्रवाल और धर्मपाल सिंह जी भी बैठे हैं। इन्होंने दो बातें रखी थीं। एक तो इन्होंने यह भात रखी कि एजुके ान बोर्ड के चेयरमैन बीर सिंह को हटा दिया जाए और मेरे को बना दिया जाए। दूसरी भात यह रखी कि मेरे लडके को एक्साइज एण्ड टैक्से ान इंस्पैक्टर बना दिया जाए तो मैं कांग्रेस में आने के लिए तैयार हूं। आज ये अपनी भार्म उतारने की बात कर रहे हैं। अगर यह बात सही न हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ( गोर)

### **दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 (पुनरारम्भ)**

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी अमर सिंह जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। ( गोर) मुख्य मंत्री जी ने उस समय एक ऐसे आदमी को चेयरमैन लगाया हुआ था जिसने लूट मचा रखी थी।

**12.00 बजे ।**

आप ऐसे आदमी को सिकी संदूक में बंद कर दो। मुख्य मंत्री जी ने उस आदमी को बोर्ड का चेयरमैन लगाया हुआ था। वह मुख्य मंत्री जी का चहेता था ( गोर)

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आप उनके साथ हैं या मैं उनके साथ हूं, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। (विघ्न) ठीक है, कल बता देंगे कि उन्होंने क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे समय में उस हवलदार की मौत नहीं हुई। हमारे समय में तो उसके लडकी की नौकरी लगी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इन्होंने ला एण्ड आर्डर के बारे में कहा। इसके बारे में तो गुप्ता जी बता चुके हैं। इसी तरह से राम रतन जी ने नहरों के बारे में कहा। इसी तरह से नारनौल में अनाज मंडी की बात है।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि रिडयूल्ड कास्टस का जो बैकलाग है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं इसी तरह से एच0सी0एस0 की भी रिडयूल्ड कास्टस के लोगों में से भर्ती होनी चाहिए।

**चौधरी भजन लाल:** ठीक है, यह भी अभी बता देंगे। इसके अलावा, राम बिलास भार्मा जी ने पुलिस के बारे में कहा कि पुलिस का मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने हमें गा पुलिस का मनोबल ऊंचा रखा है। अगर पुलिस के खिलाफ कहीं पर कार्यवाही कर दी गयी है तो हम उसका पता लगायेंगे। इसी तरह से इन्होंने नगरपालिका के बारे में जिक्र किया कि यमुना नगर और रोहतक में यह हो रहा है, वह हो रहा है। यह बात तो ये भी जानते हैं कि यह प्रजातंत्र है, जिसका बहुमत होगा और जिसको लोग चाहेंगे, वही रहेंगा। अगर बहुमत नहीं होगा तो हटना ही पड़ेगा। सरकार कोई भी गलत काम नहीं करती जिससे आपकी पार्टी को कोई रिटायर हो। इसके अलावा, इन्होंने कहा कि यह गांव उस ब्लॉक में कर दिया, उस तहसील में



कर दिया, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम भी यही चाहते हैं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट एक ही होना चाहिए। इसके लिए अब फैसला भी हो चुका है लेकिन फिर भी इनको कहीं पर ऐसी विनियमितायत है तो हमें यह लिख कर दे दें, हम ठीक करा देंगे। (विघ्न)

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने ला एंड आर्डर की बात भी की। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने ला एण्ड आर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पिछली सरकार के समय में लोग बहुत ही दुखी थे, यह हम ही नहीं कहते हैं बल्कि सारे हरियाणा के लोग कहते हैं। अगर हम यह बात कहें कि उस समय विकास के कार्य नहीं हुए थे तो भायद लोग बर्दा त भी कर लें लेकिन इनके समय में तो लोगों का जीना ही दूभर हो गया था, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिये गये थे, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाता था। इस तरह इनके समय में लोग बहुत दुखी हो गये थे और कहते थे कि उनसे कौन सा ऐसा जुल्म हो गया है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। वे कहते थे कि जल्दी से जल्दी उन्हें इस सरकार से छुटकारा मिलना चाहिए। इस तरह से उन सभी गरीब लोगों की आवाजें भगवान के घर गयीं और लगभग साढ़े तीन साल के बाद ही प्रदेश में इलैक्ट्रान हुआ और उस इलैक्ट्रान में हरियाणा की जनता ने इनके खिलाफ फतवा दिया। स्पीकर साहब, यह फतवा ला एंड आर्डर खराब होने

की वजह से प्रदेश की जनता ने दिया था हो सकता था कोई छोटी मोटी घटना घट जाती और वह इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रदेश में बड़े बड़े डैकैत पैदा कर दिये थे, बड़े बड़े चारे पैदा कर दिये थे, बड़े बड़े ग्रीन बिग्रेड के सिपाही पैदा कर दिये थे। अब सरकार इन सभी को तलाश कर रही है। आज कोई नहीं कह सकता कि जमीनों पर कब्जे होते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला जाता है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी सौदा खरीद कर तालुके के खाते में डाले।

**डा० राम प्रकाश:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो पटवारी अपनी मर्जी से गिरदावरी काट लेते हैं तो क्या उनको पनिमेंट देने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान रखा गया है ?

**श्री निर्मल सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिमेंट तो मिलेगी ही।

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Haryana Kisan Pass Book Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the House will take up the Bill clause by clause.

**Sub-Clause (2) and (3) of Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That Sub Clause (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 2 to 15**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That clauses 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Sub-Clause (1) of Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

### **Title**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Minister will move that the Bill be passed.

**Revenue Minister (Sh. Nirmal Singh):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

### (3) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1994

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Muncipal (Amendment) Bill 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba):** Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Muncipal (Amendment) Bill 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Muncipal (Amendment) Bill 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

**प्र० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ):** उपाध्यक्ष महोदय, अभी लोकल बौडीज मिनिस्टर जी ने बिल सदन की पटल पर रखा है, वह नगरपालिकाओं से संबंधित है। इससे यह खद आ जाहिर होता है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है, वह नगरपालिकाओं को भंग करने के लिए रखा गया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** राम बिलास जी, आप बाद में बोल लेना।

**प्र० राम बिलास भार्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल मिनिस्टर साहब ने रखा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष:** ठीक है। आप सिर्फ बिल पर ही बोलें।

**प्र० राम बिलास भार्मा:** सर, यह भी बिल से जुड़ी हुई बात है। एक तरफ तो जो पार्लियामेंट में नगरपालिकाओं के बिल में संशोधन किया गया है। उसके बारे में मंत्री जी यहां पर प्रतिपादित कराना चाहते हैं लेकिन ये उसके साथ साथ एक प्रस्ताव और भी ले आए हैं कि सारी हरियाणा की नगरपालिकाओं को भंग किया जाए।

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

### वाक आउट

**चौधरी बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कुछ और बातें कहनी हैं इसलिए इनको पास करने से पहले मुझे बोलने का समय दिया जाए। ( गोर)

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के उपस्थित माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल को पास करने की इतनी जल्दी क्या है। आप हमें इस बिल पर बोलने के लिए समय दें। ( गोर) अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं देते तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूँ। ( गोर)

(इस समय माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

### दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमेंट) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)

**चौधरी धर्मबीर गाबा:** स्पीकर साहब, इस बिल पर मैं एक अमैंडमेंट मूव करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: क्या हाउस सहमत है कि अमेंडमेंट मूव कर दी जाये ?

आवाजें: ठीक है जी, मूव कर दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष: अब मन्त्री जी अपनी अमेंडमेंट मूव कर दें।

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba):** Sir, I beg to move-

That in the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994 for hte words "Nagar Panchayat" wherever occuring, the 'words' "Municipal Committee" shall be substituted."

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That in the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994 for hte words "Nagar Panchayat" wherever occuring, the 'words' "Municipal Committee" shall be substituted."

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That in the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994 for hte words "Nagar Panchayat" wherever occuring, the 'words' "Municipal Committee" shall be substituted."

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the House will take up the Bill clause by clause.

**Clause 2 to 43**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That clauses 2 to 43 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Enacting Formula**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

### **Title**

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill, as amended, be passed.

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba):** Sir, I beg to move-



That the Bill, as amended, be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

#### (4) दि हरियाणा पंचायती राज बिल, 1994

**Mr. Deputy Speaker:** Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

**Development and Panchayat Minister (Rai Bansi Singh):** Sir, I beg introduce the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Panchayati Raj Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Panchayati Raj Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी बंसी लाल (तो गाम):** उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों लि ही हमें परसों रात को मिले हैं। इनको हमें पढने का मौका ही

नहीं मिला। जब हम इसको पढ ही नहीं पाये तो बिना पढे हम क्या सुझाव देंगे। इसमें मेरा सुझाव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दियाजाए जो इस पर अच्छी तरह से विचार कर सके। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी है। हम महिलाओं के, बैकवर्ड जातियों के या हरिजन भाईयों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इसके तरीके ऐसे अख्तयार किए जाने चाहिए जिससे लोग यह महसूस न करें कि हरिजन हमारे सिर पर बैठ गया। महिला हमारे सिर पर बैठ गई। अब ये जो वार्ड बंदी करेंगे तो जो एक आरक्षण में आ जाएगा वह तो 10 साल तक आरक्षण में रह जायेगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि सरपंच का चुनाव इन्डीपेंडटली हर साल रोटे इन करके कर लिया जाये। एक बार हरिजन बन जाए, एक बार महिला बन जाए और एक दो बार जनरल या दूसरा कोई बन जाए।

13.00 बजे।

एक बात इसमें भाराब के बारे में है कि ग्राम पंचायत यदि एक बार कोई प्रस्ताव पास कर दे कि हमारे यहां पर भाराब का ठेका नहीं होना चाहिये तो फिर उसकी ओवर राईडिंग की पावर जो एक्साइज एण्ड टैक्से इन कमी इनर को दी गई, वह न हो बल्कि जो पंचायत प्रस्ताव एक बार पास कर देती है, उसको माना जाये। ओवर राईडिंग पावर्ज एक्साइज एण्ड टैक्से इन कमी नर को देने का मतलब यह होगा कि एक्साइज एण्ड टैक्से इन कमी नर को तो ठेके खोलने ही हैं, वह तो ठेके से

मुकरेगा ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात तो यह है आज सवेरे इस बिल पर अमेंडमेंट देने के लिये स्पीकर साहब के आफिस में गए तो प्रोफ़ैसर छतर सिंह चौहान जी को बताया गया कि बिल पर अमेंडमेंट कंसिड्रे इन के लिये 48 घंटे पहले आनी चाहिये। अभी तो बिल हमें मिले हुए भी 48 घंटे नहीं हुए हैं फिर 48 घंटे पहले हम अमेंडमेंट कैसे दे सकते थे। बिल हमें मिले हुए अभी 36 घंटे हुए हैं और अमेंडमेंट आप कहते हैं कि 48 घंटे पहले आनी चाहिए। आपके बिल से क्या हमें सुगन्धि आ गई थी कि इसमें यह होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको हमारी अमेंडमेंट एडमिट करके उस पर विचार करना चाहिए। हाउस में उसको कंसिड्रे इन के लिये लाना चाहिए ताकि उस पर डिबेट हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज यह है कि इसमें जो सस्पें इन की क्लोज है वह बिल्कुल हटाई जानी चाहिए। आज हरियाणा में भारी तादाद में पंच और सरपंच सस्पेंडिड है। इस बजट स्पीच में ला एण्ड आर्डर के बारे में पेज 17 पर खास तौर पर कहा गया है। इस बात को हम जरूर देख लेंगे अगर बी0एस0एफ0 को कोई आपत्ति होगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि चन्द्र शेखर जी को कोई आपत्ति होगी तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। बी0एस0एफ0 को इतने साल में जब कोई रूकावट नहीं आई तो मैं समझता हूं कि आगे भी नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है तो उसको दिखा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई मुद्दे उठे। सबसे पहले मैं महम के बारे में जिकर करना चाहता हूं। जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हैं उनको सस्पेंड किया है। सस्पेंड ही नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भुरू की है। चाहे वह भिवानी का इलैकान कांड है, चाहे वह मेहम का कांड है, जिन अधिकारियों के खिलाफ किसी दफा के तहत केस दर्ज हुआ है, सबके खिलाफ पूरी जांच करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी, उन सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। किसी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं। जहां तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है वह तो करेंगे ही लेकिन सियासी आदमियों को यदि छोड़ देंगे तो यह बात कोई अच्छी बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हैं। ये एफ0आई0आर0 हमारे समय की नहीं, इनके समय की हैं। भिवानी में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, डी0आई0जी0 खान के खिलाफ। मुकदमा नं0 147 दिनांक 22-11-89 - 307 आई0पी0सी0। इसमें धर्मवीर के खिलाफ भी है। लाला के खिलाफ भी है। एस0ए0 खान के खिलाफ भी है। (विघ्न) दूसरा मुकदमा नं0 492 है। यह दिनांक 22-11-89 का है। इसमें धर्मवीर है, उसका भाई राजवीर है और डी0आई0जी0 खान है। एक मुकदमा नं0 493 है। दिनांक 22-11-89 का 302 का है। यह धारा 148, 149 का है। इसमें चौधरी बंसी लाल जी और सुरेन्द्र सिंह जी हैं। मुकदमा नं0 108-48 दिनांक 12-11-89। इसमें चौधरी बंसी लाल जी, महेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह जी का

नाम हैं। इसके अलावा मेहम कांड में मुकदमा नं० 75 दिनांक 1-3-90 है धारा 436, 342, 148, 149 और 427 आई०पी०सी०। इसमें दोषी हैं महेन्द्र सिंह लाठर, सम्पत सिंह, जयप्रका 1 और श्री सुखदेव राज डी०एस०पी०। जिनके नाम एफ०आई०आर० में दर्ज हैं। ये एफ०आई०आर० उस समय की है जब ये गृह मंत्री थे। मेरे टाईम की नहीं है। फिर मुकदमा नं० 76 दिनांक 3-1-90 है जो जेरे दफा 302, 307, 149 और 148 है। इसमें अभय सिंह पुत्र ओम प्रका 1 चौटाला, भाम ोर सिंह, डी०आई०जी०, सुखदेव राज डी०एस०पी०। मुकदमा नं० 164 दिनांक 8-7-90 जेरे दफा 302, 307 और 120बी के तहत है। इसमें ओम प्रका 1 चौटाला, वाई०एस०नकई, करतार सिंह तोमर, जिले सिंह, बीर सिंह डी०एस०पी० और ओम प्रका 1 इन्सपैक्टर तथा प्रेम सिंह सब इन्सपैक्टर हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सरकारी औफिसर को तो एक मिनट में सस्पेंड कर दें और उनके खिलाफ कार्यवाही कर दें और सियासी आदमियों को यदि छोड़ दें क्योंकि वह सियासी आदमी हैं तो ठीक नहीं है। जहां तक कानून इजाजत देगा हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे लेकिन जो लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे चाहे वह कितना ही बडा व्यक्ति हो उसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को जो मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पर ग्रीन ब्रिगेड वालों की गोलियों से लोग मरे थे और घायल हुए थे। वह भी इन मुकदमों के साथ

भामिल करने की कृपा करें। उसमें सम्पत सिंह, जयप्रकाश और श्री तोमर भामिल हैं। पुलिस ने हमारी रिपिटिड रिक्वैस्ट के बाद भी वहां के एस0पी0, श्री तोमर ने इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया था और उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है इस बारे में मैंने सुना तो है क्योंकि हिसार मेरा अपना जिला है। वहां पर गोलियां चलने से आदमी मारे गए। उसके बारे में भी हम जरूर दुबारा जांच करवाएंगे और जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सुप्रिया कांड का भी जिक्र आया है। यह एक ऐसा कांड है जो इंसान का दिल दहलाता है। एक पुत्रवधु की जबकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर चौधरी देवी लाल खुद हों और वे मौके पर भी हाजिर हों यदि हत्या हो जाये तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है ? मैं आपको बताता हूं कि जब चौधरी देवी लाल जी अबूब भाहर में काला तीतर में ठहरे हुए थे तो उनको इस घटना की जानकारी दी गई। जहां पर वे ठहरे हुए थे वहीं पर उनको बताया गया कि आपके पोते ने आपकी बहू को मार दिया है तो वहां से चौधरी देवी लाल जी काफी गुस्से में चले और जब वे कार से उतरे तो 20 आदमी मौके पर खड़े थे और कहने लगे कि कडै है वह हरामजादा अभय सिंह, उसने हमारी बहू ने मार दियो बोल्यो (जिसने अपनी बहू को मार दिया है)। उस समय उनको पकड कर दूसरे आदमी अन्दर ले गए कि

बाहर आदमी सुन रहे हैं, घर का मामला है, मुक्ति कल हो जाएगी इसको पर्दे में रखो। फिर लोग अन्दर गए और जिन लोगों ने वहां देखा उन्होंने कहा कि साहब एक नहीं तीन तीन गोलियां चली हैं। एक गोली भी मेरे में लगी है दूसरी गोली कुछ उसको लगी और कुछ चारपाई में लगी। तीसरी गोली उसको लगी। फिर कहते हैं कि खुदक मरि कर ली। मरने वाला कभी भी 3-3 गोलियां नहीं चला सकता। एक गोली माथे में मारेगा और उसके साथ ही उसका काम पूरा हो जायेगा। वहां पर तीन तीन गोलियां चली हैं और फिर कहते हैं कि पोस्ट मॉर्टम हमने करवाया है। उसके मां बाप को रात के तीन बजे लाया गया और फिर सुबह 7.00 बजे ही दाह संस्कार कर दिया। उसका पोस्ट मॉर्टम कतई नहीं हुआ। मैं उसी के जनदीक इलाके का रहने वाला हूं। मेरी सैकड़ों रिश्तेदारी उस इलाके में है। जगदीश आनेहरा जी वहां से आते हैं। एक मेरे भाई लछमन दास अरोडा जी भी वहां के रहने वाले हैं पोस्ट मॉर्टम हुआ नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उस केस में कुछ हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि खुदक मरि अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है और जांच की जाती है कि किन हालात में खुदक मरि हुई है और इसमें कौन दोषी है। ये उसकी जांच करवाते और बताते कि उसका कोई दोष था या नहीं। जब किसी का दोष नहीं पाया जाता तो एफ0आई0आर0 कैंसिल भी हो सकती है। एफ0आई0आर0 भी दर्ज न करें और पोस्टमॉर्टम भी न करें और फिर बूढ़े मां बाप को बुला करके और उनको डरा धमका करके

अपनी बात मनवा लें। अभय सिंह का ससुर जो 80 साल का है, वह क्या करता ? उसने कहा कि कोई बात नहीं जो परमात्मा की होनी थी वह हो गई। वह देहाती आदमी है उसने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी भी दे, नहीं तो लोग कहेंगे कि जरूर मार दी ? दूसरी बेटी के साथ भी इन्होंने रिता कर लिया। लडकी की मां अभी तक कहती है कि मेरी बेटी पर बडा जुल्म हुआ है। एक आदमी के पास इसका टेप है। मैं दावे के साथ तो इस सदन में नहीं कह सकता। उस आदमी ने मुझे बताया कि उसने इसे टेप करने की कोशिश की। अभय सिंह की सास ने कहा कि मैं तो इस घर में डांगर भी कोना बैचूं। यह हमारी मारवाडी भाशा है। इसका मतलब यह है कि मैं तो इसके घर में पंजु भी नहीं बैचूं बेटी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घर में तो मेरी बेटी की इस तरह से हत्या हुई है। स्पीकर सर, अगर ये बेईमान नहीं थे या बिल्कुल दूध के धोये थे तो इन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई। इनका फर्ज बनता था कि सी0बी0आई0 से जांच करवाते। इन्हें अहसास होना चाहिए था कि "मैं प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हूं, कल को लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे इसलिए इसकी जांच सी0बी0आई0 से करवाई जाए।" मेरे खिलाफ लोगों ने मेंमोरेन्डम दिया। मैंने खुद प्रधान मंत्री जी से कहा कि मेरे खिलाफ कमीशन बिठाईये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए नहीं तो लोग भागे मचाते रहेंगे। मैंने खुद कह कर कमीशन बिठवाया था और कमीशन ने मुझे निर्दोश ठहराया। अगर इनमें हिम्मत थी तो ये



कमी न बिठाते तथा इस बात को लोगों में साबित करके दिखाते कि चौधरी देवी लाल बिल्कुल बेकसूर हैं और हम भी मान जाते। कमी न न बिठाते, सी0बी0आई0 से ही इन्कवायरी करवा लेते फिर भी हम इन्हें निर्दोश मान लेते। इनके खिलाफ करण न के और कई दूसरे सीरियस चार्जिज हैं क्या इन्होंने कहा है कि “मेरे खिलाफ कमी न बिठाईये।” अगर आज भी ये कमी न बिठाना मान लें तो फिर भी हम मान लेंगे कि ये बड़े ईमानदार हैं। स्पीकर साहब, हम साबित करके दिखाएंगे इन्होंने अपने 4 साल के भासन में किस तरह से और किस प्रकार के अन्याय और जुल्म लोगों के साथ किये हैं और किस तरीके से इन्होंने नाजायज सम्पत्ति बनाई है। सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल और किस तरह के हालात इन लोगों ने प्रदेश में पैदा किये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ किस तरह से इन के छोटे बेटे जगदीश ने खेत में रहने वाले एक गरीब आदमी की बीबी के साथ बलात्कार किया। इस बात को सारा देव जानता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा सदन बैठा हुआ है, जगदीश के बारे में पता करवा लें कि वह 24 घण्टे भाराब के नौ में रहता है। रात को पीकर सोता है और सवेरे बची हुई बोतल से नाता करता है। यह बात मैं आप को औन औथ कहता हूँ क्योंकि वह मेरे पडौस में रहता है। सवेरे नाता भाराब से करता है, फिर दोपहर को पी लेता है और भाम से फिर पीना भुरू हो जाता है। उसने उस गरीब औरत के साथ बलात्कार किया, उनको घर से नहीं निकलने दिया और फिर पुलिस वहां बैठी रही। बड़ी मुकिल से

रात को छुप कर वह वहां से निकला और जगदी । नेहरा उसको साथ लेकर मेरे पास दिल्ली आए। उस गरीब आदमी ने मुझे बताया कि उसके साथ यह बुरा हाल हुआ है। हम लोग राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति जी को हमने पूरा ज्ञापन बना कर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की कितनी मर्यादा होती है और कहां तक वह किसी मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने मामला नीचे गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने उठा कर उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया या फाड़ कर फेंक दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला चौधरी देवी लाल का खुद का जिला है लेकिन सिरसा के कितने ही पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गए और अनेक पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। ये इन लोगों के कारनामों हैं जो कहा करते थे "सारे पत्रकारों ने ही दे । आजाद करायो है" आज ये कैसी भाशा का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारों का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने पत्रकारों का यह सम्मान किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर उन्हें जेलों में बन्द किया।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती की बात भी आई। पुलिस के बारे में एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही कि पुलिस की ऐसोसिये इन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं सर्टिफिके इन आफ राईटस ऐक्ट, 1966 के अधीन पुलिस यूनियन के गठन पर पाबन्दी लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस बहुत बहादुर है और उनके कारनामों बहुत अच्छे हैं। सिपाही से

लेकर ऊपर तक हम उनको बडा भारी सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस और फौज दो ऐसे महकमें हैं जहां अगर यूनियन बनाने की प्रथा चल पडी तो मुल्क में अमन नहीं रह सकेगा और बडी मुक्ति कल खडी हो जाएगी। हमें जितने भी पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी हैं उन सबसे पूरी हमदर्दी है। अगर उनकी कोई ऐनोमली है चाहे वह वेतन में है, चाहे प्रमोशन में है या और किसी किस्म की ज्यादाती है तो हम उसको ठीक करेंगे और पुलिस कर्मचारियों को कोई गिला नहीं रहने देंगे कि उनके साथ कोई अन्याय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर हम चाहेंगे कि बहुत गहराई से विचार करना होगा। पुलिस और फौज का मामला दूसरे तरीके का है। हम इस पर जरूर गौर करेंगे और जो ठीक बात होगी वह करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और खासतौर से इस हाउस के सभी महानुभावों से कि फौज और पुलिस के मामले में हमें स्वायतता की बात नहीं करनी चाहिये ताकि वातावरण और अमन में कोई बाधा बडे। ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना चाहिये। कर्मचारियों की हालत देखकर मुझे यह भोयर याद आता है –

“याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किस को,

सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं।”

1987 में इन कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों को खतरे में डाल कर न्याय युद्ध में हिस्सा लिया था। फौज का तो हमें न

अधिकार है और न वह स्टेट के मातहत है। पुलिस की ऐसोसिएशन की बात मैंने कही है। इस सम्बन्ध में श्री धर्मवीर, जो इस प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, रिटायर्ड आई०सी०एस० हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया में कैबिनेट सैक्रेटरी रह चुके हैं, की चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया था और उस कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि पुलिस को ऐसोसिएशन बनाने की इजाजत दी जाए और चौदह प्रदेशों ने ऐसोसिएशन बनाने की इजाजत दे रखी है। लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। (विधन) अध्यक्ष महोदय, इनकी मुश्किल यह हो गई है कि ये सब को अपने जेसा ही समझते हैं क्योंकि इन्होंने हमें गलत काम किए हैं और आगे भी करते रहते हैं। मैंने हमें इनको चैलेंज किया है। चार साल तक इनका राज रहा और जब इनका राज नहीं था, तब भी इनको मेरा और मेरे दामाद का फोबिया रहता था। चार साल इन्होंने खूब जोर लगा लिया। बाल मात्र भी कोई कमी ये लोग नहीं निकाल सके। वरना क्या ये लोग भजन लाल को बकाने वाले थे? एक पेपर ने कुछ लिख दिया कि नब्बे लाख का भजन लाल के दामाद को कर्जा दिया है। पेपर लिखता है –

“हरियाणा वित्त निगम ने राज्य में मुख्य मंत्री भजन लाल के दामाद की कंपनी भानू इंडस्ट्रीज को 90 लाख रुपये का कर्ज देने का फैसला किया है। निगम के बोर्ड ने पिछले महीने की

22 तारीख को हुई बैठक में भानू इंडस्ट्रीज को 90 लाख रुपये के कर्ज देने की मंजूरी दी गई। जानकार सूत्रों के अनुसार बोर्ड की बैठक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि भानू इंडस्ट्रीज का जिन बैंकों से लेन देन है उन से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि अगर वित्त निगम इस कंपनी को 90 लाख रुपये का कर्ज देता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। इस पर निगम के प्रबन्धक निदेशक अजीत एम0 भारण ने बोर्ड को बताया कि अगर निगम भानू स्टील इंडस्ट्रीज के नाम कुछ बैंकों की काफी राशि बकाया है। भजन लाल के 1991 में दोबारा मुख्य मंत्री बनने के बाद उनके दामाद अनूप बि नोई को हिसार स्थित उद्योग समूहों को यह दूसरा बड़ा कर्ज मंजूर किया गया है। इससे पहले पिछले वर्ष भानू स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 78 लाख 15 हजार रुपये का कर्ज दिया गया था। तब भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि ने कहा था कि उनके बैंक के इस कंपनी से बकाया राशि की अदायगी करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला। प्रबन्ध निदेशक अजीत एम0 भारण ने बोर्ड को इतलाह दी थी कि भानू स्टील्ज ने बैंक को हिसार भाखा को बकाया राशि की अदायगी के बारे में अपने प्रस्तावों की जानकारी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, सब बैंको ने उन्होंने पहले पूछा, फिर लोने लेने के लिए कहा। बैंकों ने कहा कि क्या कोई संस्था दुनिया में, हिन्दुस्तान में चाहे कोई टाटा हो, बिडला हो और चाहे गवर्नमेंट हो, बगैर कर्जा लिये काम चला सकते हैं ? वित्त निगम

का काम कर्जा देना है ओर ज्यादा कर्जा अगर वह देता है तो हम उसको इनाम देते हैं कि उस निगम ने अच्छा काम किया है और इतना ज्यादा कर्जा लोगों को दिया है। अगर कोई ले के वापिस न दें और भजन लाल का दामाद कर्जा लेकर खा जाए, तो बहुत बुरी बात है। चाहे भजन लाल क्यों न हो, भजन लाल का अगर कोई दामाद है तो क्या वह चोरी करेगा, डाका डालेगा ? कोई काम करना गुनाह नहीं है। किसी किसान का बेटा अगर काम करे तो उसका तो इनको एतराज है लेकिन टाटा, बिडला, चाहे अरबों रूपया ले लें, उसका इनको कोई एतराज नहीं है ? किसी आदमी पर इलजाम लगाने से पहले आपको सोचना चाहिये था। इलजाम लगाने से पहले इनको अखबार अच्छी तरह से पढ लेनी चाहिये थी, लेकिन इन्होंने पढी नहीं। अगर ये ध्यान से पढते तो ऐसी बातें सदन में न कहते। 80-90 लाख रूपये की क्या बात है, लोग तो 100-100 व 200-200 करोड रूपये लोन लेते हैं। अगर कोई लेकर के वापिस न करे तो बुरी बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी स्टेट के अन्दर इंडस्ट्रीज लगाएगा तो उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा। किसान ट्यूबवैल्ज के लिये कर्जा लेता है। छोआ से काम करता है, उसके लिए लोन लेता है, ट्रैक्टर के लिये लोन लेता है। किसानों के लिए भी कोई नीति है, पालिसी है, उसी के तहत निगम कर्जा देती है और वह भी सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद ही निगम कर्जा देता है। अगर एक पाइ की भी गलती मेरे दामाद में निकाल दोगे तो भजन लाल देगा। मैं उन लागों में से नहीं हूँ जैसा कि इनके नेता चौधरी देवी लाल जी ने

कह दिया था कि चौधरी औम प्रकाश मेरा बेटा ही नहीं है। (हंसी) बहुत से लोग इस तरह की जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि दामाद की मेरी क्या जिम्मेवारी है, लडके की मेरी क्या जिम्मेवारी है, लेकिन अनूप बि. नोई मेरा दामाद है और मुझे उस खानदान पर फक्र है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर एक पाई की भी गलती ये लोग निकाल देंगे, निगम निकाल देगा तो भजन लाल देगा। उसको मांगने की इन लोगों को चिन्ता नहीं करनी चाहिये। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** No interuption, no discussion please.

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया है और आप ने भी सुना है। हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। ( गोर) उन्होंने उत्तर दिय है, हम पर ऐलीगे न लगाए हैं, उसका तो हमें जवाब देना ही पडेगा। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** पहले आप अपने काल अटैन्स न मो न की बात सुनें। ( गोर) आपका पहला काल अटैन्स न मो न था regarding lathi charge on peaceful demonstration by women at Kurukshetra. That has been disallow now.

**डा० राम प्रकाश:** स्पीकर साहब, मैंने कल दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे ..... ( गोर)

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ .....

**श्री अध्यक्ष:** मैंने आपको कह दिया है कि वह अंडर कंसिड्रे टान है, आप बैठिए। ( गोर)

**डा० राम प्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्कूलों और कालेजों में ..... ( गोर)

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, जब मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है तो हमें भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, बाप बैठें। (व्यवधान)

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, ये फाइनेंशियल कारपोरे टान को लूट कर खा गए हैं, इसलिए हमें भी बोलने दें। ( गोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष:** जो आपने काल अटैं टान मो टान दिया था, वह पहले अंडर कंसिड्रे टान था लेकिन अब वह डिस अलाउ किया जाता है। वह डिस अलाउ हो गया है, इसलिए आप बैठें ( गोर)

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, जो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, उस पर मैं भी कुछ क्लैरिफिके टान देना चाहता हूँ। ( गोर)



श्री सतबीर सिंह कादयान (नौल्था): जो यह पंचायती राज बिल, 1994 पे किया गया है लोगों को इस बिल के पे होने से पहले बहुत आना थी। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया कि 150 के करीब कर्मचारियों को चोटें आईं। मैंने कहा है कि इसको देख लेंगे। मैंने कोई आउट राइट इसको रिजैक्ट नहीं किया। लेकिन इस मामले में बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है क्योंकि यह मामला बड़ा सेंसिटिव है। एक मिनट में कोई बात ऐसी कह देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। चाहे फौज हमारे अण्डर न हो लेकिन यह बात सारे मुल्क की है। जब मुल्क में पुलिस की एसोसिएशन बना देंगे तो क्या फौज आपसे एसोसिएशन बनाने की मांग नहीं करेगी? स्पीकर साहब, इस मामले में बहुत सोचने की जरूरत है। हिसार में लोडिड ट्रकों की हवा निकाल दी और उनके नम्बर भी दिए हैं। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुछ फैक्टरीज के मालिक हैं। उन्होंने सेल्ज टैक्स की चोरी करने के लिए प्राइवेट ट्रक ले रखे हैं। कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जो इनके खुद के नहीं हैं और उनके बारे में कहते हैं कि ये हमारे एसोसिएट ट्रक हैं। हमारे साथ जुड़े हुए ये ट्रक हैं। ट्रक यूनियन से ट्रक नहीं निकलवाते। सीधे फैक्टरी से माल लादा और दिल्ली ले गए। रिकार्ड में उनको दिखाओ या न दिखाओ। हम ऐसे ट्रकों को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। सेल्ज टैक्स की चोरी को बचाना है जिससे कि प्रदेश की जो इनकम है उसको नुकसान न हो। टैक्स

का सवाल है उसमें हेराफेरी करने की किसी आदमी को इजाजत नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि टैक्स की चोरी करने की बिल्कुल किसी करे इजाजत न दी जाए मगर क्या मुख्य मंत्री ने हिसार की ट्रक एसोसिएशन को अधिकार दे रखा है कि टैक्स की चोरी वे बताएं और क्या ट्रक एसोसिएशन कानून के तहत किसी को मजबूर कर सकती है कि कोई व्यक्ति ट्रक लोड नहीं सकता उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कर्जा माफी का जिक्र भी आया है। यह बात ठीक है कि कुछ तो किया गया है। मुझे याद है जब यूनियन में सब को नम्बर दिखाना पड़ता है और बारी से जिसका नम्बर आ जाए वह ट्रक लोड करता है। स्पीकर साहब, इसमें भाई चारे की बात है। इसमें क्या है कि जब कोई ट्रक जाता है तो बाकायदा बिल्टी कटती है जिसको टी0आर0 कहते हैं यानि ट्रक रिसेट और उस ट्रक रिसेट को बाकायदा सैलज टैक्स वाले जब वह खत्म हो जाती है तो अपने साथ ले जाते हैं। इससे यह पता लगता है कि कौन कौन सा ट्रक लदा, किसका माल लोड हुआ और आगे किस फर्म में जाकर उतरा। उसकी चेंकिंग करते हैं कि माल यहां से गया और आगे माल उतरा या नहीं उतरा। अगर रिकार्ड ही नहीं होगा तो कारखानेदार अपना माल सीधा ही लोड करके फ़ैक्टरी से सीधा ले जाएगा। टैक्स उसका टैक्स किससे लेंगे ? बैरियर पर भी अपने ही भाई भतीजे बैठे हैं, बैरियर और किसी के थोड़े ही हैं, वे भी अपने ही हैं। जो आदमी ऐसे ट्रक लोड कर सकता है तो क्या बैरियर वालों को कुछ दे लेकर उसे टपा नहीं सकता। लेकिन हम उसको भी चैक करेंगे। जहां से ट्रक

में माल लदता है और जहां उतरता है वहां पर ट्रक को चैक होना चाहिए। बाकी की जगह पर तो देखिए कि रि वत ली जाती है और बिना काम के हैरासमेंट होती है, चीजें महंगी होती हैं, टाईम लगता है और रोड ब्लॉक होती है। स्पीकर साहब, मैं यह समझती हूं कि ट्रक वाले जो ड्राइवर्ज हैं वे भी तो हमारे ही हैं। यह हो सकता है कि किसी के पास ज्यादा ट्रक हों। ट्रक ओनर बेचारे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद ट्रक चलाते हैं। वे खुद ट्रक ओनर हैं और खुद ड्राइवर हैं और उनकी भी हैरासमेंट इतनी ही होती है क्योंकि जगह जगह विदे गों की तरह बैरियर बने हुए हैं। स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि जो बैरियर हैं ये नहीं होने चाहिये। मैं इसके अगेन्स्ट कोई दलील नहीं दे रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि सैक 14 को इतना रोजोडली लागू नहीं करना चाहिये जिससे कि किसान परे गान हों और उनके नाक में दम आ जाये। (व्यवधान व भाोर)

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में यह कहा गया है कि हम टैक्स की प्रणाली को सरल बनायेंगे। एक बात मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है। जिसने पहली बार यह काम करके दिखा दिया है कि सेल्ज टैक्स पहली स्टेज पर लगेगा। रेट्स के बारे में अर्ज यह है कि व्यापारियों के नुमाइंदे तथा यूनियन के नुमाइंदे बैठ कर आपस में रेट तय किया करेंगे ताकि किसी को नुकसान न हो और महंगाई भी न बढ़े लेकिन चोरी को रोकने के लिये तो हम उपाय करेंगे

ही, वह तो हमें करने ही पड़ेंगे। स्पीकर साहब, नारनौल के अन्दर पत्रकारों की पिटाई हुई, यह एक निन्दनीय बात है। स्पीकर साहब, इस सदन के अन्दर बुढापा पैन् इन का भी जिकर किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार ने वोट लेने के लिए 65 साल से वृद्धावस्था पैन् इन भुरु की लेकिन पैन् इन पाने के लिये जो सही हकदार थे उनको पैन् इन नहीं मिली। 55-55 साल के जो इनके चहेते थे, उनको तो पैन् इन मिली लेकिन गरीब और सही आदमियों को पैन् इन नहीं मिली। 50-55 साल के पैन् इन तो ले रहे हैं लेकिन 60-70 साल के जो बूढे हैं उनको पैन् इन नहीं मिल रही है। यमुनानगर जिले के छछरौली का एक मामला हमारे नोटिस में आया है। एक गांव में उन आदमियों को मरे कम से कम 12-12 व 15-15 साल हो गये और ये लोग उनके नाम की पैन् इन बांट रहे हैं। कौन ले रहा है, कौन अंगूठा लगाकर के ले रहा है, इसको कुछ पता नहीं है ? उस गांव के लोगों ने िाकायत की कि वहां के डी0सी0 से इसकी रिपोर्ट ले। स्पीकर साहब, इस सरकार के वक्त के डी0सी0 ने नहीं बल्कि इनकी पिछली सरकार के डी0सी0 ने इस बारे में रिपोर्ट दी। गांव के लोगों ने िाकायत की कि साहब गलत पैन् इन बांटी जा रही हैं और वे अफसर गलत अंगूठा लगवा करके पैसे अपने जेबों में डाल रहे हैं। डी0सी0 की रिपोर्ट पर उस अफसर को हमने सैस्पैन्ड किया है। इस तरह के बहुत से केसिज लोगों ने हमें बताये हैं। एक बुजुर्ग हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि मुझे पैन् इन नहीं मिल रही है। मैं और चौधरी भोर सिंह उस वक्त दोनों साथ

थे। हमने कह कि तेरी उम्र क्या होगी तो उसने कहा कि मुझे पैन्शन नहीं मिल रही, मेरा बेटा ले रहा है। इसी तरह से चौधरी बंसी लाल जी ने इन्कम टैक्स की लिमिट के बारे में जो 22 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करवाने की बात कही है उसको भी केन्द्र सरकार के साथ अवयव टेक अप करें, यह मेरी रिकवैस्ट है। मेरा प्रवायंट आफ आर्डर है। मुख्य मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। ऐसी बातें हो जाती हैं कि कम उम्र वालों को पैन्शन मिली है। स्पीकर साहब जहां आठ लाख लोगों को पैन्शन मिल रही हो, जहां इतने लोगों की संख्या इनवोल्व हो, वहां तो आप खुद जानते हैं कि अगर एक परसेंट भी ऐरर मानेंगे तो उसमें भी कितने आदमी आ जाते हैं लेकिन सरकार बाकायदा हर साल उसकी इन्कवारी करवाती थी और जब ऐसे नामों का सबूत मिल जाता था तो उनका नाम डिलीट भी किया जाता था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हैं, इतने लाखों लोगों में गलतियां रह जाती हैं। यदि कोई अफसर गलती कर देता था या कोई दूसरा कर्मचारी गलती कर देता था तो नोटिस में आने के बाद गलत आदमी का नाम डिलीट कर देते थे।

सवाल तो नीयत का है, गलती तो हो सकती है। मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। सवाल तो यह है कि इनकी नीयत कैसी थी, मरे हुए लोगों की पैन्शन लेते रहे हैं। गलती से तो एक बार कोई दूसरा आदमी ले जा सकता है लेकिन तीन साल लगातार लेते रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं

कृषि से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, कुछ सल पहले रेवेन्यू पास बुक्स किसानों के लिये बनीं। इनके लिये पांच पांच रूपये किसानों से लिये गये। मैं कहता हूँ कि करणान में कम से कम 30 परसेंट राहत मिल सकती है। यदि किसानों की पास बुक्स को बैंक पास बुक्स की तरह बना दिया जाए। ऐसा करने से जमींदारों को किसी वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा, एक और मुसीबत की बात किसानों के साथ जुड़ी हुई है। अगर उसके खेत में हजार मन कपास पैदा हो जाए, उसकी लिमिट नहीं बढ़ेगी ओर अगर वही कपास किसी फ़ैक्टरी में चली जाए तो उसकी 10 लाख 5लाख की लिमिट बन जाएगी। मेरा कहना यह है कि होलडिंग के हिसाब से लिमिट बननी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर किसान की रेवेन्यू पास बुक को, बैंक पास बुक की तरह से बना दिया जाए तो जो पटवारी किसान की खाल नोचता है, उससे छुटकारा हो सकता है किसान लीगल ऐडवाइजर से भी बच जाएगा और उसे राहत भी मिल जाएगी। अगर रेवेन्यू पास बुक, बैंक पास बुक्स की तरह हो जाएगी तो किसान जो चीज बेचेगा, उसमें दर्ज हो जाएगी, जो चीज खरीदेगा उसमें दर्ज हो जाएगी इससे उसे तरह तरह की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा और बाकायदा किसान को राहत मिलेगी। इसके इलावा, खेती की जमीन पर बहुत ज्यादा भार आ गया है, कृषि पर सारा बोझ टिक गया है। अब कृषि की 18 एकड की लिमिट है। पिछले दिनों यह होड लग गई कि कहीं यह लिमिट और न घट जाए। तारु के राज में यह नारा लग गया कि केवल

5 एकड जमीन होगी। वकीलों की चांदी बना दी और सबने बेनामी ट्रांजैक्शन करवा लिये। दो-दो, तीन तीन एकड की होल्डिंग बन गई। अब आप बताओ कि हरिजन काम करने के लिये कहां जाएगा? हरिजन के रोजगार का तो किसान के कंधों पर दारोमदार है। अगर किसान सुखी तो हरिजन दुखी। अगर किसान दुखी है तो हरिजन दुखी। दोनों का आपस में बहुत तालमेल है। हरिजन तो किसान के खेतों में ही काम करता है। अगर किसान की औलाद ही उसके अपने खेतों में काम करने की लिये काफी है तो हरिजन कहां समाएगा? इसलिये मैं कहता हूँ कि ऐग्रोबेसड इंडस्ट्रीज जो आप लगाएं, इससे जमीन पर बोझ कम होगा, जमीन की तरफ लोग कम दौड़ेंगे और दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ लोगों का आकर्षण हो जाएगा और उद्योग धंधों में वे अपना मन लगाएंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक लाख रूपया नैशनल रिडयूल्ड कास्टस कार्पोरेट्स से लोन लेकर, जिसमें 60 प्रतिशत लोन कार्पोरेट्स देती है, 35 प्रतिशत हरिजन कल्याण निगम देती है और 5 प्रतिशत मार्जिन मनी होती है। स्पीकर साहब, मेरे हिसाब से हमारे पास सैंटर का भोयर आ जाता है लेकिन स्टेट का भोयर कन्ट्रीब्यूट नहीं होता। मुख्य मंत्री जी ने क्वैशन आवर में स्वयं माना कि जमीन के भाव बहुत बढ़ गए हैं, एक लाख या डेढ़ लाख रूपए किल्ले से कम भाव नहीं है। 70000 रूपए किल्ला तो टिब्बों की जमीन का रेट हो गया है। तो कार्पोरेट्स से कह कर यह भोयर ज्यादा बढ़ाएं। आप कार्पोरेट्स से ज्यादा पैसा लें। हरिजनों

को आपने का तकारी करने के लिए जमीन जोतने के लिए और पानी देने के लिए तथा भैंस पालने के लिए 27000 रूपया दिया है। स्पीकर साहब, 27000 रूपए में दो तीन भैंसें तो आ जाएंगी लेकिन उनका रख रखाव कहां से होगा। मैं चाहता हूं कि इसको वाएबल यूनिट बनाएं ताकि रिडयूल्ड कास्टस जमीन पर टिक सकें। एजूके इन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि नकल रूकी है लेकिन उस हद तक नहीं रूकी जितनी रूकनी चाहिए थी। मैं यह कहता हूं कि ऐसा होने से जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वे क्या करेंगे। नकल करने वालों को तो बाहर से पर्ची भेज दी जाती है और वे अंदर नकल कर लेते हैं तथा 98 प्रति सैट मार्कस उनको मिल जाते हैं। ऐसा होने से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को आपत्ति है। मैं मानता हूं कि एजूके इन कन्ट्रैट सब्जैक्ट है लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रपति जी से इजाजत लेनी चाहिए। वैसे ऐसा बिल इस सैट इन में आना चाहिए था जैसा यू0पी0 सरकार ने पास किया है। इस सैट इन में अगर किसी वजह से नहीं लाया जा सकता तो अगले सैट इन में लाना चाहिए। वर्ष 1986-87 में शिक्षा मंत्री जी ने माना कि कंवारी गांव में 10 लाख 41 हजार रूपया लगा करके वहां पर हाई स्कूल तो पहले से ही था, दस जमा दो का स्कूल बनाने के लिए बिल्डिंग बनायी थी। इसी तरह से जमालपुर में। इन दोनों स्कूलों को बिल्डिंगों को 10+2 नहीं किया गया। मैं सरकार से यह उम्मीद रखता हूं कि उस एरिया की स्थिति को समझते हुए यह भीघ्न करवाया जाए। अब बच्चों को पढने के लिए भिवानी या



हिसार जाना पडता है। मुख्य मंत्री जी आपने सिवानी सब डिवीजन को हिसार में मिला लिया है लेकिन इलैक्ट्रिसिटी के हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल भिवानी में है। उसकी कंसोलीडे टन भी आज तक नहीं हुई। वहां पर टिब्बे हैं और जमींदारों की आपस में लडाई होती है। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कंसोलीडे टन जल्दी करवानी चाहिए।

**चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी):** उपाध्यक्ष महोदय, दिहरियाणा पंचायती राज बिल, 1994 पर इस सदन में चर्चा चल रही है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में 218 ब्लाज और दो रिजर्वूल्स हैं और इस तरह से यह काफी लम्बा बिल है। कल रात नौ बजे यह हमें मिला है। इसको पढने के लिए काफी समय चाहिए। इतने कम समय में इसको पढना नामुमकिन था। वित्त मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हरियाणा राज्य एक ऐसा प्रान्त बन गया है जहां पर टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। यह सब कुछ हाउस के रिकार्ड पर है। मेरे पास कापी है उसकी। कोई कच्ची बात नहीं है। यह सदन है। सदन में जो कहूंगा बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चाई से कहूंगा। नहीं तो मेरे खिलाफ प्रिविलिज मो टन ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, मैं तो रिकार्ड की बात कह रहा हूं। दे टा और प्रदे टा की जनता को पता है। मेरे पास कापी है मैं उसको लाकर दिखा दूंगा। वह रिकार्ड में है। स्पीकर साहब, उस

रिकार्ड को निकलवाकर देख लेंगे। यह आप लोगों की स्पीच है। स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की कि कानून नाम की चीज इस प्रदेश में कोई नहीं रही। रात को किसी की बहू, बहन और बेटी निकल नहीं सकती थी। फिर मण्डल कमीशन पर किस तरह का वातावरण सरकार ने बनाने की कोशिश की और बसें जलाई गईं। राम बिलास भार्गव ने कल बिल्कुल ठीक कहा। कई इल्जाम उन्होंने सही लगाए। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा, कोई गलत नहीं कहा। स्पीकर साहब, एस0पी0, डी0सी0 को कहने लगा कि तेरे को पता नहीं कि मैं सरकार का आदमी हूँ। वह कहने लगा कि सरकार का आदेश यही है। स्पीकर साहब, बनारसी दास पर हमला हुआ। मैं मिलने गया, मेरी गाड़ी जला दी। स्पीकर साहब, मुझे कोई दुख नहीं आया क्योंकि यह काम सरकार करवा रही थी। कितनी बसें जलाई गईं, कितनी बिल्डिंग्स जलाई गईं और कितने सरकार मकान जलाए गए कि गिनती नहीं की जा सकती। सरकारी प्रॉपर्टी और दूसरे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और जो नुकसान हुआ वह आपके सामने है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो वह देश और प्रदेश कैसे चलेगा? स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाकर खड़ा किया। इन लोगों ने इस प्रदेश का माहौल इतना बिगाड़ा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, इस प्रदेश का नाम सारे संसार में ऊंचा था। हरियाणा प्रदेश की लोग मिसाल देते थे। उन्होंने इस प्रदेश का नाम इतना बदनाम करके रख दिया जिसका कोई अन्त नहीं और इसका नतीजा इस

प्रदे 1 के लोगों ने इनको दे दिया। स्पीकर साहब, मैंने प्रैस में इनका बयान पढा। सम्पत सिंह कहते हैं कि नि गान बदल दिया पता नहीं कि क्या हो गया। हलधर का नि गान पता नहीं कुछ और हो गया। पता नहीं कि हमारा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतने जीत कर ये गलती से आ गए। स्पीकर साहब, इनकी पार्टी में दस तो सिर्फ एक हजार वोट से कम से कम जीतकर आए हैं, केवल दस लोग ( गोर एवं व्यवधान) हमारे दो उम्मीदवारों में से एक बेचारा तो अठतीस वोट से हारा है और एक छियासट वोट से हारा है। (विधन) एक 77 से भी हारा है। मैं कहता हूँ कि एक जिले में तो 180 से हारना बताया है। ( गोर एवं व्यवधान) इनके जो गलत कारनाम हैं वे हम जनता के सामने लाएंगे। हम लोगों की भलाई के काम करेंगे। आपकी तरह से लूट खसूट नहीं करेंगे। हम विकास के काम करेंगे और लोगों को बता देंगे कि इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रदे 1 के अन्दर हम लोग अमन और भांति लाएंगे। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे 1 जो विकास में नम्बर एक पर था जिसकी लोग मिसाल देते थे उसको इन्होंने चार साल में दसवें नम्बर पर लाकर खडा कर दिया। ( गोर एवं व्यवधान) अगली बार तो तुम्हारे में से किसी की जमानत भी नहीं बचेगी। हम प्रदे 1 के अन्दर विकास का काम करके दिखाएंगे और लोगों को बता देंगे कि सरकार ने बहुत भानदार काम किया है। चार सालों में कोई विकास का काम किया आपने ? कहीं पर कोई तरक्की की ? इस प्रदे 1 के हर गांव को पक्की सडकों से मैंने मिलाया था। चौधरी बंसी लाल जी

ने हर गांव को बिजली से जोडा था लेकिन आज बिजली की क्या हालत है, सबको पता है आज ये लोग कहते हैं कि बिजली चौधरी देवी लाल के राज में ही मिली। इस तरह का गलत प्रचार ये लोग करते हैं। क्या यह बिजली आपकी पैदा की हुई है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि बिजली पैदा करने के लिये साढे पांच साल से सात साल का समय लगता है। एक थर्मल प्लांट की आधारि ाला आज हम रखेंगे तो साढे पांच साल से पहले यदि कोई बिजली पैदा करके दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे करके घर चला जाऊंगा। जो बिजली आज मिल रही है, जो आपके राज में मिल रही थी वह सारी की सारी बिजली चौधरी भजन लाल की ही देन है। क्यों देन है, क्योंकि हमने पानीपत में 220 मैगावाट का थर्मल प्लांट चालू किया, यमुनानगर में हाईडल प्रोजैक्ट, जिससे 1200 मैगावाट बिजली पैदा होनी थी, की आधारि ाला रखी थी। उनमें से किसी को एक साल में, किसी को 6 महीने में और किसी को डेढ साल में पूरा होना था। हुआ क्या कि उस समय हमको जाना पड गया और इन महानुभावों को आना पड गया। उस समय सारे थर्मल प्लांट चालू हो गये और इनका नाम हो गया। स्पीकर साहब, गंगा ने आना था, नाम भागीरथ का हो गया। लेकिन मैं इन्हें यह कहता हूं कि ये गीता पर हाथ रखकर कह दें कि इन थर्मल प्लांटस की आधारि ाला रख कर चौधरी देवी लाल ने इस प्रदे ा को बिजली दी है तो आपका जूता और सिर मेरा। (विघ्न) श्रीमान जी बिजली साढे पांच साल से पहले बन ही नहीं सकती। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के पास यह विभाग रहा है वे बता दें कि

एक थर्मल प्लांट को बनने में कितना समय लगता है ? अगर एक थर्मल प्लांट पर दिन रात भी काम चले तो भी वह थर्मल प्लांट साढ़े पांच साल से पहले चालू नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, इनका राज पूरे चार साल भी नहीं रहा। क्या यह बिजली इन्होंने चालू की है ? यह बिजली तो हमारी देन है।

मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। जो सही बात है वही कह रहा हूँ। स्पीकर सर, इन लोगों ने प्रदेश में इस तरह का वातावरण बना दिया जैसे भाखडी में बान्दर चालू सै। इन्होंने ऐसा वातावरण प्रदेश के अन्दर बनाया कि सारे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। आज ये कहते हैं कि अफसरों की बदली कर दी। क्या हम ऐसे अफसरों की बदली नहीं करेंगे जिन्हें आपने इतना करप्शन में डुबो दिया जिसका कोई अन्त नहीं है। ये अफसर क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जिले के सब अधिकारी करप्शन कर दिए। फरीदाबाद और गुडगांव इण्डस्ट्रियल एरियाज में जाते थे और कहते थे कि टर्न ओवर पर एक परसेंट हमें मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्टरीज की टर्न ओवर करोड़ों और अरबों रूपयों में होती है लेकिन इसमें घाटा भी हो सकता है। लेकिन इन्हें घाटे से कोई मतलब नहीं इन्हें तो टर्न ओवर का एक परसेंट चाहिए। स्पीकर साहब, मेरी जानकारी में है कि एक आदमी बेचारा 10 लाख रूपये लेकर आया और कहा कि मेरे पास तो 10 लाख ही बने हैं तो उसे कहा गया कि यह 10 लाख तो यहां रख दे बाकी कल लेकर आना। उससे

दस लाख रूपये भी वहीं रखवा लिए कि कहीं ये भी वापिस न ले जाए। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। उस आदमी ने मुझे खुद आकर बताया था। मुझे यह तो पता नहीं है कि वह आदमी बयान दे सकेगा या नहीं क्योंकि पता नहीं उसके पास पक्का अकाउंट है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह बात औन ओथ कह रहा हूँ। स्पीकर साहब, उस आदमी ने कहा साहब मैं गया और उसने कहा कि 50 लाख रूपये चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से 10 लाख रूपये का प्रबन्ध कर पाया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि ये 10 लाख रूपये वापिस ले जाओ। वह 10 लाख रूपये तो वहां रखवा लिए और कहा कि 40 लाख रूपये कल लेकर आना। उन्हें भायद यह अन्दे गा था कि कहीं 10 लाख रूपये ले जाए और फिर वापिस ही न आए। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर मुझ में कोई कमी होती तो मैं दोबारा यहां नहीं आ सकता था। 4 साल इनका राज रहा है लेकिन इन्हें हमें गा यही डर लगा रहा कि अगर इनका कोई सियासी दुश्मन है तो वह चौधरी भजन लाल ही है। मेरे खिलाफ इन्हें जो नहीं करना चाहिए था वह भी कर के देख लिया जो कोई भी जांच करनी थी वह भी कर के देख ली। दरियापुर में 36 लोग उग्रवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। यह काण्ड इनका राज बनते ही हुआ था। श्रीमान चौधरी देवी लाल जी यहां पर खड़े होकर क्या कहते हैं ? उन दिनों बनारसी दास गुप्ता जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल वे हमारी पार्टी में हैं। सच्चाई कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने यहां पर

खडे होकर कहा कि यह चौधरी भजन लाल का काम है, इन 36 लोगों के मरवाने में चौधरी भजन लाल का हाथ है। श्रीमान सम्पत सिंह जी ने कहा कि जब हमें पता नहीं चला तो चौधरी भजन लाल को कैसे पता चला और वे सबसे पहले वहां पर कैसे पहुंचे। अरे भाई, मेरा वह जिला है, मेरा गांव है, मेरा घर है तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा ? स्पीकर साहब, मेर गांव का सरपंच बेचारा उस बस में था। फतेहाबाद से मेरे भाई के लडके का टेलीफोन आया कि महमूदपुर गांव का सरपंच उन 36 आदमियों में है जो मारे गए हैं। आप जानते हैं कि दरियापुर फतेहाबाद के पास है। केवल दस किलोमीटर दूर है। ज्यों ही कोई आदमी बस को चलाकर अस्पताल में लाया, सारा भाहर वहां इकटठा हो गया। मेरे पास साढे दस बजे या दस बजे रात को टेलीफान आया। मैंने राजीव गांधी को टेलीफोन किया और कहा कि ऐसा वाक्या हो गया है। छत्तीस आदमी मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए हैं। राजीव गांधी ने मुझे आदे ा दिया कि भजन लाल फौरन मौके पर जाओ। मैं वहां से साढे दस ग्यारह बजे चला और डेढ दो बजे के करीब फतेहाबाद पहुंचा। ये श्रीमान जी कहते हैं कि भजन लाल को कैसे पता लग गया। भजन ला ने उनको मरवाया है इसलिए वह पहुंच गया। स्पीकर साहब, क्या मरवाने वाला सबसे पहले कहीं पहुंचता है ? यह कोई कायदे की बात है ? स्पीकर साहब, आगे ये कहते हैं कि उनको छडियों, दे ि रिवाल्वरों से मारा गया। मैंने कहा कि खुदा के वास्ते कुछ तो अकल की बात करो। कल को अगर वे असली मुलजिम पकडे जाएं, वे उग्रवादी पकडे जाएं तो उनकी कैद

कौन करेगा। स्पीकर साहब, जब प्रदे 1 का मुख्य मंत्री यह कहे और प्रदे 1 का होम मिनिस्टर यह कहे कि दे 11 पिस्तौल और छड़ियों तथा लाठियों से लोग मारे गए थे तो क्या कोई मुलजिमां की कैद कर देगा ? इनकी अकल का तो ऐसा दिवाला निकला हुआ है। ऐसा करने से इन विधवाओं की प्रोब्लम ही खत्म हो जायेगी और उनको काफी लाभ मिलेगा क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। लोगों के ऊपर इसका उत्तरादायित्व है। इस कारण से यह जो सस्पैन्शन की क्लोज है वह कतई तौर पर डिलीट होनी चाहिये। ये जो दो तीन सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर बड़ी अच्छी तरह से विचार करेगी और इसकी अमली जामा पहनाया जाना भी चाहिये।

**प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में जो प्रस्ताव आया है, उस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्य मंत्री महोदय ने नगरपालिका के बिल पर बोलते हुए साफ कह दिया था कि यह राजीव गांधी जी की इच्छा थी। कांग्रेस सरकार इसको औपचारिकता के तौर पर, रस्म अदायगी के लिये पंचायत राज बिल लाकर करना चाहती है क्योंकि इसको केन्द्र ने पास कर दिया है। कांग्रेस के समय में बिजली की क्या हालत थी और अब क्या हालत है इसका भी सभी को अच्छी तरह से पता है। इस समय किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार की जो सही बात है उसे सभी को मान लेना चाहिए। अगर किसी बात पर कोई



कमी सरकार की तरफ से रह गई है तो उसे भी सरकार ठीक करने के लिए तैयार है। बिजली के मामले में आज हमारे गांवों की हालत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी ने कर्जा माफी करने की घोषणा करके एक मिसाल सारे हिन्दुस्तान में कायम की और 266 करोड़ रुपये के कर्जे करीब 10.50 लाख लोगों के माफ हुए। इसी तरह से हमारी सरकार ने लोगों को बुढापा पैँ न देना भुरु किया है और किसानों की जिन्सों के भाव पहले से अधिक दिए हैं। हरिजन महिलाओं को पहला और दूसरा बच्चा होने पर 300 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से हरिजन चौपालें हर गांव में बनाई जा रही हैं और लडकों के स्कूलों के लिये डबल मैचिंग ग्रांट और लडकियों के स्कूलों के लिये तीन गुणा मैचिंग ग्रांट सरकार की तरफ से दी जाती है। इसी प्रकार से सरकार इस बात के लिये भी प्रोत्साहना की पात्र है कि ओला वृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा अब किसानों को मिलने लगा है। यह काम आज से पहले किसी सरकार ने भुरु नहीं किया था। इस सारे काम का श्रेय चौधरी देवी लाल जी को जाता है। जो भी काम हुए हैं मैं समझता हूँ कि उसका ठीक प्रकार से प्रचार नहीं हुआ और सरकार को जो योर्न अपने कामों का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। या तो पब्लिक रिलेयन्स डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक प्रचार नहीं हुआ या हमारी आपसी तालमेल की कमी रही है। जिसकी वजह से हमारी सारी स्कीमों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। हम जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं अगर हम

सभी पब्लिक के साथ इन टच रहे तो अच्छा है। अगर हर डिपार्टमेंट में रोस्टर रजिस्टर मेनटेन कर दिया जाए, इसके बार में एक पौलिसी बना दी जाए कि हर हालत में रोस्टर मेनटेन किया जाए। स्पीकर साहब, रिजर्व्ड कास्ट को इग्नोर करने के लिए एडहौक बेसिज पर रिक्लूटमेंट करनी भुरु कर दी। पिछले दिनों पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर ने बताया कि भाोर्टफल है और हम एस0एस0एस0 बोर्ड का इन्तजार कर रहे हैं। जब उसकी लिस्ट आएगी तो हम भाोर्टफाल पूरा करेंगे। कोई टाईम बाउन्ड पौलिसी बना दी जाए कि इतने समय के अंदर जो भाोर्टफाल है वह पूरी कर दी जायेगी। स्पीकर साहब, एक बार ज्वायंट पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने देखा कि रिजर्व्ड कास्टस की भाोर्टुाल पचास परसेंट है तो उन्होंने आदे ा दिए कि भविश्य में पचास परसेंट रिजर्व्ड कास्ट की भर्ती होगी और इस तरह से भाोर्टफाल को पूरा किया। स्पीकर साहब, यहां पर नारनौल की बात आई। मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इस बात की वेरिफिके ान करा लें कि नारनौल में केवल हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती के लिए एलान किया गया था। वहां पर पचार हजार लडके चले गए। वहां पर कई ऐक्सीडेंट हुए। दो चार आदमी वहां पर सीरयसली जखमी हुए लेकिन यह वजह देना कि सूटेबल कैंडीडेटस नहीं थे, यह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, सभी डिपार्टमेंटस का यही हाल है। यह तो हुई सर्विसिज की बात। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों को जो दो लाख रिहाय ि प्लाट दिए गए थे उन पर तो एक दौर ऐसा आया कि

दूसरे लोगों ने ही कब्जा कर लिया। उनको वे प्लाट मिले ही नहीं और हरिजनों की पापुले इन बढने के बाद जो उनको नए प्लाट दिए जाने थे वे रूक गए। स्पीकर साहब, तीस परसेंट प्लाटों पर नाजायज कब्जा है। हर जिले में यही हालत है। मुख्यमंत्री जी आप इस बारे में हर जिले के डिप्टी कमि नर से रिपोर्ट मंगवा लें। स्पीकर साहब, सरप्लस जमीन की भी एक कहानी बन गई है। सरदार प्रताप सिंह जब मुख्य मंत्री होते थे तो उस समय मैंने कहा था कि कंसोलिडे इन का सिस्टम गलत है। जब कंसोलिडे इन हो तो सरप्लस जमीन का एक कुर्रा बनाया जाता है। एक कुर्रा अगर बनाया जाए तो उन हरिजन लोगों को एक जगह अलौटमेंट हो सकती है। कहीं दो एकड है, कहीं चार एकड है। अगर वह कब्जा भी ले ले तो कैसे उसको पानी मिलेगा और कैसे रास्ता मिलेगा ? इसलिए सरप्लस की कहानी बिलकुल गलत है।

एस0वाई0एल0 पानी के बारे में हर विधायक और सरकार बहुत ही चिन्तित हैं कोई भी व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, हर विधायक यह मांग करता है कि जिन माईनरों के फाउन्डे इन स्टोन रखे गये हैं उनका काम जल्दी पूरा किया जाए और यह कहा गया है कि माईनरज के लिए पैसा नहीं रखा गया है अध्यक्ष महोदय, अगर पानी नहीं आया तो नई माईनरज बना कर क्या करेंगे ? माईनरज बन जाएं और उनमें पानी न आए तो उनको कोई फायदा नहीं है। टेल पर पानी पहुंचाने के लिए एक करोड रूपया खर्च किया गया। हरियाणा के

75—80 प्रति शत लोग यह मानते हैं कि टेल पर पानी पहुंच रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जब तक एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में नहीं आएगा, तब तक मॉर्नरज पर ज्यादा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। एस0वाई0एल0 के बारे में विरोधी पक्ष के भाई चाहे कुछ भी कहें, सरदार बेअन्त सिंह की पंजाब की जनता को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन हरियाणा की यह वर्तमान सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा के किसानों को देगी, जिससे किसान के खेत को पानी मिलेगा, हरियाणा की एक एक एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। (विघ्न) मंत्री जी फरमा रहे हैं कि यह सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा को देगी। बजट में इसके लिए इन्होंने कोई खास पैसे का प्रावधान नहीं रखा है। यह एस0वाई0एल0 का पानी कब और कैसे लाएंगे, यह भी जरा बताने की कृपा करें। इस सरकार को बने अभी 18 महीने का अर्सा ही हुआ है। 4 साल इनकी सरकार रही जिसमें भार्मा जी खुद मंत्री रहे और बाद में मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए थे। (विघ्न) अमर सिंह जी भी कह रहे थे कि चौधरी बंसी लाल जी ला सके और नहीं यह लोग ला सके। हालांकि हर कोई इस पानी को हरियाणा में लाना चाहता है। लेकिन केवल चाहने से ही तो कोई काम नहीं हो जाता है। एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में लाना केवल हमारे हथ की ही बात नहीं है, आज हम ही चिन्तित नहीं हैं केन्द्रीय सरकार भी चिन्तित है। पंजाब में उग्रवाद हावी होने के कारण जब भी इस नहर को बनाने का काम

भुय होता था तो उग्रवादियों ने कभी इंजीनियरों को मार दिया, कभी वर्करज को मार दिया कभी लेबर को मार दिया और भारत सरकार जो भी फैसला करती थी वह सिरे नहीं चढ पाता था। लेकिन अब दे 1 के प्रधानमंत्री, इरीगे 1न मंत्री और हरियाणा सरकार इस बारे में कई मीटिंगे कर चुके हैं। इस काम में कुछ टाईम तो लगैगा ही एक दो दिन में यह काम होने वाला नहीं है। मुझे पूरा वि वास है कि हरियाणा की जनता ने जिस वि वास के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, यह सरकार अपने कार्यकाल में ही हरियाणा की जनता को एस0वाई0एल0 का पानी उपलब्ध करवाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अभी वे माईनरज के लिए ज्यादा पैसे की तरफ ध्यान न दें। जहां तक एस0वाई0एल0 के लिए 20 करोड रूपये का ताल्लुक है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही इस बारे में कोई फैसला हो जाएगा, नहर खुदनी भुरू हो जाएगी हम सप्लीमेंटरी बजट मंजूर करवा सकते हैं और इस सप्लीमेंटरी डिमांड के लिए कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। 20 करोड रूपया हमने इसलिए रखा है कि कभी भी एमरजेंसी में एस0वाई0एल0 का काम भुरू करना पड सकता है तो पैसा कम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, हमें चाहे कितना ही पैसा क्यों न रखना पडे हम एस0वाई0एल0 का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की मैजोरिटी है इसलिए यह बिल पास हो जाएगा। इनको यह बिल पास करना है क्योंकि इनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन इस बिल के पास होने से

कम्पलीके ांज बढ जाएंगी, गांवों में झगडे बढेंगे। जो सरकारी तंत्र है बी0डी0ओ0 और डी0सी0 वगैरह, पंचायतों के चुने हुए नुमायंदों को उनके रहमोंकरम पर छोड दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरवीन करना चाहूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में थोडी सी आपत्ति जाहिर की है। उपाध्यक्ष महोदय, या तो उन माननीय सदस्यों ने इस बिल को अच्छी तरह से पढा नहीं या वे इसकी तक में नहीं गए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही भानदार बिल है और दे ा में सबसे पहले हरियाणा प्रदे ा इसको लागू करने जा रहा है। आज हमारी बीच में राजीव गांधी जी नहीं हैं। उन्होंने इस बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने इसके बारे में नार्दन इंडिया और साउथ में सम्मेलन किए थे। उन्होंने पंचायतों के मैम्बर्ज, पंचायत समितियों के चेयरमैनो, जिला परिशदों, म्यूनिसिपल कमेटियों, महिलाओकं और हरिजनों के अलग अलग सम्मेलन करनके उनकी एक एक बात को सुन करके बाकायदा उनकी कमेटी बनाई और उनके जो जो सुझाव आए उन सुझावों पर बहुत गहराई के साथ विचार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मैं आपकी मेहरबानी से कृशि मंत्री था और इत्तफाक से यह महकमा मेरे पास था और इस बिल को पार्लियामैंट में पे ा करने का मौका मुझे ही मिला था। उस समय पार्लियामैंट में सभी मैम्बर्ज साहेबान ने चाहे वे अपोजि ान के थे इसकी बडी तारीफ की थी। पार्लियामैंट में यह बिल पास हो गया

लेकिन राज्य सभा में यह बिल दो वोटों से हार गया क्योंकि राज्य सभा में हमारी पार्टी की मैजोरिटी नहीं थी। इस बिल की बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद दूसरी सरकारें आई, उन सरकारों ने भी इस बिल को चेंज नहीं किया। जैसा हमने बनाया था वही बिल है। यह लोकसभा और राज्य सभा दोनों ने पास कर दिया है और हमारे से इसकी रैटीफिकेशन पहले ही हो चुकी है। इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है यह बहुत ही भानदार बिल है। इसकी सभी महानुभावों को तारीफ करनी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी इस बिल के बारे में बोले थे अब वे हाउस में नहीं बैठे हैं। अगर हाउस में होते तो मैं उनको उनकी बातों का जवाब देता। उन्होंने एक बात यह कह दी कि सरपंचों को सस्पेंड कर देते हैं और कह दिया कि बहुत से सरपंच सस्पेंड किए हुए हैं। आज की सरकार कोई गलत काम नहीं करती। यदि किसी सरपंच की शिकायत होती है तो पहले उसकी जांच की जाती है, उसकी इंक्वायरी की जाती है। अगर इंक्वायरी में कोई सरपंच दोषी पाया जाए तो उसको सस्पेंड किया जाता है। यदि बिना इंक्वायरी किए किसी सरपंच को सस्पेंड कर दें तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी है और हाई कोर्ट एक सैंकिंड में स्टे दे देती है जिससे सरकार की बदनामी होती है। सरकार ऐसा कोई गलत काम नहीं करती जिससे उसकी बदनामी हो। (विधन) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उन लोगों के नाम नहीं बताए। मैं नाम भी बता देता हूँ। राहमेर, फूल सिंह एव चतरू ये तीनों जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और मैं पूरे एफ़ीडेविट के साथ सदन में कह रहा हूँ जो बाल्मीकी मरा है

वह मेरा इलैक्ट्रॉनों में सपोर्टर और वोटर रहा जबकि यह तीनों मुल्जिम हमें आगे मेरे खिलाफ रहे, कभी मेरे हक में नहीं रहे और मैंने अपने हल्के में कभी किसी बदमाश चोर को पनाह नहीं दी और आज मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे हल्के में किसी की कब्जा करने की हिम्मत नहीं है न किसी बहू बेटी की इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत पड सकती है। मैं वो गुप्ता नहीं हूँ जिसका हरियाणा भवन में पीट कर इस्तीफा ले लिया था।

सम्पत सिंह जी, मैं वह गुप्ता नहीं हूँ जिससे नोट भी लेते हैं और वोट भी लेते हैं और फिर पीटकर उससे इस्तीफा ले लेते हैं। मैं वह गुप्ता हूँ जिसकी रगों में भोरे पंजाब लाला लाजपतराय का खून दौड़ता है, जिसके भारीर के अंदर महात्मा गांधी का खून है। मैं आपके दबाव से चलने वाला नहीं हूँ। मैंने तो हमें आगे आपका मुकाबला किया है और आगे भी जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। स्पीकर साहब, अमर सिंह ने हरिजनों की चर्चा की। उन्होंने चौपालों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार ने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों का विशेष ध्यान रखा है। सर्विसिज के अंदर इनकी सरकार ने जो बैकलोग छोड़ दिया था उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। यह बैकलोग चाहे पुलिस में था, चाहे किसी नौकरियों में था, हमने उस बैकलोग को पूरा किया है। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लडकों को नौकरी दी जा रही है। इनके राज में जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया जा रहा है। चौपालों के बारे



में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने चौपालों के लिए पचास हजार रूपया कर दिया है जो पहले पच्चीस हजार होता था और मुरम्मत के लिए हमारी सरकार ने पच्चीस हजार रूपए किया है। हरियाणा सरकार सभी चौपालों को, चाहे वह धानकों की है चाहे चमारों की है और चाहे वह खटीकों की चौपाल है सबको पूरा करेगी। कोई चौपाल अधूरी नहीं रहेगी सबको पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गांवों में सेनीटे इन के लिए एक नई स्कीम के द्वारा एक लाख भौचालय हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। मल उठाने की जो पुरानी प्रथा थी, उसको जल्दी ही खत्म किया जा रहा है। बाल्मीकी जो पहले मैला उठाते थे, अब भविश्य में मैला नहीं उठाएंगे।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये सरपंच या पंच की सस्पेंशन किस प्रकार से रोकेंगे।

**चौधरी भजन लाल:** बाकायदा इंकवायरी करके हम कोई अगला कदम उठाएंगे। अगर कहीं पर किसी संस्था को सुपरसीड करेंगे तो वहां पर अगले छः महीनों में फिर चुनाव करवा देंगे।

**प्रो० छत्तर सिंह चौहान:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि सरपंच या पंच कोई नौकर नहीं हैं। वह भी हमारी ही तरह जनता का चुना हुआ नुमांइदा है। जिस तरह से एम०एल०ए० या एम०पी० को चुने हुए प्रतिनिधि हैं

उनको कोई नहीं हटा सकता उसी प्रकार से इनको भी नहीं हटाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है।

**चौधरी भजन लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने के लिये यह नया कानून बना रहे हैं ताकि पंचायतों को विकास के अधिक अधिकार दिए जा सकें। सारी विकास की योजनाएं बजाए चण्डीगढ़ में बनने के वे खुद बनाएं और उस पर काम करें। गांव की जो तकलीफ होती है उसको गांव के पंच सरपंच अधिक जानते हैं। इसलिए उनको ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय यहां पर एक बात कह दी कि कर्नाटक, तमिलनाडु जैसी पावर पंचायतों को होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सारे देश के अंदर एक जैसा कानून बनने जा रहा है कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होने जा रहा। भार्मा जी ने एक बात कह दी कि जिनके दो बच्चों से ज्यादा होंगे वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से यह कानून लागू होगा उसके एक साल बाद से जिस व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तब यह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसलिए इस कानून के लागू होने तक आप चाहे जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लें।

**प्रो० राम बिलास भार्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं सी०एम० साहब कहां से पढ कर बता रहे हैं हो सकता है कि इनके पास दूसरा बिल हो लेकिन हमारे पास जो बिल है उसमें (ड) में लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों जिनके, यह अधिनियम लागू होने की तिथि से एक वर्ष के पचास दो जीवित बच्चों से अधिक हों को प्रत्येक स्तर की पंचायत के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करना। अब पता नहीं सी०एम० साहब कहां से पढ रहे हैं।

**चौधरी भजन लाल:** कब से, एक साल बाद। यानि कानून के लागू होने के एक साल बाद जिस व्यक्ति के बच्चे पैदा होंगे और दो से ज्यादा बच्चे जीवित होंगे उस पर पाबंदी होगी। इस समय के बच्चों पर यह पाबंदी नहीं है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) दूसरे ये 500 की आबादी की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पंचायतें बनी हुई हैं, उनमें कुछ पंचायतें 500 की आबादी पर बनी हुई हैं। हमने उन पंचायतों को ज्यों का त्यों रखा है। अगर ऐसा न रखते तो सारी पंचायतें जो ऐसी हैं वे टूट जाती, उसकी इन्होंने तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत भुक्रिया। जहां तक पैसे का ताल्लुक है, उसके लिए पंचायतों को बाकायदा ग्रांट मिलेगी। फाईनैस कमिशन देख कर फैसला करेगा और उसके मुताबिक बाकायदा उसको ग्रांट मिलेगी ताकि पंचायतें ठीक तरीके से काम कर सकें। महिलाओं की भागीदारी के बारे में इन्होंने कह दिया कि 50 प्रतिशत होनी चाहिए, महिलाएं 30 प्रतिशत क्यो। पहले 30 प्रतिशत तो होने दीजिए (विघ्न) अध्यक्ष

महोदय, दूसरी बात इन्होंने यह कह दी कि मैम्बर्ज कैसे होंगे। इसमें कम से कम 6 मैम्बर्ज और अधिक से अधिक 20 मैम्बर्ज होंगे। चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि सरपंचों के चुनाव डायरैक्ट नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव डायरैक्ट नहीं होंगे तो स्पीकर साहब, मुक्ति कल होगी। एक सरपंच अगर पंचों में से बनता है और किसी पंचायत के सात मैम्बर्ज हैं तो एक सरपंच बन जाने से छः मैम्बर्ज रह गए। उन छः मैम्बरों में से जिस दिन 4 एक तरफ हो गए उसी दिन सरपंच बदलेगा और कोई काम होने का सवाल ही नहीं। इसलिए जब तक सरपंच टिकाऊ नहीं होगा वह काम क्या करेगा। इसलिए सरपंच के डायरैक्ट चुनाव का प्रावधान हमने किया है। जो वार्ड बनेंगे बाकायदा पूरे गांव में बनेंगे और जो पंच बनेंगे पूरे गांव की आकादी के बनेंगे। उसी तरह से वार्ड बनेंगे जैसे जिला परिशद के हैं, नहीं हो क्या होता है कि पंचायत समिति का मैम्बर सारे हल्के से वोट लेकर बनता है और एक एम0एल0ए0 से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है। आबादी के हिसाब से 4 हजार की आबादी पर मैम्बर बनेगा और कोई प्रोब्लम नहीं होगी तथा खर्चा भी थोड़ा होगा। इसके साथ ही सारे इलाके को नुमाइंदगी मिलेगी। नहीं तो क्या होता है कि एक गांव के तो 6 मैम्बर्ज बन जाते हैं और 10 गांवों से एक भी मैम्बर नहीं बन पाता है। इसलिए वार्ड बनाए गए हैं ताकि नुमाइंदगी का मौका सभी को मिले। जो वार्ड बनाए गए हैं उनसे खर्च भी कम होगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल वजनदार है कि पंचायत समितिज की मीटिंग में एम0एल0ए0 बाकायदा बैठेगा और उसको वोट देने का

अधिकार होगा लेकिन जिला परिशद में उसको अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में अभी इस बात की अमेंडमेंट ला रहे हैं कि एम0ए0लए0 जिला परिशद का भी मैम्बर माना जाएगा और वह जिला परिशद की मीटिंग में जाएगा। एम0एल0ए0 और एम0पी0 जिला परिशदों और पंचायत समितियों में दोनों जगहों पर तसब्बर किए जाएंगे, यह अमेंडमेंट भी अभी आपके सामने हम ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो मोटी मोटी बात थी उसका जवाब मैंने दे दिया है। यह बिल बहुत ही सुन्दर बना है सभी महानुभावों को इसकी इज्जत और कद्र करनी चाहिए ताकि 80 फीसदी आबादी जो गांवों में बसती है उनको अधिकार दिया जा सके। इससे गांवों का विकास होगा। जब गांवों का विकास होगा तभी दे ा का विकास होगा। हम चाहते हैं कि गांवों का विकास पंचायतों के द्वारा हो ताकि हमारा दे ा और भी आगे बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। जो मोटी मोटी बात मैंने कहनी थी वह कह दी है।

**विकास तथा पंचायत मंत्री (राव बंसी सिंह):** स्पीकर साहब, मैं कुछ क्लोजिज पर अमेंडमेंट्स प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Panchayat Raj Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: क्या हाउस सहमत है कि अमेंडमेंटस प्रस्तुत कर दी जाएं।

आवाजें: ठीक है जी, कर दें।

श्री अध्यक्ष: अब मन्त्री जी अमेंडमेंटस प्रस्तुत करेंगे।

**Development and Panchayats Ministe (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to present-

1. That in the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill), in sub clause (xxxiii) of clause 2 for the words "Nagar Panchayat", the words Municipal Committee shall be substituted.

2. That in clause 12 of the said Bill, for the words, "Shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

3. That the sub clause (6) of clause 18 of the said Bill, for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

4. That in item (a) of sub clause (1) of Clause 51 of the said Bill, for the words "Director", the words "Director of Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

5. That in sub clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis" the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

6. That in sub clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "competent authority" shall be substituted.

7. That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of People" and before the words, "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

8. That in sub clause (2) of clause 120 of the said, Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

9. That in sub clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118", the figures "121" shall be substituted.

10. That in item (a) of sub clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

11. That in sub clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

**Mr. Speaker:** Now, the House will consider the Bill clause by clause.

### **Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That sub clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

## **Clause 2**

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in Sub clause (xxxiii) of clause 2 the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill for the words "Nagar Panchayat", the words Municipal Committee shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion move-

That in Sub clause (xxxiii) of clause 2 the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill for the words "Nagar Panchayat", the words Municipal Committee shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in Sub clause (xxxiii) of clause 2 the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill for the words "Nagar Panchayat", the words Municipal Committee shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

## **Clauses 3 to 11**



**Mr. Speaker:** Question is-

That clauses 3 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 12**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in clause 12 of the said Bill, for the words, "Shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion move-

That in clause 12 of the said Bill, for the words, "Shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in clause 12 of the said Bill, for the words, "Shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 12, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clauses 13 to 17**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clauses 13 to 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 18**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That the sub clause (6) of clause 18 of the said Bill, for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion move-

That the sub clause (6) of clause 18 of the said Bill, for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the sub clause (6) of clause 18 of the said Bill, for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 18, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 19 and 20**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 19 and stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 21 to 30**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 21 to 30 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 31**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Sarvshri Bansi Lal, Chhattar Singh Chauhan, Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, members from the Opposition Benches. Now, Shri Chhattar Singh Chauhan may move the amendment.

**Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Sir, I beg to move-

(1) that in proposed clause 31, the sub clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

**Mr. Speaker:** Motion move-

(1) that in proposed clause 31, the sub clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

**Mr. Speaker:** Question is-

(1) that in proposed clause 31, the sub clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

The motion was lost.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 31, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 32 to 50**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 31, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 51**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Sarvshri Bansi Lal, Chhattar Singh Chauhan, Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, members

from the Opposition Benches. Now, Shri Chhattar Singh Chauhan may move the amendment.

**Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Sir, I beg to move-

(1) That in the proposed clause 51, the sub-clause (1) (2) and proviso thereunder be deleted.

**Mr. Speaker:** Motion move-

That in the proposed clause 51, the sub-clause (1) (2) and proviso thereunder be deleted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in the proposed clause 51, the sub-clause (1) (2) and proviso thereunder be deleted.

The motion was lost.

**Mr. Speaker:** I have also received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in item (a) of sub clause (1) of Clause 51 of the said Bill, for the words "Director", the words "Director of Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in item (a) of sub clause (1) of Clause 51 of the said Bill, for the words "Director", the words "Director of Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in item (a) of sub clause (1) of Clause 51 of the said Bill, for the words "Director", the words "Director of Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 51, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 52 to 58**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 52 to 58 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 59**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in sub clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis" the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in sub clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis" the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in sub clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis" the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 59, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 60 to 62**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 60 to 62 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 63**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in sub clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "competent authority" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in sub clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "competent authority" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in sub clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "competent authority" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 63, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 64 to 117**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 64 to 117 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 118**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.



**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of People" and before the words, "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of People" and before the words, "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of People" and before the words, "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 118, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 119**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 119 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 120**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in sub clause (2) of clause 120 of the said, Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in sub clause (2) of clause 120 of the said, Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in sub clause (2) of clause 120 of the said, Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 120, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 121 & 122**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 121 & 122 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 123**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in sub clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118", the figures "121" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in sub clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118", the figures "121" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in sub clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118", the figures "121" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 123, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 124 & 159**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 124 & 159 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 160**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in item (a) of sub clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in item (a) of sub clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in item (a) of sub clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 160, stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 161 & 202**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 161 to 202 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 203**

**Mr. Speaker:** I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That in sub clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in sub clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

**Mr. Speaker:** Question is-

That in sub clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 203, stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Clause 204 & 218**

**Mr. Speaker:** Question is-

That clause 204 to 218 stand part of the Bill.

The motion was carried.

### **Schedule I**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Schedule I be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

### **Schedule II**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Schedule II be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

### **Sub-Clause (1) of Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Sub clause (1) of Clause 1 stand part of the  
Bill.

The motion was carried.

## **Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

## **Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now the Development and Panchayat Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

**Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh):** Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां):** स्पीकर साहब, जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तब मैं इंटरवीन करना चाहता था लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पंचायती राज बिल में अमेंडमेंट की गयी है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह

यह इलैक्ट्रॉन नहीं लड सकेगा। क्या यह औरतों पर भी ऐप्लीकेबल है ?

**चौधरी भजन लाल:** यह सभी पर ऐप्लीकेबल है।

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, जो पंचायती राज विधेयक माननीय मंत्री जी ने पे 1 किया है मैं उसका समर्थन करने और मंत्री जी को बधाई देने के लिए खडा हुआ हूं। दरअसल प्रजातंत्र के ढांचे में तीन मुख्य एजेन्सीज हैं जिससे कि तंत्र चलता है। एक दे 1 की सरकार एक प्रान्त की और एक जिला स्तर की सरकार, यानी पी0एम0, सी0एम0 और डी0एम0। इस दे 1 का पी0एम0 प्रजा के द्वारा और एम0पीज0 द्वारा चुना गया हो, इस राज्य का सी0एम0 प्रजा द्वारा और एम0एल0एज0 द्वारा चुना गया हो। जो जिले का डी0एम0 है जो आई0ए0एस0 आफिसर होता है। सब वह नीति, सब वह कार्यक्रम जो जनता की आवाज बन कर संसद या विधान सभा में गूंजते हैं और वे किसी न किसी रूप में सरकार की नीति बनकर जब नीचे जाते हैं तो जो डी0एम0 हैं, वहां जाकर उसका सरकारीकरण हो जाता है। सरकारी तंत्र में वह बात फंसी जाती है। यही बात हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने कई बार पब्लिक में दोहराई है कि मैं एक रूपया भेजता हूं दिल्ली में, और चलते चलते सिर्फ 15 पैसे उस आदमी तक पहुंचते हैं जो गांव में बैठा है। यही एक चिन्ता थी उनमें मन में। (विघ्न)



**श्री अध्यक्ष:** यहां तोक ज्यादा पहुंचते होंगे। वह सब स्टेटस की बात थोड़े हैं। यहां का मतलब हरियाणा से है। ( गोर एवं व्यवधान)

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** यहां क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, यह बात दे 1 के उस समय के प्रधानमंत्री ने कही। तो मैं नहीं समझता कि वह बात झूठी होगी। यह बात आपकी ठीक हो सकती है कि कहीं 15 की बजाये 6 पैसे पहुंचते होंगे और कहीं बीस पहुंचते होंगे। लेकिन जो सिस्टम था उस सिस्टम में यह बात पाई गई कि जो सबसे छोटी इकाई पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिशद है उसको वही अधिकार हों। जो कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट 73 है जिसको पार्लियामेंट ने पारित किया है, उसकी क्लॉज 243 (जी) में पढ़कर सुनाता हूं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस सैवटी थर्ड अमेंडमेंट लाने की मन्शा क्या थी -

“Subject to the provision of the Constitution, the Legislature of the State may by law endow the Panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to function them as institution of self Government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilty upon Panchayats at the appropriate level subject to such conditions as may be specified therein with respect to-

(i) The preparation of plan for economic development and social justice;

(ii) The implementation of the scheme for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the 11<sup>th</sup> Schedule.”

सर, इसमें दो ही बातें सामने आयी हैं। सामाजिक न्याय देने के लिये ग्रामों में विकास तभी संभव है जब ग्रामीण लोगों द्वारा खुद बैठकर यह फैसला किया जाये कि उनकी प्रायारिटीज क्या हों, उनकी प्राथमिकताएं क्या हों। इस हिसाब से 29 आईटम्ज ऐसी छांटी गयी हैं जिनको इलैवन्थ डिप्यूल में रखा गया है। इनके बारे में यह कहा गया है कि जिला परिशदें, पंचायत समितियां और गांव की पंचायतें इन कार्यों को पूरा करेंगी। स्पीकर साहब, मैं इस एक्ट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हमारी बदकिस्मती यह है कि इस काम को गंभीरता से लेना चाहिये और इस बारे में विचार करना चाहिये। हम इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। लोग भाषण देना और सुनना जरूरी नहीं समझते। हर आदमी आज यह चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने घर को भाग जाये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो कानून लाया गया है, यह पंचायतों को ताकतवर बनाने के लिये लाया गया है। आज से 25 साल पहले हरियाणा में भी जिला परिशदें थीं लेकिन वे तोड दी गयी थीं। चौधरी बंसी लाल के समय में इनको तोड दिया गया था। आपको

पता है बंसी लाल जी का अपन काम करने का स्टाईल था। जितने भी प्रजातांत्रिक ढांचे हैं, उनमें इलैक्शन न हों, वे यह चाहते थे। वे चाहते थे कि कभी इलैक्शन नहीं होने चाहिये। म्युनिस्पल कमेटिज के इलैक्शन नहीं होने चाहिये, मार्किट कमेटिज के इलैक्शन नहीं होने चाहिये। पहले कोआप्रेटिव सोसाइटीज के या कोआप्रेटिव इंस्टीच्यूशन के इलैक्शन भी नहीं होते थे। इसी प्रकार से जिला परिशदों को भी भंग कर दिया गया था। जिला परिशदों को भंग करने के पीछे एक कारण था जो आज भी मौजूद है। मैं इस सदन में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एक कडवी सच्चाई है। चाहे कोई भी एम0एल0ए0 हो, कोई यह नहीं चाहता कि उसकी कांस्टीच्यूएन्सी में या उसके जिले में कोई उसके बराबर का आदमी अधिकार वाला हो और वह अपने अधिकार का प्रयोग करें। यही वजह थी कि इन जिला परिशदों को भंग किया गया था। महाराष्ट्र में जिला परिशदों को 60-60 और 70-70 करोड़ रुपये का बजट दिया जाता है। मैं ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ। महाराष्ट्र के अन्दर राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है कि लोग एम0एल0ए0 य मंत्री बनना पसन्द नहीं करते। वे एम0एल0ए0 या मिनिस्टरी को छोड़ कर जिला परिशद का चेयरमैन बनना पसन्द करते हैं। तो मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि हमारे यहां पर इस चीज की सख्त जरूरत है। हम लोग अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते। हमारे यहां पर अच्छे विधायक हों, आज इस आत की जरूरत है। आज अगर आप अच्छा मन्त्री और अच्छा मुख्य मंत्री हरियाणा को देना चाहते हैं तो

आपको नर्सरी पैदा करनी पड़ेगी। आज एक वकील वकालत पास करते ही यह सोचता है कि एम0एल0ए0 कैसे बनूं, प्रौपर्टी डीलर अगर दस बीस लाख रूपया कमा लेता है तो वह यह सोचता है कि एम0एल0ए0 कैसे बनूं। किसी के पास भी अगर आज पैसा आ जाता है तो वह एम0एल0ए0 बनने के सपने देखने लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह गुजारि ा करना चाहता हूं कि इसमें चैप्टर जो इन्ट्रोडयूस किया गया है यह एक बडी हैल्दी ट्रेडी ान होगी कि जिला परिशदों को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। लेकिन इस एक्ट से जाहिर होता है कि जिला परिशदों की पावर्ज सुपरवाइजरी पावर रखी गई हैं। चालीस हजार की पापुले ान से जिला परिशद का मैम्बर बन सकेगा और वह अपने को एक मिनि एम0एल0ए0 से कम नहीं समझेगा लेकिन अगर एक्ट में आप उसको पावर नहीं देंगे तो उसको निरा ा होगी। क्लोज 137 में जो कुछ लिखा है, उससे जाहिर होता है कि इसकी कोई पावन नहीं है। आप क्लोज 147 और 148 पढ़ें। उनमें साफ लिखा है कि जिला परिशद को अपना काम चलाने के लिए अपने रिसोर्सिज पैदा करने पड़ेंगे। वे अपने तरीके से टैक्स लगाएंगी, अपने तरीके से कलैक्ट करेंगी और अपने तरीके से खर्च करेंगी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो कमी ान मुकर्रर करने की बात कही गई है। एक फाइनेंस कमी ान और दूसरा इलेक् ान कमी ान। फाइनेंस कमी ान फाइनेंस जुटाने के लिए और इलेक् ान कमी ान इलेक् ान कराने के लिए। स्पीकर साहब, फाइनेंस कमी ान की कंसैप्ट क्या होनी चाहिये। कंसैप्ट यह है

कि स्टेट के जितने टोटल रिसोसिर्ज हैं जो हम खुद जनरेट करें या हमें भारत सरकार से मिलें उनको इकटठा करके यह फैसला करें कि इतने परसेंट जिला परिशदों को और पंचायत समितियों को दिए जाएं। यह फाइनेंस कमी इन का मेन काम होना चाहिये। इसके साथ ही साथ फाइनेंस कमी इन यह भी सुझाए कि किस तरीके से लोकल अदायरे अपनी फाइनेंसियल पोजी इन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और जब इनकी फाइनेंसियल पोजी इन मजबूत होगी तभी इनमें मजबूती आएगी। अगर इन लोकल अदायरों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ या केन्द्र सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखना पड़ेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और वे काम नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिजोल्यू इन एंड सुपरसै इन का सम्बन्ध है, मैं इन भाईयों के विचारों से सहमत हूं कि एक मन्त्री को मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है लेकिन एक एम0एल0ए0 या एम0पी0 को नहीं हटाया जा सकता। एक मन्त्री है और अगर उसने कोई गलती की है तो उसका अस्तीफा मांगा जा सकता है। मुख्य मंत्री ने कोई गडबड की है तो मुख्यमंत्री का अस्तीफा हो सकता है। लेकिन एक एम0एल0ए0 को नहीं हटाया जा सकता। यह ठीक है कि 73वीं अमेंडमेंट में यह लिखा गया है कि जो असैम्बलीज हैं वे अपने तौर पर फैसला करें कि कैसे कैसे उनको क्या करना है लेकिन मेरा अनुरोध है कि डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यू ांज जैसे पार्लियामेंट है, उसके एम0पी0 को कोई नहीं हटा सकता कोई डिसमिस नहीं कर सकता और वह डिसक्वालीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह से एम0एल0ए0 है। मैं

आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह से जिला परिशद और ब्लॉक समिति के मैम्बर जिनको लोगों ने चुनकर भेजा हैक किसी सरकारी तन्त्र को यह हक नहीं होना चाहिए कि लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइन्दों को डिसक्वालीफाई कर दे या उनको डिसमिस कर दिया जाए। यह तो हो सकता है कि अगर म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन कोई गडबड करता है तो उसको चेयरमैनी जा सकती है, सरपंच गडबड करता है तो उसकी सरपंची जा सकती है। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि जिस आदमी को लोगों ने चुनकर भेजा है उनको पांच साल से पहले किसी भी प्रावधान के नीचे हटाया जा सके। यह मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर सरकार को अब य गौर करना चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा के अन्दर हम एक नर्सरी कायम कर सकेंगे ताकि राजनीतिक लोग नीचे के स्तर से काम कर के लोगों से जुड कर ऊपर आने की चेश्टा करेंगे, न कि स्काई लैब की तरह ऊपर से लोगों पर थोपे जाएं। यह एक व्यवस्था है सि से हम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। बस, मैं इतना कहता हुआ स्पीकर सर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

**सरकारी संकल्प—**

## नगरपालिकाओं का विघटन करने संबंधी

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received a notice of Official Resolution. Now the Minister of State for Local Government may move the resolution.

**Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba):** Sir, I beg to move-

Whereas in pursuance of the provisions of Article 243 ZF of the Constitution of India this Assembly considers it desirable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by the proviso to article 243 Zf of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

Whereas in pursuance of the provisions of Article 243 ZF of the Constitution of India this Assembly considers it desirable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by the proviso to article 243 Zf of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

**प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़):** स्पीकर सर, यह जो म्युनिसिपल कमेटीज के बारे में गाबा साहब रैजोल्यू इन लाये हैं, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर सर आज ही यह बिल यहांपर लाया गया है और आज ही इनको म्युनिसिपल कमेटीज को भंग करने का रैजोल्यू इन भी लाना पडा, कितनी अन डैमोक्रेटिक बात है, स्पीकर सर। नगरपालिकाओं की किसी तरह से बुचरिंग हो रही है। जिन नगर पालिकाओं के अभी तीन तीन साल बाकी रहते हैं उनको भी तोडा जा रहा है। इस रैजोल्यू इन के माध्यम से कितना बडा अन्यायपूर्ण कदम म्युनिसिपल कमेटीज के साथ उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इनको यह प्रस्ताव एकदम वापिस लेना चाहिये।

**प्रो० सम्पत सिंह (भटटू कलां):** स्पीकर साहब, यह रैजोल्यू इन वाली बात हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को यह रैजोल्यू इन नहीं लाना चाहिये था। ठीक है सरकार के पास मैजोरिटी है और सरकार इस मैजोरिटी के होते हुए जो चाहे यहां पर इस असैम्बली से पास करवा सकती है लेकिन ऐसे राईटस का सरकार को मिसयूज नहीं करना चाहिये। आज एक बहुत बडी ये लोग बात कर रहे हैं जो इस रजोल्यू इन के द्वारा करने जा रहे हैं। अतः हमारा यह व्यू है कि इनको इतनी संख्या में म्युनिसिपल



कमेटीज को डिजोल्व नहीं करना चाहिये। इससे लोगों के मन में यह भावना होगी कि आज तो बिल मूव हुआ है और आज ही डिजोल्व कर रहे हैं। इससे हमें आगे के लिये म्यूनिसिपल कमेटीज के ऊपर डैजोल्वू इन का साया सदा के लिये छाया रहेगा। हमें आगे ही उनके दिमाग में यह रहेगा कि असैम्बली में जिसकी मैजोरिटी होगी वे जब मर्जी चाहें इस तरह का स्टैप उठाकर कमेटीज को डिजोल्व करा देंगे। इसलिये यह परम्परा बिल्कुल गलत है।

### वाक आउट

**प्रो० सम्पत सिंह:** अगर सरकार फिर भी इस पर बाजिद है कि हमने तो यह कार्यवाही करनी ही है और इनहें डिजोल्व करना ही है तो हम सब अपोजी इन के भाई ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (इस समय जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

### सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, अपोजी इन के भाईयों ने बहुत क्रिटिसिजम किया है और अब ये वाक आउट करके जा रहे हैं। जब सरकार अगली म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव अगले 6 महीनों में करवाने जा रही है तो इनको क्या तकलीफ है ? अब 6

महीनों के बाद जब चुनाव होंगे तो इनको मालूम पड जाएगा कि सरकार में दम खम है या इनमें हैं।

**Mr. Speaker:** Question is-

That whereas in pursuance of the provisions of Article 243 ZF of the Constitution of India this Assembly considers it desirable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by the proviso to article 243 Zf of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

The motion was carried.

### नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

(1) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1991-92 की प्रारंभिक रिपोर्ट

(2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1992-93 की 26वीं एनुअल स्टेटमेंट आफ अकाउंट्स

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I have received two notices of motion under Rule 84 Shri Ram Bilas Sharma and

Smt. Chandravati, M.L.As. Shri Ram Bilas Sharma may read these notices.

**Prof. Ram Bilas Sharma:** Sir, I beg to move-

(i) That the Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 8<sup>th</sup> March, 1994; and

(ii) That the 26<sup>th</sup> Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93, which was laid on the Table of the House on the 8<sup>th</sup> March, 1994, be discussed.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

(i) That the Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 8<sup>th</sup> March, 1994; and

(ii) That the 26<sup>th</sup> Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93, which was laid on the Table of the House on the 8<sup>th</sup> March, 1994, be discussed.

**प्र० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़):** स्पीकर साहब, यह बिजली बोर्ड की 1991-92 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है। इसके बारे में मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट डाकुमेंट होता है। इसको देखने के बाद पता लगा है कि इसका कोई आडिट नहीं कराया गया है। अगर आडिट कराया गया है तो उसकी स्टेटमेंट

इस रिपोर्ट के साथ जोड़ी नहीं गई है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का जीवन बिजली के कारण ही चलता है। इसलिए बिजली बोर्ड के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मैं आपको माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस रिपोर्ट के साथ आडिट की स्टेटमेंट लगाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि रसम अदायगी की गई है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के पेज 17 पर प्लांट लोड फैक्टर के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट का 1991-92 का पी0एल0एफ0 56.35 परसेंट है और 1990-91 का पी0एल0एफ0 47.80 परसेंट है। इसी तरह से पानीपत थर्मल पावर प्लांट का पी0एल0एफ0 43.07 परसेंट है और इससे पिछले साल का 30.26 परसेंट था। डिप्टी स्पीकर साहब, जो नैशनल एवरेज है उससे यह काफी कम है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के पेज 35 पर कौस्ट आफ जनरेशन के बारे में बताया गया है। वर्ष 1991-92 में कौस्ट आफ जनरेशन एक रुपया 61 पैसे प्रति यूनिट दर्शाई गई है। यह एवरेज फरीदाबाद थर्मल प्लांट की है। जो पानीपत थर्मल प्लांट की कौस्ट आफ जनरेशन की एवरेज दर्शाई गई है, वह 95.94 पैसा प्रति यूनिट है। मैं समझता हूँ कि एक ही राज में एक ही मीनिंग में कौस्ट आफ जनरेशन है, वह 99.49 पैसा प्रति यूनिट है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट है, उसमें सब स्टेटमेंट्स की सूची दी है। लेकिन मैं यह

कहना चाहूंगा कि इसका जो आडिट कराया गया, उसकी स्टेटमेंट इसके साथ जरूर लगानी चाहिए थी। उससे यह पता लग सकता था कि साल का कितना खर्चा हुआ। इस बारे में इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। इस बारे में ए०सी० चौधरी साहब बताएंगे। इसके अलावा बिजली बोर्ड की जो 1992-93 की 26वीं रिपोर्ट दी गई है, डिप्टी स्पीकर साहब आप भी इसको देख लें, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। यह साइकलोस्टाइल करवा करके हमें दी गई है। कोई पेज कहीं पर जोड़ा है और कोई पेज कहीं पर जोड़ा है। इस रिपोर्ट को चमा लगाने के बाद भी नहीं पढ़ा जा सकता। ए०सी० चौधरी साहब इसको देख लें।

**बिजली मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):** डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य प्र० राम बिलास भार्मा जी ने बिजली बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में कुछ आपत्ति की हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, लिहाजा मेरी बात से सभी माननीय सदस्य ऐग्री करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है उसका आडिट नहीं होता। आडिट तो फाईनैस का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की तो सक्रूटनी होती है। जहां तक फाईनैस के आडिट का ताल्लुक है उसका बाकायदा आडिट होता है। इसके अलावा यदि कोई प्लांट छोटा है या पुराना है या किसी प्लांट में कोयला सब स्टैंडर्ड फीड हो गया या कोई प्लांट अंडर रिपेयर है तो सारा टोटल मिला कर उसका पी०एल०एफ० नोट किया जाता है। पानीपत और फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट्स की कौस्ट औफ जनरेशन की डिसपैरिटी रफली चार

या पांच पैसे पडती है। फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट की कोस्ट आफ जनरे इन एक रूपया 83 पैसे प्रति यूनिट है। उसका कारण यह है कि पानीपत में चार यूनिट 110-110 मैगावाट के हैं। फरीदाबाद के तीनों प्लांट 55-55 के0वी0 के, पानीपत की अपेक्षा छोटे हैं। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बाई एण्ड लार्ज कोई कमी नहीं है जिससे हम यह कह सकें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमी हो सकती है या कोई टैक्नीकल फाल्ट हो सकता है। Bye product of different types of machines and quality of raw materisal is the only reason. साथ ही भार्मा जी ने एक बात कही कि यह रिपोर्ट पढी नहीं जा रही। मैं बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट कम्प्यूटराइज्ड है। यह इनकी ठीक बात है कि इन फिगरज को पढने में दिक्कत आ रही है। इस बारे में मेरी इनसे प्रार्थना है कि यदि ये किसी फिगरज के बारे में जानना चाहें तो ये जान लें। बाकायदा मैं अच्छी टाईप की हुई कापी दूंगा और साथ ही विभाग को हिदायत दूंगा कि आयंदा ऐसी गलती न दोहराई जाये।

**डा० राम प्रका 1:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 47 और 82 की फिगरज में यह इतना भारी अन्तर क्यों है।

**श्री ए०सी० चौधरी:** पहली बात तो यह है कि फरीदाबाद की यूनिट 55 के0वी0 की है जबकि पानीपत प्लांट की इससे कहीं ज्यादा के0वी0 की है। दूसरी बात यह है कि ये यूनिटें काफी पुरानी हो चुकी हैं। तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि

पी0एल0एफ0 बढ़ाने के लिए बदरपुर की एक 210 मैगावाट की यूनिट लेटैस्ट है वह 90 से 95 परसेंट बिजली जनरेट करती है। दूसरे इन यूनिटस में कोई मैनुअल प्रोब्लम नहीं है। उन्होंने सरकार की नीति, सरकार की पोलिसी और प्रोग्राम के बारे में सारे सदन को जो अवगत करवाया है, उसके लिये हम किन लफजों से उनका धन्यवाद करें ऐसे भाब्द तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। लेकिन एक बात अब य ही कहनी पडती है कि अपोजी इन के इन भाइयों ने जिनको इस सदन में सबसे बडी पार्टी कहते हैं और है भी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया वह बडी ही खेदजनक बात है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय साल में एक बार ही इस सदन में आते हैं और फिर ये लोग उनका आदर व सम्मान न करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता, हमारी इन सारी बातों की तरफ देखती हैं स्पीकर साहब, अपोजी इन का भी कोई रोल होता है। उस रोल के तहत वह अपना कोई प्वायंट उठाए तो समझ में आ सकता है, सरकार का क्रिटिसिज्म करें समझ में आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय एक बहुत नेक आदमी हैं वे गांधी वादी हैं और लोहिया के वे चेले और भगत हैं। ये इन्हीं के नेता यानी चौधरी देवी लाल के लगाए हुए हैं और यही लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करें तो बात जमती नहीं। इसीलिए हमें इस बात का दुख है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्यपाल महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सारे प्रदेश में बहुत ही निष्पक्ष चुनाव करवाए, किसी जगह भी गुंडागर्दी बूथ कैपचरिंग नहीं होने दी। मैं सारे प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ। जो इलैक्ट्रान से जुड़े हुए लोग थे उन सभी अधिकारियों ने बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ काम करके जो प्रदेश पर बहुत बड़ा कलंक लग गया था उस कलंक को धोने की कोशिश की है। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में अगर हम प्रजा को वोट न डालने दें तो प्रजातन्त्र का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि इसी वोट के लिए कितनी ही माताओं के सपूतों ने और बहिनों के भाइयों ने फांसी के फंदे को चूमा। प्रदेश में पिछले चार सालों में किस तरह से प्रजातन्त्र की हत्या की गई थी, इसकी मिसाल इतिहास में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी हमारे माननीय साथी आनन्द सिंह डांगी ने मेहम की बहुत विस्तार से चर्चा की, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो बातें कही गई हैं उनको दोहराने का फायदा नहीं है। लेकिन जिस तरह की हालत जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया वह बड़ा भारी दुखदाई है। चौधरी देवी लाल जी प्रजातन्त्र की बड़ी दुहाई दिया करते थे। किस तरह से प्रजातन्त्र की धज्जियां उन्होंने उड़ाई इसकी मिसाल नहीं मिलती। प्रजातन्त्र ही नहीं उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। अमीर सिंह के बारे में बड़ी भारी चर्चा है, लोगों में बड़ा भाक और भुबह है कि



उनकी हत्या किस तरह से की गई। आज मैं कोई बात कहूं जरा अच्छी नहीं लगेगी, ये भाई कहेंगे कि अभी इन्कवायरी पेंडिंग है और चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन रात को 12 बजे पहले साथ साथ खाना खाएं, उसके बाद गैस्ट हाउस से अपनी गाडी में बिठा कर ले जाएं और दो बजे अध्यक्ष महोदय मुंडाल में उसको मार कर डाल दें। क्या और कोई आदमी उसको मार सकता है ? फिर एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो चुनाव लड रहा हो यह कह देना कि यह कत्ल इन्होंने किया है यह बात जमती नहीं। आखिर आप जानते हैं कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना भी है लेकिन इन्सान को इन्सानियत से तो नहीं गिरना चाहिए। जो सरकार इन्सानियत से गिर जाती है वह सरकार बहुत लम्बे अरसे तक चल नहीं सकती और न ही इन्सान बहुत ज्यादा अरसे तक जी सकता है उसके लिए भी पाप का घडा बहुत जल्द भर जाता है। सरकार ने एक जगह नहीं जितने भी पिछले चार साल में चुनाव हुए, चाहे वे मयूनिसिपल कमेटी के थे और चाहे पंचायत के थे गडबड की। आप जानते हैं कि हांसी का कांड किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से कि इन खंडेलवाल की हत्या की गई, किस तरह से दूसरी जगह बूथ कैप्चर किए गए और किस तरह से भिवानी के इलैक् इन में हुआ। अध्यक्ष महोदय जब 1989 में लोक सभा के इलैक् इन हुए तो क्या माहौल इन्होंने बना कर रखा हुआ था। ग्रीन ब्रिगेड के नाम से बडे फख्र से कहते हैं ये लोग कि हमारा ग्रीन ब्रिगेड तो इलाहाबाद तक गया आप इस बात का अन्दाजा लगाएं कि चौधरी

देवी लाल जी लोक सभा में खड़े होकर यह कहें कि वी०पी० सिंह तो कुछ था ही नहीं, जीरो था उसको तो ग्रीन ब्रिगेड ने बना दिया। यह कितनी गलत बात है। उनको ऐसी बात कहना भाभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने प्रदे 1 के अन्दर किस तरह का माहौल पैदा किया और किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यदि दे 1 में और प्रदे 1 में प्रजातंत्र कायम नहीं होता तो क्या चौधरी देवी लाल और वी०पी० सिंह दे 1 के उप प्रधान मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते थे? क्या मोरार जी भाई और चरण सिंह इस दे 1 के प्रधानमंत्री बन सकते थे ? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो सब कुछ कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ में ताकत थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा सोचा तक भी नहीं। जनता जिसको वोट देने का अधिकार है, वह जिसको चाहे अपना वोट दे कर गददी पर बैठा सकती है लेकिन लोगों को उनका वोट न डालने दिया जाए और गरीब लोगों को उनके घरों से न निकलने दिया जाए तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इन्होंने दे 1 में और प्रदे 1 में ऐसा माहौल पैदा किया कि लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया। लेकिन इस दे 1 के और प्रदे 1 के लोग बड़े समझदार हैं जनता ने इनको सबक सिखा ही दिया। इन्साफ में देरी तो हो सकती है, समय तो लगता है, परमात्मा के घर में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, न्याय जरूर मिलता है। जनता ने इन लोगों को सबक तो सिखा

ही दिया। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि प्रदेश की जनता ने बहुत भानदार निर्णय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूँ।

**श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ए0जी0 की जो रिपोर्ट है इसमें अरबों रूपयों का खर्चा दिखाया गया है लेकिन इसका कोई रिकार्ड अच्छी तरह से नहीं रखा गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर तो अन्डरस्टेटिड है, कहीं पर ओवर स्टेटिड है और कहीं पर गलत लिखा गया है। आप पेज 92 को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जहां पावर परचेज की गयी है, उसकी इस रिपोर्ट में लाखों में फिगरज दी गई है। इसमें एक जगह 32325.05 लाख रुपये की एन0पी0टी0सी0 (सिंगरौली) से बिजली खरीदी गई। आप आगे देखेंगे कि इसमें 17.10 लाख रुपये अन्डरस्टेटिड हैं, इसका पहले कोई प्रोविजन नहीं किया गया। इसी तरह से पावर जनरेशन की बात है। इन्होंने जो सेंट्रल कोल फील्डज का पैसा देना था उसमें भी 3761.36 लाख रुपये अन्डरस्टेटिड दिखाए हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इसमें कोई हिसाब ही नहीं रखा। मैं समझती हूँ कि ऐसे कर्मचारियों को बेहद सजा दी जानी चाहिए और जो वहां पर चीफ इंजीनियर, एस0ई0 या एक्सीयंज हैं, उनकी विशेष जांच करके सजा दी जानी चाहिए। आज बिजली कारखाने को चाहिए किसानों को चाहिए और अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए भी बिजली की हमें आवश्यकता है। इन

अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो गडबड होती है उससे बिजली बोर्ड को नुकसान होता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार से चाहे परचेज की बात है चाहे पावर जनरे इन की बात है या तेल खरीदने की बात है। ये सारी बातें इसलिए हैं। On page 93, it has been stated-

(ii) “Rs. 428.14 lakhs on account of interest liability @8.50% .....

यह पैसा ऐसा है जो अकाउंट फार ही नहीं किया गया। (विधन) इसी तरह से 2372.44 लाख रूपये औन अकाउंट आफ डिफरेंसिज आफ आप्रे इन एंड मेंटीनैस चार्जिज की कोई भी लायबिलिटी प्रोवाइड नहीं की है, यह 1/3 भाग जैनेरे इन आफ ऐनर्जी इन्द्रप्रस्थ का है। जिसके लिए कोई लायबिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। इसी तरह से टैस्ट चैक में पाया गया कि 6025.69 लाख रूपये की लायबिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। (विधन) ऐसा इसलिए है क्योंकि महकमे रिपोर्ट नहीं देते हैं। यह रिपोर्ट 1992-93 की है, 1993-94 की रिपोर्ट क्यों नहीं दी। किसी भी महकमे या बोर्ड की रिपोर्ट दी नहीं जाती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझती हूँ कि आपको सरकार को गार्ड करना चाहिए या उनको सुजै इन देना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स टाईम पर आएँ। जो रिपोर्ट्स आती हैं वे भी जल्दी में आती हैं उनको पढने के लिए समय ही नहीं होता। इसी तरह से कन्ज्यूमर्ज की बात है। पेज 98 पर देखिये, इसमें डिफाल्टर्ज की संख्या हजारों और लाखों में है।

जो अमाउंट उन्होंने डिफाल्ट किया है, उसकी संख्या भी बहुत बड़ी है। डिफाल्टर्ज में गवर्नमेंट के भी कन्जयूमर्ज हैं और प्राईवेट भी हैं जिन्होंने 3 साल से लेकर 6 साल तक बिल नहीं दिए। जो गवर्नमेंट कन्जयूमर्ज हैं उनकी संख्या 210 है और अमाउंट 27.88 लाख है। इसी तरह से प्राईवेट का इसेस भी ज्यादा है। कन्जयूमर्ज 7952 हैं और अमाउंट 471.68 लाख रूपये है। इसी प्रकार से अगर आप कुल मिला कर देखें तो गवर्नमेंट कंजयूमर्ज हो जाते हैं 1163 और पैसा 343.16 लाख है। इसी तरह से प्राईवेट कन्जयूमर्ज हैं 71707 इनका रूपया होता है 1864.23 लाख। ये ऐसे डिफाल्टर्ज हैं जिनके कनैक्ट इन्ज डिसकनैक्ट हो चुके हैं। कनैक्टड कंजयूमर्ज गवर्नमेंट के 7176 हैं। इनकी हयूज अमाउंट जो पे नहीं की गई, वह 32690.31 लाख रूपये है। प्राईवेट की 5968.87 लाख रूपये है। (विघ्न) 790.91 लाख रूपये की राशि। ऐसी है जो टाईम बारड हो चुकी है, इसे आप ले ही नहीं सकते। जिस आफिसर/आफिसियल की लापरवाही से यह टाईम बारड हुई है उनके खिलाफ एक कानून लेना चाहिए। "रीजनज फार माईनस बैलेंसिज वर नाट आन रिकार्डज" यह पेज 100 पर है। इसमें यह भी कहा गया है कि सण्डरी डैटर्ज फार सेल आफ इलैक्ट्रिकल प्लांट मैनुफैक्चर्ड बाई दि बोर्ड तथा और भी कई चीजें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को थैफ्ट के बारे में भी बताती हूँ। पेज 102 पर 31.28 लाख रूपए का मैटीरियल चोरी हुआ दिखाया गया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है और भारटेज आफ मैटीरियल 53.55 लाख

रूपए का दिखाया गया है। इसमें किसी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं दिखाई गई है। इसमें जो जिम्मेवारी है अगर उनके खिलाफ ऐव न लिया जाए तो मैं समझती हूं कि बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिजली की कमी प्रदे ा में है, वह मैन मेड ट्रैजडी है। मैनमेड का मतलब यह है कि यह सब आफिसर्ज की कमी है। यह जो 106 पेज पर अनैव चर है, उसमें कोई सूचना नहीं दी है, कोई भी रिकार्ड नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी से यह दरखास्त करूंगी कि इस तरह की लायबिलिटी उनके ऊपर रखनी चाहिए जिससे कि बिजली की सारी कमी सुधर जाए। बडे बडे आफिसर्ज जैसे कि चीफ इन्जीनियर की, एस0ई0 की या एक्सीयन की प्रोपर्टी को भी देखना चाहिए और इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। जैसे इसमें भी बता रखी हैं, उसके लिए भी उनकी जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मंत्री जी भी सदन में आ गए हैं इसलिए मैं फिर से कहूंगी जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर वैसे होगा तो जो हमारे सारे थर्मल पावर प्लांटस हैं, वे सभी सुचारू रूप से चलेंगे।

**श्री ए0सी0 चौधरी:** डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय बहन जी ने रिपोर्ट की पैरयूजल के बाद कुछ अपनी आबजर्वे न दी है, जिसमें उन्होंने एक अन्डरस्टेटिड का भी जिक्र किया है। अन्डरस्टेटिड का मतलब मैं बहन जी को बताना चाहता हूं। अन्डरस्टेटिड को ये भायद प्रोपर कन्स्ट्र्यू नहीं कर सकीं या

इन्होंने मिस कन्स्ट्र्यू कर लिया है। अन्डरस्टेटिड का मतलब यह है कि यह जो फिगर दी हैं इसकी टोटल इन्फर्मे ान नहीं दी गई है यानि यह स्टेटमेंट अधूरी है।

**श्रीमती चन्द्रावती:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह कहन चाहती हूं कि इसमें जान बूझ कर बातों को छिपाया गया है।

**श्री ए०सी० चौधरी:** उपाध्यक्ष महोदय, इसमें छिपाने की बात तो तब हो, जब कोई प्राईवेट सौदे हों। इसमें एन०टी०पी०सी० के मामले के बारे में रिपोर्ट के पेज नं० 92 पर लिखा है “It was undestand by Rs. 17.10 lakhs on account of the power purchased from N.T.P.C. (Singrolli).” अब सिंगरौली से पावर की परचेज के पैसों के मामले में उस वक्त के बिल में कोई चीज ऐसी लिखी है जो हमने डिस्प्यूट किया है। तो उसे हम तक तब आडिट के सामने नहीं रखेंगे जब तक दूसरी पार्टी को हम मनवा न लें। इसलिए यह अन्डरस्टेटिड या अन ऐलौबोरेटिड है। बहन जी ने कह दिया कि 1163 कंज्यूमर्ज के जिम्मे बिजली के पैसे बकाया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी स्टेट है और इस बारे में अभी दो दिन पहले सैपरेट क्वै चन आया था उसमें मैंने इस बारे में टोटल डिटेल दी थी कि कुल मिला कर के जो इन्डस्ट्रिलिस्टस हैं, वे लैस दैन 100 हैं। उस हिसाब से मैंने सारा ब्यौरा दिया कि वे लोग कोर्ट में जा चुके हैं। जब तक कोर्ट कोई भी फैसला नहीं कर देती है तब तक बिजली बोर्ड या हरियाणा सरकार इस मामले

में कुछ भी नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने सन्डरी डैटर्ज के बारे में भी कहा है। सन्डरी डैटर्ज में करोड़ों रूपए की परचेजिंग होती है जिसमें केवल देने वाले भी हैं, कंडक्टर सप्लाई करने वाले भी है।, पोल सप्लाई करने वाले भी हैं, फ्यूज देने वाले भी हैं, ट्रांसफार्मर स्पलायर हैं, ट्रांसफार्मर आयल स्पलायर हैं उसके लिए स्पेयर पार्ट्स के स्पलायर हैं। पूरी स्टेट को मेन इन ग्रीडियन्ट्स देने के लिए 100 सैन्डरी डैटर्ज कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहन जी का खदसा बे बुनियाद है। (विघ्न)

तीसरी बात बहन जी कहती हैं कि बिजली की चोरी होती है। चोरी की वजह से जितने पैसे का नुकसान हुआ है उसको हमने जिम्मेवारी फिक्स की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी नौलेज में भी है कि बाई एंड लार्ज, दो मेजर थैफ्ट हो रही हैं।

**श्रीमती चन्द्रावती:** उपाध्यक्ष महोदय, मैटीरियल की चोरी की बात है, बिजली की चोरी की बात नहीं है।

**श्री ए०सी० चौधरी:** मैं मैटीरियल की ही बात कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर को काटा और उसमें से पीतल या तांबा निकाल कर ले गए। इसके साथ ही राजस्थान की तरफ से भी उस एरिये में ितकायत है कि पूरी की पूरी लाईन काट दी जाती है और तारों को गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। तो ऐसी थैफ्ट के लिए



प्रौपर हमारे पास अपनी सिक्योरिटी भी है तथा गवर्नमेंट द्वारा भी मदद दी जा रही है। ऐसी बात नहीं है, चोरियां भी होती हैं लेकिन सामान बरामद भी होता है इसलिए मैं समझता हूं कि बहन जी को इसके बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह बात जरूर है कि यह हम सबकी सांझी जिम्मेदारी है कि स्टेट को किसी प्रकार को कोई लौस न हो। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का घाटा स्टेट को न हो। बाकी जहां तक चोरियों का ताल्लुक है उसको हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि बिजली की चोरी न होने पाए। क्योंकि अगर बिजली की चोरी होती है तो इससे बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता है। बहन जी ने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड की रिपोर्ट कई कई साल के बाद आती है तथा यह बडा इररैगुलर सिस्टम है और इसको रैगुलर बनाया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहन जी को बताना चाहूंगा और आप भी यह जानते हैं कि जब तक आडिट नहीं होगा फिगर्ज कम्पाईल नहीं होंगी, पूरा अकाउंट नहीं होगा तब तक रिपोर्ट नहीं छप सकती। मुख्य मंत्री जी ने भी इसी बात पर पिछली बार चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने विभागों को कहा था कि रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। सर, मैं यही कहूंगा कि जब हम पिछली बार सिटिंग में थे, तब सात साल पुरानी रिपोर्ट थी, किन्तु अब तो दो साल ही पुरानी रिपोर्ट है। इसका मतलब पहली से प्रोग्रेस तो है। वैसे भी इसके बारे में जब मुख्यमंत्री जी ने आ वासन दे ही दिया है, तब मैं इसके लिए ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, इनमें टाईम इसलिए लगता है क्योंकि रिपोर्ट तैयार ही नहीं करते। यह प्रशासन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है।

(3) हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1991-92 की 25वीं एनुअल रिपोर्ट

**Mr. Deputy Speaker:** Hon'ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Smt. Chandravati, M.L.A. which reads as under :-

“That the 25<sup>th</sup> Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28<sup>th</sup> February, 1994, be discussed.”

She may move her motion.

**Smt. Chadravati:** Sir, I beg to move-

“That the 25<sup>th</sup> Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28<sup>th</sup> February, 1994, be discussed.”

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

“That the 25<sup>th</sup> Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28<sup>th</sup> February, 1994, be discussed.”

**श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू):** डिप्टी स्पीकर साहब, बात यह है कि इस रिपोर्ट में चार्टर्ड एकाउंटेंट के बारे में गलत बताया गया है। सर, इस किताब में जो है, मैं उसी में से बता रही हूँ। मैं इसमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रही हूँ। (विघ्न) इसमें पेज 12 पर लिखा है –

“Against manufacturer’s garment exporter quota, the Corporation has made export worth. Rs. 74.75 lacs .....

लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई मैनुफैक्चरिंग रिकार्ड नहीं है जो रा-मैटीरियल की कंजम्पान दिखा सके। कोई भी वैरीफिकेन के लिए चीज नहीं मिली। इन्होंने कहा है कि गारमेंट्स लाकर एक्सपोर्ट किए हैं। मैं इसी में से पढ़ कर बता रही हूँ। आप पेज 12 पर 1988-89 के क्लेम के बारे में देखें। It reads as under-

“This claim lodged for US\$ 7590.20 on account of theft of goods in transit of export made by M/s NEW ERA STEEL CO. to M/s OHIO STATE FAIR USA during the year 1988-89. The claim has been settled for US\$ 935.70, balance seems to be doubtful of recovery .....

इसका आप देखिए सिर्फ 935.70 डालर में सैटल हुआ है, बाकी डाउटफुल है। इस तरह से किसी की जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए। जो लोग रिटायर हो गए हैं, रैवेन्यू रिकवरी की तरह उनसे भी लिया जा सकता है। क्र०सं० 44 पर लिखा है:—

“Damaged stock as Emporia valuing Rs. 3.37 lacs  
.....”

इसका भी यह होगा कि डैमेज हो गया। कुछ सामान डैमेज न होने पर भी इनके कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं और उसको डैमेज दिखा देते हैं। सामान या तो ये अपने दोस्तों को प्रैजैन्ट कर देते हैं या उन्हें कम कीमत पर दे देते हैं। फिर इसमें पेज 14 पर है। फिक्सड असेट्स का कोई रिकार्ड नहीं है न उनकी आईडैन्टीफिके इन की है, न फिजिकल वैरीफिके इन किया गया है। एम्पलाईज को जो बिना इंट्रैस्ट के पैसा दिया है, वह हाउस बिल्डिंग के लिए भी नहीं दिया, न ही व्हीकल खरीदने के लिए दिया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उनको दान दे दिया है वह पैसा वापस नहीं आया है। उनमें से कुछ एम्पलाईज रिटायर हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह जो एक्सपोर्ट के लिए कार्पोरे इन बनी है, इसमें कितनी एक्सपोर्ट हुई है, कितनी इन्वैस्टमेंट है और उस इन्वैस्टमेंट का ब्याज कितना है। अगर सही माने में एक्सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है हमारी पास बाहर से पैसा आएगा। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि सचमुच में एक्सपोर्ट करते हैं या किसी से लेकर एक्सपोर्ट करवाते हैं मैं इसकी छानबीन चाहती हूँ। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी मदद हो तो यह अच्छी बात है लेकिन अगर ये अपने फेवरिट लोगों का सामान लेकर इधर उधर करें तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज अपना सामान बेच नहीं सकती है, उनके सामन को

लेकर हैन्डीक्रापटस को लेकर अगर ये एक्सपोर्ट करें, तब तो कोई बात है। जैसा कि प्वायंट आउट किया गया है, उसमें तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। मैं चाहती हूँ कि सुधार होना चाहिए। पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

**उद्योग मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा):** उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहिन जी ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेट्स इन के बारे में काफी कुछ कहा। मैं बहन जी को बताना चाहता हूँ कि यह जो इन्होंने बतलाया है कि इस तरह से मर्जी से चीजें खरीदते हैं कोई मैनुफैक्चरिंग नहीं होती हम तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। यह नहीं है कि हमने कुछ लोगों को अपना प्रिय बनाना है। ये जो कहती हैं कि जो मैटीरियल है उसको कंडम भागे करके एम्प्लॉईज उठा कर ले जाते हैं और वे अपने चहेतों को या रिटैलरों को इधर उधर दे देते हैं, यह बात उनकी बिल्कुल गलत है। वहां पर एक एक आइटम किसी भी वक्त जाकर गिनी जा सकती है। वे पूरी वहांपर मिलेंगी। अगर कोई चीज कम होगी तो उसे नई आइटम की कीमत देनी पड़ेगी। (व्यवधान व भाोर)

**श्रीमती चन्द्रावती:** आप गलत कह रहे हो।

**श्री लछमन दास अरोड़ा:** आप मेरी बात को सुनिये तो सही। इस एक्सपोर्ट कार्पोरेट्स इन को बने हुए 27 साल हो गये हैं। 1992-93 का लेखा जोखा जिसके बारे में आपने पूछा है, यह तो

हमारा सबसे ज्यादा प्रोफिट वाला ईयर है। इस वर्ष में 54 लाख 77 हजार रूपये का प्रोफिट है। (व्यवधान व भाोर)

**श्रीमती चन्द्रावती:** इसमें इन्वैस्टमेंट कितनी है, यह भी आप बता दो।

**श्री लछमन दास अरोडा:** इसमें इन्वैस्टमेंट तो होती नहीं है इसमें तो टर्न ओवर होती है। इसमें हमारी इन्वैस्टमेंट तो कोई होती ही नहीं है। (हंसी) हम तो लोगों से चीजें लेकर आगे उनको बेचते हैं पैसा अगले का होता है, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। बाकी फिर भी जो सुझाव या बातें इन्होंने कही हैं, हम उन पर गौर करेंगे और जो ठीक बातें होंगी, उनको करने की कोशिश करेंगे।

### **मुख्यमंत्री/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद**

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को साईने डाई करने से पहले मैं स्पीकर साहब का, आपका और जितने भी चेयरमैन चेयर पर रहे हैं, उनका भी तथा आपके सैक्रेट्री और सारे स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हाउस की कार्यवाही को बड़े भानदार तरीके से चलाया। इसके लिये आप सारे बधाई के पात्र हैं। अपोजी उन के सभी लीडर्ज और सदस्यों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। कई बार सदन में भाग्यद उनका रोल ठीक न रहा हो लेकिन अपोजी उन का भी एक रोल होता है। मैं इतना ही कहना चाहता

हूँ कि अपोजी इन का रोल भी एक मर्यादा में होना चाहिए। गवर्नर साहब के एड्रेस का जिस तरह से उन्होंने बाईकाट किया, वह अच्छा नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी गवर्नर साहब के एड्रेस का जवाब देते वक्त इस बारे में कहा था उनका बर्ताव ठीक नहीं था। आखिर में भी वे बायकाट करके भाग गये। वह बात ठीक नहीं है। सारी बात हमने उनकी सुनी है। कम से कम सरकार का भी वह इन उनको सुनना चाहिए। आगे के लिए वे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम उनसे यह उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही मैं प्रेस मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मीडिया ने असेम्बली की कार्यवाही को बड़े भानदार तरीके से उजागर किया है। मैं प्रेस के साथ साथ टी0वी0 और रेडियो वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी असेम्बली की कार्यवाही को बहुत ठीक तरीके से सारी की सारी कार्यवाही को दिखाया और प्रसारित किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बार फिर मैं आपको बधाई देकर आपका और सारे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ।

**Mr. Deputy Speaker:** May, I thank the Leader of the House for the courtesy and grace, he has shown in the house for the Presiding Officers for the conduct of proceedings of the House.

Now, the House stands\* adjourned sine-die.

**\*15.03 hours**

(The Sabha then adjourned sine-die.)